खण्ड-224, अंक-4
गुरूवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1883
(11 मई, 1961 ई0)

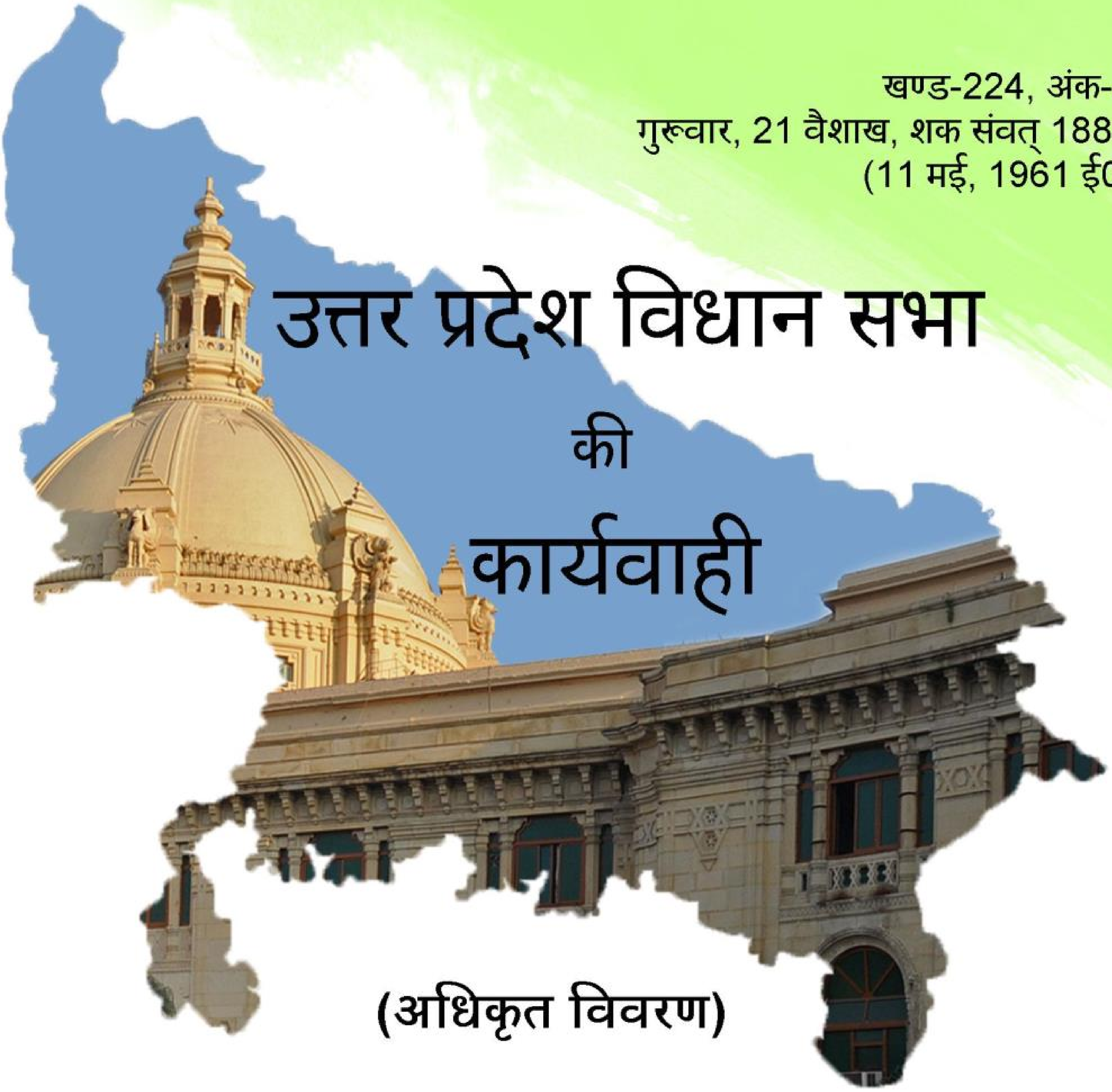

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ११ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३२१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
ग़यूरअली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धनपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुनाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)

रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राममज्ञावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खोरी)
शिमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभानाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजावनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखराम भारतीय, श्री
सुनंदा चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरतबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुलतान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, बिसेन, श्री

नोटः—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं ।

विधान सभा प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

धानी छाया ब्लाक में विकास खण्ड खोलने की प्रार्थना

**१—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के धानी छाया ब्लाक में विकास खंड खोलने के लिये दिनांक १० मार्च, १९६०, ५ मई, १९६० और ७ फरवरी, १९६१ को जो प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री व उपमंत्री प्लानिंग को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम उप-मंत्री (श्री वसी नकवी)—केवल दिनांक १०-३-६० और ५-५-६० के पत्र ही प्राप्त हुये थे। दिनांक ७-२-६१ का पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इन पत्रों पर विचार किया गया। केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार अब विकास खंडों के खुलने में प्राथमिकता उन्हीं खंडों को दी जाती है जिनमें सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध हों ताकि वहां ब्लाक खुलने पर उन साधनों का अन्न उत्पादन में शीघ्र ही प्रयोग किया जा सके, जिससे कि देश की खाद्य समस्या शीघ्र हल हो सके। इस आधार पर समस्त छाया खंडों को प्राथमिकता देने के लिये यह मामला अन्तरिम जिला परिषद् गोरखपुर में रक्खा गया। चूंकि धानी छाया खंड में केवल ३६०० एकड़ में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध थे इसलिये अन्तरिम जिला परिषद् ने समस्त छाया खंडों की स्थिति देखते हुये धानी छाया खंडों के खुलने में बारहवीं प्राथमिकता दी है। इसके अनुसार इस विकास खंड के खुलने की सम्भावना १-१०-६२ तक है।

**२—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार दिनांक १४ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न २८-२९ के उत्तर व पूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता ने १५ सितम्बर, १९६० को विकास खंड खोलने के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया था उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वसी नकवी—इस पत्र पर जिले से एक नक्शा मगाया गया था जिसमें कि समस्त खंडों का क्षेत्र व स्थिति दिखाई हुई थी। इस नक्शे को देखने से यह मालूम होता था कि धानी छाया खंड जिला गोरखपुर और जिला बस्ती की सीमा पर बसा हुआ है। उपरोक्त पत्र में धानी छाया खंड की तुलना जिला बस्ती के खंडों से की गयी है जिसका कि प्रश्न ही नहीं उठता है जबकि नये विकास खंड वर्तमान नीति के अनुसार प्रथम वहां खोले जाते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। जिला बस्ती के मेंहदावल और खलीलाबाद विकास खंडों को छोड़कर धानी छाया खंड गोरखपुर जिले के चार विकास खंड ब्रिजमनगंज, फरेंदा, कमपीरगंज, और कोरिया से मिला हुआ है, जिनमें से केवल दो विकास खंड ब्रिजमनगंज और फरेंदा ही अब तक खुले हैं और शेष दोनों अभी छाया स्तर पर हैं अतः यह कहना कि धानी छाया खंड चारों तरफ से खुले हुये विकास खंडों से घिरा हुआ है, उचित प्रतीत नहीं होता है।

**३—श्री गौरीराम गुप्त—क्या यह सही है कि उपर्युक्त जगह में छाया ब्लाक को विकास खंड के रूप में करने के लिये प्लानिंग आफिसर गोरखपुर ने प्राथमिकता देने की सिफारिश की है और क्या यह भी सही है कि श्रम तथा विकास मंत्री ने उपर्युक्त जगह में छाया ब्लाक को विकास खंड में परिवर्तित करने के लिये कोई आदेश डेवलपमेन्ट कमिश्नर उत्तर प्रदेश को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वसी नकवी--जी हां, यह सही है कि रानी छापरा खण्ड को शीघ्र ही खोलने के विषय में जिला नियोजन अधिकारी गोरखपुर का पत्र प्राप्त हुआ था और उनको प्रश्न १ के उत्तर में दी हुई स्थिति के अनुसार उत्तर भेज दिया गया था। यह भी सही है कि विकास मंत्री जी के यहां से भी इस विषय पर विचार करने के लिये एक सन्दर्भ प्राप्त हुआ था। उनको भी इस छापरा खण्ड की स्थिति से अवगत करा दिया गया था और विकास मंत्री जी ने भी पूरी स्थिति प्रश्नकर्ता को समझा दी थी।

श्री गौरीराम गुप्त--श्रीमन्, आज के जवाब में यह बताया गया है कि ३ हजार ६०० एकड़ में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और गोरखपुर जिले के पंचायतराज विभाग की तरफ से जो किताब छपी है उसमें ७ हजार ५४४ एकड़ सिंचित क्षेत्र बताया गया है, तो इन दोनों में कौन-सा सही है?

श्री वसी नकवी--३ हजार ६०० एकड़ की जो संख्या दी हुई है यह उस समय की है जब प्रोपोजल्स बने थे, जब सूचना आई थी कि जिले में कहां-कहां इस आधार पर खोले जायं कि जहां सिंचाई के साधन ज्यादा हों, यह उस समय की फिगर्स हैं। बीच में कुएं भी बन सकते हैं, ट्यूबवेल भी बन सकते हैं और मुमकिन है कि नहर वगैरह का भी कुछ हिस्सा आ गया हो।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि जब सितम्बर में मैंने यह सवाल किया था तो माननीय उप मंत्री ने यह कहा था कि अगर माननीय सदस्य प्रार्थना-पत्र देंगे और प्लानिंग आफिसर प्राथमिकता देने के लिये लिख देंगे तो हम वहां तत्काल ब्लाक खोल देंगे?

श्री वसी नकवी--सितम्बर के महीने में जो उप मंत्री जी थे उनसे तो मेरी बात हुई नहीं है और यह सवाल तो एक नया सा सवाल मालूम पड़ता है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों को ऋण-भार से मुक्त करने के लिए प्रार्थना

****४--श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा **श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जातियों को ऋण भार से मुक्त कराने हेतु और उनके आर्थिक विकास के लिये क्या प्रदेशीय सरकार वित्तीय वर्ष विकास निगम की स्थापना शीघ्र करने पर विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी नहीं।

काठगोदाम के टूरिस्ट रिसेप्शन सेण्टर को टूरिस्ट सब-ब्यूरो बनाने की प्रार्थना

****५--श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पिछले वर्ष सन् ६० की जुलाई १६ को यू० पी० टूरिस्ट कौंसिल की पांचवीं बैठक में के ६ (जी) प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया था कि काठगोदाम जिला नैनीताल के टूरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर को, टूरिस्ट सब-ब्यूरो बना दिया जाय? यदि हां, तो अभी तक उक्त निश्चय को कार्यान्वित न करने का क्या कारण है?

श्री वसी नकवी--टूरिस्ट कौन्सिल ने इस विषय पर केवल यह प्रस्ताव किया था कि विकास आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जाय और इसके लिये आवश्यकतानुसार कर्मचारी भी दिये जायं।

धनाभाव तथा इस विषय के Non-Planed Item होने के कारण प्रस्तावित सब-ब्यूरो बनाना अभी सम्भव नहीं है।

श्री हरिदत्त काण्डपाल--क्या यह सही है कि विकास आयुक्त ने जांच कर ली है और जांच करके उन्होंने यह बात सही पाई कि काठगोदाम में टूरिस्ट ब्यूरो खोलना नितान्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है और यह जांच उन्होंने वर्तमान बजट के पेश होने के पूर्व ही दे दी थी, तो क्या कारण है कि इस बजट में धन की व्यवस्था नहीं की गई ?

श्री वसी नकवी--मैंने जो जवाब दिया है वह यू० पी० टूरिस्ट कौन्सिल के सुझाव की बाबत है कि उन्होंने जो सुझाव दिया था वह यह था कि अगर जरूरत समझी जाय तो खोला जाय और यह विषय उनको सौंपा गया था, उनका कहना था कि धनाभाव की वजह से और नान प्लांड आइटम होने की वजह से उसके लिये रुपया नहीं है और यह भी कहा जाता है कि अल्मोड़ा में एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर है और वहां एक रिसेप्शनिस्ट है और रानी खेत में एक असिस्टेंट रीजनल टूरिस्ट आफिसर है और नैनीताल में एक रीजनल टूरिस्ट आफिसर है, ये सब मिल कर उस रीजन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और काठगोदाम के बारे में जो आपने कहा, वहां कोई ज्यादा काम नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इस बात को देखते हुए कि टूरिज्म पहाड़ की सबसे मुख्य इंडस्ट्री आजकल है, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो नान-प्लान्ड आइटम इसको बताया है तो इसको प्लान आइटम करके इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाय और काठगोदाम में टूरिस्ट सब-ब्यूरो खोला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान टूरिज्म के इस व्यवसाय को अधिक मात्रा में बढ़ाने की ओर गया है और उत्तरोत्तर उसका यह प्रयास है कि यह पहाड़ी क्षेत्र जो काफी मात्रा में टूरिस्ट्स को अपने बीच में आमंत्रित कर सकते हैं, यह इस तरह से विकसित किये जायं और टूरिज्म को बढ़ाने के लिये वे सारी सुविधायें जो आधुनिक देशों में उन जगहों पर जहां टूरिस्ट सेन्टर्स हैं प्राप्त होती हैं वे यहां भी दी जायं और उसी तरह यहां भी टूरिज्म को बढ़ाया जाना चाहिये। उसको इस योजना के अन्दर और बाहर जितना सम्भव कार्य टूरिज्म को बढ़ाने के लिये कर सकते हैं उसके लिये सरकार विचार कर रही है और आशा है कि उचित मात्रा में इस टूरिज्म को बढ़ाने का भारी प्रयास इन आगे आने वाले सालों में किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मुख्य मंत्री जी ने अभी नैनीताल के भाषण में कहा था कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिये हम और प्रयत्नशील हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह देखते हुए कि नैनीताल में होटल भी हैं, सरकार की भी काफी इमारतें खाली पड़ी हैं सेक्रेटेरियट के न जाने से और अल्मोड़े में अच्छे होटल नहीं हैं, ज्यादा तवज्जह इधर देंगे कि अल्मोड़ा और रानीखेत में टूरिस्ट्स के ज्यादा घर बन सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नैनीताल कुमायूं का नर्व सेन्टर रहा है इसलिये उसके सिलसिले में तो हमारा पूरी मात्रा में ध्यान है। लेकिन अल्मोड़ा या अन्य पहाड़ी क्षेत्र भी हमारी नजरों से इस कार्य के बढ़ाने के सिलसिले में ओझल नहीं हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मंत्री जी बतायेंगे कि काठगोदाम टूरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर में प्रति वर्ष कितना खर्चा पड़ता है और टूरिस्ट सब-ब्यूरो बना देने पर कितना खर्चा पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--खर्चे का ब्योरा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यदि कुछ ज्यादा भी खर्चा करना पड़ेगा तो सरकार कोई गुरेज नहीं करेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—प्रश्न यह है कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर टूरिस्ट सब-ब्यूरो बना दिया जाय। मंत्री जी ने कहा अभी यह सम्भव नहीं है। तो यह मान लिया गया है कि यह जरूरी है अगर अभी सम्भव नहीं है तो मंत्री जी बतायें कि भविष्य में कब तक सम्भव हो सकेगा ?

श्री वसी नकवी—माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया है। इस तरफ ध्यान दिया जायगा तो उस सिलसिले में यह भी देखा जायगा।

रफी अहमद किदवाई मेमोरियल अस्पताल, बाराबंकी में टी० बी० वार्ड खोलने का विरोध

६—श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी में टी० बी० वार्ड शहर में सड़क के किनारे ही बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसे शहर के बाहर न बनाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—रफी अहमद किदवाई मेमोरियल अस्पताल बाराबंकी में एक १० शय्याओं का वार्ड बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यह अस्पताल सड़क के किनारे है परन्तु शहर की आबादी से कुछ दूरी पर है।

इस वार्ड को शहर के बाहर न बनाने का कोई विशेष कारण नहीं है। केवल १० शय्याओं का एक वार्ड यदि शहर के बाहर बनाया जाय तो उसकी देखभाल और मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था सुचारु रूप से न हो पाने की सम्भावना अधिक है और धन भी अधिक व्यय होगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सकों के मत में यदि क्षय चिकित्सालय शहर के बीच में स्थापित कर दिया जाय तब भी क्षय रोग के फैलने का कोई डर नहीं है। क्योंकि अब हर चिकित्सालय में Disinfection के आधुनिक साधन प्रयोग में लाये जाते हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि फिजियोलाजी, पैथालोजी ऐण्ड बैक्टीरियोलोजी आदि पुस्तकों के उदाहरण से आधुनिक चिकित्सक यह राय देते हैं कि क्षय रोग का अस्पताल शहर या गांव के बीच में न रह कर बाहर बनाया जाय कितना ही डिसइनफेक्शन किया जाय तब भी मरीजों की लापरवाही और स्वास के कारण इस संक्रामक बीमारी के फैलने का खतरा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रफी अहमद किदवाई अस्पताल खुले मैदान में बसा हुआ है और शहर से दूरी पर बसा है।

जहां तक विशेषज्ञों की राय का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अब विशेषज्ञों की राय वह नहीं रही है कि क्षय रोग के अस्पताल कहीं दूर-दूर स्थान पर बनाये जायं। वह शहर में भी स्थापित किये जा सकते हैं और उनके स्थापित होने से यह संक्रामक रोग कोई आगे बढ़ नहीं सकता है या फैल नहीं सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने किन विशेषज्ञों की राय ली है जिनके अनुसार यह रोग शहर के बीच में रहते हुए भी संक्रामक नहीं हो पाता ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं विशेषज्ञों का नाम क्या बताऊं जो आधुनिक डाक्टर हैं जो कि हमारे ही अस्पतालों में काम करते हैं जिन्हें विदेशों में जाने का अवसर मिला है और रोजमर्रा विदेशों में जो तजुर्बे होते हैं उन तजुर्बों का जो अध्ययन करते हैं उन सब की यही राय है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि यह अस्पताल १० शय्याओं वाला अब शहर में ही बन रहा है तो पहले इसके बाहर बनाने की योजना क्यों बनायी गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाहर बनाने की योजना तो बनायी नहीं गयी थी और उसका मुख्य कारण तो यह है कि १० शय्याओं का वार्ड अगर शहर के बाहर बनाया जाय तो उसके रखरखाव की कास्ट कहीं अधिक होगी बनिस्बत उस कास्ट के जो कि इस अस्पताल में ही इस वार्ड को रखने में होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरों की राय में जो यह परिवर्तन हुआ कि अब वह रोग इतना संक्रामक नहीं है कि शहर में रखने से खतरा हो वह किस आधार पर हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने ऐसी दवायें निकाल ली हैं कि जिनसे जो संक्रामक रोग बढ़ता वह जिस स्थान से निकलता है वहीं दबाया जा सकता है।

कुमायूं उत्तराखण्ड के भूमिहीनों को तराई भावर में बसाने का सुझाव

**७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने पिछले ६ मास के अन्दर मुख्य मंत्री के परामर्श पर कुमायूं उत्तराखंड के भूमिहीनों को तराई भावर में बसाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस समय कुमायूं उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वहां के जो भूमिहीन हैं उनको इस दृष्टिकोण से भूमि दिया जाना आवश्यक है कि चूंकि वहां निरन्तर यह प्रचार हो रहा है कि चीन में भूमिहीनों को तिब्बत में जमीन मिल गयी है और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव वहां के भूमिहीनों पर पड़ रहा है और इसी दृष्टिकोण से भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी इस प्रकार की राय दी है कि सरकार का एक ऐसी योजना बनाने का विचार है जिससे कि वहां के भूमिहीन तराई भावर में बसाये जा सकें ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जैसा कि उत्तर में कहा गया, फिलहाल तो कोई विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करेगी कि कुमायूं उत्तराखंड के भूमिहीनों को बसाने के लिये वहां की विशेष स्थिति को देखते हुए कोई योजना बनायी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में अभी कितनी जमीन उपलब्ध है उसकी जानकारी प्राप्त करने के आदेश दिये हैं। अभी कल ही मैंने नैनीताल के जिलाधीश से बातें की थीं और जब सारे आंकड़े जमीन इत्यादि उपलब्ध हो जायेंगे तो इस बात की चेष्टा की जायगी कि उत्तराखंड के भूमिहीनों को कितनी मात्रा में हम भूमि दे सकते हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि तराई भावर में बहुत से भूमिहीन कुछ जमीन पर थे और जो दूसरी फालतू जमीन थी उस पर कुछ गलत लोग काबिज हो गये हैं ? तो क्या इस बात को देखते हुए कि उत्तराखंड के भूमिहीनों को और जो भूमिहीन अभी वहां बसे हुए हैं उनको अधिक जमीन मिल सके उस भूमि को खाली कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नया कानून जो इस सदन ने बनाया है उसके मुताबिक़ कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस सम्बन्ध में नैनीताल जिले के जिलाधीश के अलावा जो और कुमायूं उत्तराखंड क्षेत्र के नजदीक क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे बिजनौर, सहारनपुर और देहरादून क्या वहां की भी रिपोर्ट सरकार ने मांगी है कि वहां कितनी जमीन प्राप्त हो सकती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी मैंने उनसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। मैं माल मंत्री जी से अपने दौरे के बाद कुछ बातें निवेदन करने वाला था। तो मैं उनसे कहूंगा कि वे इस बात की भी जानकारी प्राप्त करें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पिपराइच शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड पर मजदूरों का बकाया वेतन

*१--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) --क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले में पिपराइच नामक स्थान पर स्थित Piparaich Sugar Mills Co., Ltd., (Paper and General Engineering Section) Piparaich Gorakhpur के मालिकों पर उक्त प्रतिष्ठान के मजदूरों के वेतन का ३०,००० रुपये बकाया तथा लेबर कोर्ट का अवार्ड भी ४,२०० रुपये का गत कई वर्षों से है?

श्री वसी नकवी--जी हां।

*२--**श्री मदन पांडेय**--क्या यह सही है कि उक्त मिल अब लखनऊ के किसी फर्म को बिक गयी है तथा उठने लगी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिष्ठान के जिम्मे जो रकम है उसे दिलाने का कोई प्रयत्न कर रही है?

श्री वसी नकवी--जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त मिल लखनऊ के पेपर मिल के हाथ बिक गई है जो उक्त मिल को वहीं चलाने का प्रयत्न कर रही है।

जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जैसा कि प्रश्न से ही स्पष्ट है कि कई वर्षों से बाकी चला आ रहा है तो उसे वापस दिलाने का प्रयत्न कब से आरम्भ हुआ है और इसमें कितनी सफलता अब तक आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में प्राप्त हुई है?

श्री वसी नकवी--श्रीमन्, इसकी एक हिस्ट्री है और जवाब देने में कुछ समय लगेगा। अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। बात यह है कि यह शक्कर की मिल सन् ५१ तक रही और सन् ५४ में इन्होंने पेपर मिल भी इसमें एड किया। पेपर मिल फिर बाद में बन्द हो गई। उसकी इमारत वगैरह सब एक इकबाल बहादुर श्रीवास्तव को सन् ५६ में लीज कर दी गई। इस बीच में जिन लोगों ने उस मिल को लिया था उन्होंने बकाया मशीन की कीमत की बम्बई हाई कोर्ट में अपनी डिक्री करा ली, उनका दाम मशीन का बाकी था। इसी बीच में सन् ५६ में इन्कमटैक्स वगैरह के सिलसिले में यह जायदाद सब कुर्क करा ली गई थी। चल और अचल सम्पत्ति सब कुर्क करा ली गई। हाईकोर्ट से फिर स्टे आर्डर आ गया। स्टे आर्डर आ जाने

के बाद वह प्रापर्टी छूट गई और उनको मिल गई जो बम्बई के थे, जिन्होंने वह मशीन फिट की थी। उसके बाद उन्होंने उसको पेपर मिल के हाथ बेच दिया। अब हमारी तरफ से यह कोशिश हो रही है, लीगल ओपीनियन ली जा रही है कि किस तरह से इसे वसूल किया जाय जबकि वह इसे बेच चुके हैं, और दूसरे तरीकों से बतौर फाइन और रेवेन्यू की वसूली की तरह पर दूसरी जो इनकी सम्पत्ति बची हुई है कोशिश की जा रही है कि उससे वसूल किया जाय। इसके साथ-साथ इन्कम टैक्स का लगभग ८५ हजार रुपया इनके ऊपर बाकी पड़ा हुआ है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस मिल के बन्द होने पर केन सेस के भी रुपये उसके जिम्मे बकाया थे और केन-सेस के रुपये की वसूली के लिये तो कार्यवाही हुई लेकिन मजदूरों का जो ३० हजार रुपया वेतन का तथा ४,२०० रुपया एवार्ड का था उसको वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई? और अब जो कार्यवाही की जा रही है वह किससे वसूल करने के लिये की जा रही है? क्योंकि इस मिल का मालिकाना कई आदमियों के बीच में तब्दील हो चुका है। तो अब यह मालिकाना किसका माना जा रहा है और किसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है?

श्री वसी नकवी---मैंने बताया कि इसमें कानूनी सलाह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हासिल कर रहे हैं और जो प्रापर्टी उनकी बची हुई है जिनके यहां यह मशीन फिट हुई थी उससे बतौर लैंड रेवेन्यू के वसूल करने की कोशिश की जा रही है।

भटनी तथा देवरिया जिले की अन्य चीनी मिलों में गन्ने की पेराई

*३---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार दिनांक १० अप्रैल, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २---३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि क्या भटनी शुगर मिल के बन्द हो जाने के फलस्वरूप उस क्षेत्र का लाखों मन गन्ना खेतों में पड़ा रह जायेगा? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

सूचना उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---वर्तमान सीजन में भटनी चीनी मिल अपने क्षेत्र का समस्त गन्ना पेर कर १७-४-६१ को बन्द हुई। सिवरही क्षेत्र के एलाट किये गये गन्ने में से यह मिल केवल १.३४ लाख मन गन्ना नहीं उठा सकी जिसकी खपत की व्यवस्था अन्य मिलों द्वारा की गई है। अतः गन्ना शेष रहने का प्रश्न नहीं उठता।

*४---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या यह सही है कि देवरिया जिले की शुगर मिलों की पेराई अप्रैल व मई, १९६१ में बन्द होने से किसानों का बहुत ज्यादा गन्ना खेतों में पड़ा रह जायेगा? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी---भटनी चीनी मिल के अतिरिक्त देवरिया जिले की अधिकांश मिलें मई के अन्तिम सप्ताह तक तथा कप्तानगंज एवं सिवरही मिलों के जून में भी कुछ दिन चालू रहने की सम्भावना है। अनुमान है कि मिलों के बन्द होने तक सारा गन्ना पेरा जा चुकेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १३४ हजार मन गन्ना जो भटनी मिल का बाकी रह गया है देवरिया जिले का वह खेतों में सूख रहा है, उसके लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है? उनका जो नुकसान हो रहा है वह कैसे पूरा होगा?

श्री रऊफ जाफरी---माननीय सदस्य अगर जवाब को पढ़ें तो उनको मालूम होगा, यह कहा गया है कि १ लाख ३४ हजार मन गन्ना भटनी मिल ने नहीं उठाया लेकिन वह दूसरी मिलों को भेज दिया गया और अब गन्ना वह बाकी नहीं है, सब पेर दिया जायगा।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि अभी कल ही श्री गेंदासिंह जी का दफा ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव लिया गया है जो माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है ? उसमें केन कमिश्नर तथा इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से यह संकेत मिलता है कि बहुत सी मिलें बन्द हो रही हैं ? तो क्या माननीय मन्त्री जी १, २ मिल जून में चलाने के बजाय जो मिल बन्द होने वाली हैं उनमें बचे हुये गन्ने को बांट कर उस गन्ने को जल्दी ही समाप्त करने की योजना पर विचार करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--वह स्टेटमेंट तो कल दिया जायगा। उस वक्त पूरा जवाब हो जायगा लेकिन यह अन्दाजा सही नहीं है कि ज्यादा मिलें बन्द हो रही हैं। कोशिश यह हो रही है कि सब गन्ना पेर जाय। मुमकिन है सब गन्ना पेर जाय। जैसा कहा गया कुछ मिलें देवरिया और गोरखपुर में मई के आखिरी हफ्ते में बन्द हो रही हैं। तीन मिलें और हैं जो बाद तक चलेंगी। कठकुइयां पहली जून तक बन्द होगी और दो मिल और हैं जो जून में चलेंगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बतायेगी कि जो गन्ना बाकी रह गया है उसके लिये मिल वाले इस फेर में हैं कि उसके दाम घटाकर वह गन्ना पेरा जाय तब बन्द करेंगे ? क्या सरकार उनको पूरा दाम दिलाने की कोशिश करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही है कि मिल वालों ने इस तरह का आवेदन-पत्र दिया है क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट ने मिलों के लिये, जो अभी मई जून में चलेंगी उनके सम्बन्ध में कुछ कीमत घटाने की बात का निर्णय किया है और शायद सेस के विषय में भी कुछ किया है। उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है लेकिन अभी तक इस सरकार ने कोई भी इस बात का आश्वासन उन्हें नहीं दिया है कि गन्ने की कीमत घटाई जाय या सेस में से कुछ कटौती की जाय। अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--देवरिया में १४ मिलें हैं उसमें लगभग ८, १० अभी इस समय तक चल रही हैं। भटनी चीनी मिल १७ अप्रैल को बन्द हो गई क्योंकि उसका गेट एरिया जो भाटपार में पड़ता है उसे काट कर बगलवाली फैक्टरी प्रतापपुर को दे दिया था जिसकी वजह से गेट एरिया की कमी हुई और शिवरहा मिल ने जो १ लाख १४ हजार मन गन्ना नहीं उठाया वह इसलिये नहीं उठाया कि गेट एरिया न होने से मिल का चलना नामुमकिन था और गन्ने की कमी की वजह से वह बन्द हुआ है तो क्या मुख्य मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--यह सही है कि भाटपार का इलाका भटनी से ले लिया गया था लेकिन अब वह उसी के पास है।

श्री उग्रसेन--क्या यह सूचना है कि देवरिया चीनी मिल बन्द हो गई और शिवरहा भी बन्द है। २॥ लाख मन गन्ना देवरिया का पड़ा हुआ है ? इस गन्ने को उन्होंने कहां भेजा है ? और इसके लिये उन्होंने क्या व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ब्योरेवार मुझे सूचना नहीं है। केन कमिश्नर को यह आदेश दे दिया गया है कि जहां-जहां गन्ना बाकी है उसको दूसरे मिलों में वितरित करके पेरने का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जाय और हमें इस बात की आशा है कि वह अपने इस काम में सफलता पायेंगे।

श्री अब्दुलरऊफ लारी--क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि अब की साल मिलों में गन्ना कम पेरा गया है, बहुत ज्यादा गन्ना खेतों में रहा है तो उसका खास कारण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक पेराई का सवाल है इस साल जितना गन्ना पेरा गया है इससे पहले कभी नहीं पेरा गया था। ३६ करोड़ १७ लाख मन गन्ना पेरा जा चुका है जबकि पिछले साल पूरे सीजन में ३४ करोड़ मन गन्ना पेरा गया था। यह पिछला सप्ताह जो ३०

तारीख को खत्म हुआ है उसमें १ करोड़ ५२ लाख कुछ हजार मन गन्ना पेरा गया जबकि उसी हफ्ते में पिछले साल ७२ लाख मन गन्ना पेरा गया था। तो इस सूरत में गन्ना ज्यादा क्रश हो रहा है। यह भी मैं कई दफा कह चुका हूं कि इस बात को पूरी कोशिश की जायगी कि पूरा गन्ना पेरा जाय लेकिन कठिनाई यह है कि गन्ने की खेती बढ़ती जाती है और उसमें उसको पूरा क्रश करने में दिक्कत हो रही है। इस सिलसिले में मिलों की कैपेसिटी जो है वह है और फिर यह भी होता है कि बाज ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि जो इत्तफाकिया होती है कि किसी मिल में बायलर में खराबी हो गई या और कमी हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह उम्मीद की जा सकती है कि करीब-करीब कोई गन्ना नहीं बचेगा और सब पेर जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मिल मालिकों के आवेदन-पत्र जो किसानों के गन्ने की कीमत कम की जायगी उससे किसानों का जो नुकसान होगा उसे क्या सरकार पूरा करने का विचार कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी--यह कैसे फर्ज कर लिया गया कि कीमत कम कर दी जायगी? यह तो नहीं कहा गया कि कीमत कम की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--जब यह शिकायत है कि किसानों का गन्ना मिलों के मालिक नहीं ले रहे हैं और वह इसमें आनाकानी इसलिये कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार को कीमत घटाने के लिये आवेदन-पत्र दे रखा है और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार कोई निर्णय ले, तो क्या सरकार शीघ्र निर्णय लेकर उनको बता देगी कि कीमत नहीं घटाई जायगी ताकि वह गन्ना लेना शुरू कर दें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी तो सरकार का परम कर्तव्य है कि किसी तरह से किसानों का सारा गन्ना पिर जाय। अगर वह और हम इसी आनाकानी में पड़े रहे तो गन्ना पिरेगा नहीं और उससे किसानों का नुकसान होने वाला है। हमने तो इस पर अभी कोई निर्णय लिखा नहीं। चूंकि उन्होंने बिहार सरकार का उदाहरण दिया है इसलिये हमने उनसे कहा है कि हम पहले वहां से सूचना प्राप्त कर लें फिर इस बात पर विचार करेंगे। आप क्यों चाहते हैं कि हम साफ-साफ यह कह दें। क्या आप चाहते हैं कि गन्ना न पेरा जाय?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--यह क्या सूचना सरकार को अभी मिली है कि देवरिया मिल, जिसकी चर्चा इस प्रश्न में है, वह आज बन्द हो गई है और वह इसलिये कि वह अपने फार्म का गन्ना अधिक पेर रहे थे। दूसरे किसानों ने उन्हें रोका कि अपने फार्म का गन्ना न पेर कर के पहले छोटे किसानों का गन्ना लिया जाय और केन कमिश्नर के आदेश भी इसी तरह के हैं। उसे उन्होंने नहीं माना और इसलिये उस कावट पर आज उन्होंने मिल बन्द कर दी है। इसकी कोई सूचना सरकार को है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे तो इस बात की कोई सूचना नहीं मिली। कल गेंदासिंह जी ने मुझे कुछ बतलाया था, लेकिन सुबह मैं वहां जा रहा था और नहीं जा सका, इसलिये कोई सूचना भी प्राप्त नहीं कर सका।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि मिल मालिकों का निवेदन है कि गन्ने का दाम घटाया जाय और उन्होंने यह भी कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि गन्ने का दाम घटाया जाय या सेस के सिलसिले में कुछ छूट दी जाय। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह समझती है कि दोनों में से किसी एक जगह कोई न कोई रिआयत देना जरूरी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने कोई चीज इस लिये नहीं की है कि इस समय उसका यह परम कर्त्तव्य है कि गन्ना किसी न किसी तरह से पेरा जाय और किसान का गन्ना खेत में सूख न जाय या जलाया न जाय।

*५-६--**श्री सुरथबहादुरशाह** (जिला खीरी)--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

महोरा ग्राम में दो मकानों का धंस जाना

*७--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम महोरा, तहसील व जिला जालौन में अप्रैल, १९६१ के प्रथम सप्ताह में कुछ मकान जमीन धंस जाने के फलस्वरूप जमीन की तह से नीचे चले गये हैं?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

जमीन फटने के कारण दो मकान जमीन के अन्दर धंस गये हैं।

*८--**श्री गरीबदास**--यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह--४ अप्रैल, १९६१ को लगभग १० बजे दिन में एक मकान का फर्श कुछ धंस गया था परन्तु उस मकान के रहने वालों ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आधी रात को उस मकान के तीन कमरे तथा पड़ोस के मकान के दो कमरे उसके अन्दर रखे सामान सहित जमीन की सतह के नीचे चले गये। जमीन धंसने की क्रिया में किसी प्रकार का कम्पन या ध्वनि नहीं थी और जब तक मकान में रहने वाले जगे तब तक यह घटना घटित हो चुकी थी अतः कोई यह देख नहीं पाया कि यह घटना कैसे हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली घटना घटने के बाद और दूसरी घटना के बीच में जब सरकार को इसकी जानकारी हो गई थी कि इस प्रकार जमीन धंसती चली जा रही है तो क्या उसने कोई इंक्वायरी कराई? यदि हां, तो इसका परिणाम क्या निकला?

श्री हुकुमसिंहविसेन--इसके दरमियान में सरकार को कोई इत्तला नहीं हुई।

श्री गरीबदास--मान्यवर, बरसात के बाद एक मकान उस गांव में और धंस गया जिसकी सरकार को सूचना दी गई थी और उसकी जांच भी हुई थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट आज तक हमारी सरकार द्वारा क्यों नहीं बताई गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इर्रीगेशन के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उनको लिख दिया गया है और अब उनकी रिपोर्ट का इन्तजार है।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मकान जमीन में चले गये और उसके कारण कितने जन तथा धन की हानि हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दो मकान हैं जिनमें एक के दो कमरे जमीन में धंस गये और एक का एक कमरा। जन को क्षति नहीं हुई है। कुछ धन की जरूर क्षति हुई है उसके लिये ५०० रुपये तकावी के दिये जायेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मन्त्री जी अपने विशेषज्ञों से इस बात की भी जांच करायेंगे कि जमीन धंस जाने का कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह भी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को आदेश दिये गये हैं कि वे इसको भी दरियाफ्त करें।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह घटना कब की है और जांच कब से हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह उत्तर में दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिये।

[११ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

लखनऊ में "स्टेट बनाम बेगम सईदजहां मख्फी केस" में सरकारी वकीलों का पारिश्रमिक

*१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय ऐडीशनल सेशन जज लखनऊ में सेशन ट्रायल नं० २३, १९६० स्टेट बनाम बेगम सईदजहां मख्फी आदि सरकार की ओर से कितने वकील पैरवी कर रहे हैं और इन पैरवी करने वाले वकीलों को पारिश्रमिक क्या दिया जाता है ? यह पारिश्रमिक प्रतिदिन, प्रतिमास या प्रति मुकदमा किस प्रकार निश्चित है ?

श्री धर्मसिंह--इस केस में सरकार की ओर से दो वकील विशेष रूप से पैरवी कर रहे हैं। ज्येष्ठ वकील श्री जगत बहादुर तथा सहायक वकील श्री महाबीर सिंह कोतवाल को पारिश्रमिक १०० रुपये तथा २४ रु० प्रति दिन क्रमशः मिलते हैं। जिन दिनों वह कोर्ट में उपस्थित होते हैं।

*२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त मुकदमें में जो भी वकील सरकारी हैं जब इनकी नियुक्ति सरकारी वकील के पद पर की गई तब इनकी प्रैक्टिस (सिविल तथा क्रिमिनल) कितने वर्षों की रही है ?

श्री धर्मसिंह--ज्येष्ठ वकील श्री जगतबहादुर तथा सहायक वकील श्री कोतवाल की सिविल तथा क्रिमिनल प्रैक्टिस उक्त केस में नियुक्त होने के पूर्व लगभग २५ वर्ष तथा ५ १/२ वर्ष क्रमशः थी।

*३--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या न्याय मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति के समय जिले के किस क्रम में नाम आये और सरकार द्वारा किस क्रम में मंजूर किये गये, इन दोनों कागजों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--ज्येष्ठ वकील की नियुक्ति सरकार ने सी० आई० डी० के सुझाव पर की। केस की गहनता तथा महत्ता को देखते हुये सरकार ने एक और वकील की आवश्यकता समझ कर ज्येष्ठ वकील के सुझाव पर श्री कोतवाल को सहायक वकील नियुक्त किया। ऐसी नियुक्तियों के लिये जिले से नाम नहीं भेजे जाते हैं। अतः इस केस में जिले से न तो नाम भेजे ही गये और न उनके क्रम से स्वीकार करने का प्रश्न ही हुआ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकारी वकीलों को पारिश्रमिक जो दिया जाता है वह निश्चित होता है ? यदि हां, तो यह जो १०० रुपये और २४ रुपये क्रमशः मेहनताना दिया जाता है वह उससे कम है या ज्यादा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ज्यादा है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बतायेगी कि केस की गहनता और महत्ता को देखते हुये रुपये को बढ़ा देने से उनकी योग्यता किस प्रकार बढ़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह डी० जी० सी० क्रिमिनल्स की ड्यूटी में नहीं आता, इस लिये उसके लिये उनको स्पेशल फीस देना पड़ती है।

श्री शिवप्रसाद नागर--जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि दो वकील विशेष रूप से पैरवी कर रहे हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि विशेषरूप से तो दो वकील पैरवी कर रहे हैं, मगर और कितने हैं जो पैरवी कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--विशेष के ही बारे में पूछा था, वह दो थे, तीसरा तो कोई था नहीं।

वृद्धावस्था पेन्शन परामर्शदात्री समिति के सुझाव

*४--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वृद्धावस्था पेंशन समिति की बैठक तारीख २३ फरवरी, १९६१ को श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में हुई थी ? यदि हां, तो उस बैठक में समिति ने श्रम मन्त्री को क्या-क्या सुझाव दिये ?

श्री वसी नकवी--वृद्धावस्था पेंशन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में २३-२-६१ को नहीं बल्कि २४-२-६१ को हुई थी।

समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये--

(१) सगे भाई का पुत्र, पति का सगा भाई तथा पिता के सगे भाई का पुत्र वर्जित श्रेणी के सम्बन्धियों से अलग कर दिये जायं।

(२) विधवा स्त्री के सम्बन्ध में सगा भाई भी हटा दिया जाय।

(३) यदि प्रार्थी के वर्जित श्रेणी के सम्बन्धी साधु या फकीर हो गये हों तो उसको पेंशन दी जाय।

(४) श्रमायुक्त को प्रदेश के अन्दर पेंशनर का पता बदलने का अधिकार दिया जाय।

(५) प्रार्थना-पत्र देने के नियम में प्रार्थी की सुविधा के लिये परिवर्तन किया जाय और प्रार्थना-पत्र ब्लाक डेवलेपमेंट आफिसर एवं भारत सेवक समाज जैसी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी लिये जायं।

श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर में ५ नं० के सुझाव को जो नहीं पढ़ा है मन्त्री जी ने, तो क्या जो भी सुझाव समिति ने दिये थे सरकार ने उन सभी को स्वीकार कर लिया है ?

श्री वसी नकवी--जी हां, यह सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं और लेबर कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया है।

श्री ऊदल--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समिति ने जो पेंशन पाने वालों के लिये उम्र की कैद रखी है ७० वर्ष, उसके सम्बन्ध में सुझाव समिति ने दिया था कि स्त्रियों के लिये ५० वर्ष और पुरुषों के लिये ६० वर्ष कर दिया जाय, इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या अब उसको घटा कर ५० और ६० वर्ष रखने पर विचार करेंगे ?

श्री वसी नकवी--ऐसा समिति ने कोई सुझाव नहीं रखा और कम उम्र करने की जो बात है, उसमें काफी धन लगेगा, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--मन्त्री जी बतायेंगे कि पेंशन पाने वालों की उम्र किस तरह से प्रमाणित मानी जाती है--मर्दुमशुमारी के कागजों से या किस साधन द्वारा पता लगता है कि ७० साल या इससे कम उम्र है ?

श्री वसीनकवी--सिविल सर्जन की रिपोर्ट और मदरसे का सर्टिफिकेट वगैरह पेश किया जाता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---इस बात को देखते हुये कि हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दगी, लांगेविटी, बहुत कम होती है इसलिये ७० साल को घटा कर ६५ साल करने पर विचार करने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री वसी नकवी---इस समय तो यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है और जरूरत होगी तो इस पर गौर किया जायगा ।

गुड़ विकास योजना संबंधी कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले गुड़ विकास योजना से सम्बन्धित सरकारी विभाग के हजारों कर्मचारियों को मुस्तकिल न करने का कारण क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी---गुड़ विकास योजना मुस्तकिल नहीं हुई है । अतः उसके अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को मुस्तकिल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह योजना उत्तर प्रदेश में कब से चालू है और इसको मुस्तकिल न करने के अब तक क्या कारण हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---यह पिछले कई सालों से है । इस साल इसको शेड्यूल आफ दि डिमांड में मुस्तकिल करने की बात थी, लेकिन सरकार चूंकि ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबिलाइज करने की बात सोच रही है और अभी तय नहीं हुआ है कि उसमें क्या-क्या मिलाया जायगा और क्या निकाला जायगा, इस वजह से इस साल वह स्थगित हो गया ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुये कि प्रदेश के लोगों का गुड़ खाना एक स्थायी आदत है, इसीलिये यह विभाग बनाया गया है, तो आज तक उसको अस्थायी रखने का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी---मैंने जवाब दे दिया कि अभी तक तो नहीं है लेकिन आगे सोचा जा रहा है कि उसमें अदल-बदल की जाय, तब किया जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गन्ने की ज्यादा पैदावार होने के कारण सरकार को चिन्ता हो गई है और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच पा रही है कि इसको रखा जाय या तोड़ दिया जाय, इसलिये स्थायी नहीं कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---मैंने कहा कि इसको स्थायी करने पर सोचा जा रहा है । एक स्कीम गुड़ और खांडसारी योजना के अन्दर है और यह सोचा जा रहा है कि दोनों को रखना है या दोनों को मिला देना है, क्या करना है, इसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में पांच वर्ष से ऊपर काम करने वाले कितने कर्मचारी इस वक्त हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री गेंदासिंह---क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जहां विकास विभागों और दूसरी जगह हर प्रकार से वृद्धि हुई है यह विभाग क्षीण होता जा रहा है तो सरकार का इरादा यह तो नहीं है कि इस विभाग को बन्द कर दिया जाय या घटा दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी--मैं इसका जवाब दे चुका कि यही नहीं बल्कि इसके अलावा एक और स्कीम प्लान के अन्दर है और यह प्लान के बाहर है तो स्कीम को तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। गन्ने की खेती भी बढ़ती जा रही है तो गुड़ को बढ़ाने और खांडसारी के मुताल्लिक भी सोचा जा रहा है।

महाराजगंज तहसील के ओला पीड़ितों की मांगों पर कार्यवाही

*६--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १८ फरवरी, १९६१ को गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के केन्द्र पर उक्त तहसील के ओला पीड़ित क्षेत्रों के पांच हजार किसानों ने प्रजा सोशलिष्ट पार्टी के नेता प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना संसद सदस्य तथा उक्त तहसील के विधायकों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था तथा ओला पीड़ित क्षेत्रों के किसानों की ओर से मांगे उक्त तहसील के तहसीलदार के सामने रखी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मांगों के संबंध में सरकार ने क्या किया ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। एक प्रदर्शन हुआ था और नायब-तहसीलदार के सम्मुख कुछ मांगें पेश की गई थीं। उन मांगों पर जो कार्यवाही की गई उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

श्री मदन पांडेय--यह जो विवरण संलग्न है इसके आइटम नं० ४ की तरफ मंत्री जी का ध्यान गया है, इसमें सरकारी मतालबों के बकाये की वसूली रोक दी गई है जहां पर फसलें एकदम नष्ट हो गईं, सरकार ने भी स्वीकार किया है तो क्या उन्हीं स्थानों पर बकाये की वसूली रोक देने का ही नहीं बल्कि बिल्कुल राइट आफ करने का फैसला सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--रुपये में आठ आने से ज्यादा नुकसान जहां होगा वहां रेमिशन और सस्पेंशन होगा लेकिन जहां इससे कम नुकसान होगा वहां नहीं होगा, क्योंकि कायदा इजाजत नहीं देता है।

श्री मदन पांडेय--इस विवरण में आइटम नं० १० पर लिखा हुआ है "मिठौरा-नन्दाभार सड़क पर जो ओला पीड़ित ग्रामों से होकर जाती है, टेस्ट वर्क खोलने के लिये आदेश दे दिया गया है" तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इतना समय बीत जाने के बाद भी--करीब ६ महीने हो रहे हैं--अभी तक उस सड़क पर टेस्ट वर्क आरम्भ हुआ है या नहीं और अगर नहीं हुआ है तो कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लेबर वहां नहीं जाता है तो कैसे आरम्भ किया जाय।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर कब लेबर को आने की सूचना दी गई थी और उस दिन कितने आदमी आये या नहीं आये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है लेकिन हमारी इतला यही है कि लेबर नहीं आया इसलिये काम शुरू नहीं हुआ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना मांगने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क के लिये बार-बार महाराजगंज की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से जिलाधीश से कहा गया जिस पर यह कहा गया कि खुलेगा मगर वह खुला ही नहीं तो जब खुला ही नहीं तो लेबर आने का प्रश्न कहां उठता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पहले लेबर आता है तब टेस्ट वर्क खुलता है।

शिक्षा केन्द्र पोलीटेक्निक वाल्मीकि मार्ग का स्टेट काउन्सिल को आवेदन-पत्र

*७—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ड्राफ्टमैन (सिविल व मैकेनिकल) के संबंध में अप्रैल, १९६० में एक आदेश स्टेट काउन्सिल के डाइरेक्टर व सेक्रेटरी की तरफ से जो श्रम विभाग से संबंधित है, निकाला गया और सभी स्कूलों को आदेश भेज दिया गया कि उन्हें सम्बद्ध (अफिलियेट) किया जायेगा, वे चाहें तो दरख्वास्त दे कर पढ़ाई में एकरूपता लाने के लिये उपर्युक्त विषय की पढ़ाई शुरू कर दें ? यदि हां, तो प्रदेश में कहां-कहां किन-किन स्कूलों में यह पढ़ाई हो रही है और कितनी दरख्वास्तें सम्बद्ध करने के लिये स्टेट काउन्सिल के पास अब तक आई हैं ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं ।

*८—श्री ऊदल—क्या सरकार के पास और स्टेट काउन्सिल के पास एक दरख्वास्त इस संबंध में १ फरवरी, १९६१ को शिक्षा केन्द्र पोलीटेक्निक ६, वाल्मीकि रोड की तरफ से उपर्युक्त पढ़ाई जो गत जुलाई से शुरू हुई है उसे सम्बद्ध करने के लिये आई है । यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वसी नकवी—स्टेट काउन्सिल के पास इस संस्था की दरख्वास्त आई थी । संस्था का निरीक्षण किया जा चुका है । निरीक्षकों का प्रतिवेदन काउन्सिल की आगामी बैठक में उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायगा ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संस्था का निरीक्षण कब किया गया और काउंसिल की आगामी बैठक कब होगी ?

श्री वसी नकवी—संस्था का निरीक्षण २१-३-६१ और ३१-३-६१ को किया गया और इसकी आगामी बैठक मई के आखिरी हफ्ते में या जून के शुरू हफ्ते में होगी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से कोई विज्ञप्ति २७ मई को जारी की गई थी कि ऐसी संस्थायें जो प्राइवेट तौर से चलाई जा रही हैं वह एफीलिएशन के लिये सरकार को दरख्वास्तें दें ?

श्री वसी नकवी—लोगों को आम तरीके से जानकारी के लिये एक प्रेस नोट जारी किया गया था कि प्राइवेट संस्थाओं को एफीलियेट किया जायेगा उसके बाद उसका प्रास-पेक्टस और यह कि किन कन्डीशन्स पर एफीलियेट किया जायगा, यह सब बाद को जारी किया गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार प्राइवेट संस्थाओं को जल्दी एफीलियेशन देगी ताकि छात्र वहां पढ़ सकें ?

श्री वसी नकवी—काउन्सिल की मीटिंग में एफीलियेशन का मामला पेश होने वाला है । इस वक्त तक २० दरख्वास्तें आई हैं । ९ की जांच हो चुकी है, बाकी ११ का मुआयना करके विचार होगा और एफीलियेशन मिलेगा ।

श्री ऊदल—प्रश्न ७ में साफ पूछा गया था कि क्या सरकार की ओर से कोई इस तरह का आदेश जारी किया गया था, तो "जी, नहीं" उत्तर का क्या कारण है ?

श्री वसी नकवी—प्रश्न में यह है कि सन् ६० में एक आदेश स्टेट कौंसिल के डाइरेक्टर व सेक्रेटरी की तरफ से जो श्रम विभाग से संबंधित हैं, निकाला गया, वगैरह । मैंने यह बताया कि सरकार की तरफ से फैसीलीटीज देने का प्रयत्न हो रहा है । कोई आदेश नहीं दिया गया है । प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर एप्लाई करना चाहें, तो कौंसिल उस पर विचार करेगी ।

*९–१०––श्री राम सुन्दर पांडेय––[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*११––श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला पीलीभीत)––[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

*१२––श्री प्रतापसिंह––[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

नकली उड़द की बिक्री रोकने के आदेश

*१३––श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)––क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राज्य की पश्चिमी सीमा जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली से मिली हुई है, के अन्तर्गत प्रदेश के कुछ बाजारों में खाद्यान्न उड़द को चमकदार और काला बनाने के लिये कुछ व्यापारी लोहा, अल्मूनियम के जारक (आक्साइड) से रंग कर बाजारों में उसे बेच रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––उड़द के नमूने जो विश्लेषण के लिये जन विश्लेषक (पब्लिक एनालिस्ट) उत्तर प्रदेशीय सरकार, लखनऊ की प्रयोगशाला में उत्तर प्रदेश के बाजार से प्राप्त हुये हैं, उनमें से अभी तक कोई भी नमूना लोहा एवं अल्मूनियम जारक (आक्साइड) से रंगा हुआ नहीं पाया गया ।

*१४––श्री रामदुलारे मिश्र––यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री कथित नकली उड़द की बिक्री रोकने और संबंधित व्यापारियों को दंड देने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभान गुप्त––इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी और कथित नकली उड़द की बिक्री की रोकथाम के संबंध में समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित आदेश जारी किये गये हैं ।

*१५–१६––श्री झारखंडेराय––[सोलहवें मंगलवार के लिये प्रश्न ८–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के विद्यार्थियों की मांगें

*१७––श्री प्रतापसिंह––क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ३०, ३१ मार्च, १९६१ को करीब ३०० से अधिक व प्रदेश से बाहर के आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी उनके निवास स्थान पर आये ? यदि हां, तो उनकी क्या प्रार्थना सरकार से थी और उस पर सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह––दो तीन विद्यार्थी मिले अवश्य थे किंतु संख्या बाहर खड़ी थी और उनमें से कितने प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी थे यह बताना कठिन है । उनकी मुख्य मांगें ये थीं:––

१––कि प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालिजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय ।

२––कि ऐसे कालिजों के स्नातकों को पी० एम० एस० (द्वितीय) का वेतन-क्रम दिया जाय ।

सरकार ने इन कालिजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की मांग को सिद्धान्त-रूप में स्वीकार कर लिया है । सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि एक कमेटी बनाई जाय जोकि इन विद्यार्थियों की सभी समस्याओं पर विचार करे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं और उनका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह--श्री के० सी० जोशी, उप-सचिव, चिकित्सा विभाग, श्री एम० एल० द्विवेदी, डिप्टी डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक के, श्री डी० एन० शर्मा, उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक, डाक्टर बी० बी० भाटिया, श्री दरबारीलाल शर्मा, प्रेसीडेंट, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन, लखनऊ हैं ।

श्री प्रतापसिंह--उस कमेटी के सामने क्या-क्या टर्म्स आफ रेफरेंस सरकार ने रखे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--टर्म्स आफ रेफरेंस यही हैं कि इन कालेजों का किस विश्व-विद्यालय से संबंध जोड़ा जाय, इनके कोर्स इत्यादि क्या हों, वेतन इत्यादि क्या हों । इन पर वे सुझाव देंगे ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह भी उस कमेटी के सामने रखेंगे कि पी० एम० एस० टू की २६ पोस्ट्स को बढ़ाया जाय ताकि अधिक से अधिक लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह निर्णय तो सरकार लेगी । हमने तो यहां कह भी दिया है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अधिक पोस्ट्स आयुर्वेदिक सर्विस की बढ़ावेंगे ।

*१८--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

*१९-२०--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर, में क्लर्कों की प्रतीक्षा-सूची के विरुद्ध स्मृति-पत्र

*२१--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें श्रम आयुक्त के विरुद्ध श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर, में क्लर्कों की प्रतीक्षा-सूची को गलत तथा पक्षपातपूर्ण ढंग से तैयार करने के संबंध में दिनांक २१ मार्च, १९६१ का भेजा हुआ कोई स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री वसी नकवी--जी हां ।

*२२--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वसी नकवी--स्मृति-पत्र पर विचार कर लिया गया है लेकिन उसमें दी हुई मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतीक्षा-सूची तैयार करने में पक्षपात के आरोप की जांच करा ली गई है ?

श्री वसी नकवी--इसके लिये जानकारी जरूर प्राप्त की गई है । असिल बा यह है कि थोड़ी सी गलतफहमी मालूम होती है । सरकार की ओर से आदेश है कि हर साल लिस्ट तैयार की जाय और वह लिस्ट साल-ब-साल तैयार होती है । चूंकि १०० की लिस्ट में ६ साल खत्म होने तक सिर्फ ४३ आदमी लिये जा सके, इसलिये यह भ्रम हो गया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---उस स्मृति-पत्र में यह आरोप है कि जिनको नहीं लेना होता है उन्हें हर हाल नयी लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, और इस प्रकार वे वहां कई साल से अस्थायी हैं, तो क्या माननीय श्रम मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वसी नकवी---इसकी जांच की जा चुकी है । अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो फिर करा ली जायगी ।

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक निवास

*२३---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी १९५८ में कितने पर्यटन निवास जिला नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल व टेहरी गढ़वाल में थे और आज कितने हैं ?

श्री वसी नकवी---वांछित सूचना निम्न प्रकार है :---

	१९५८ में पर्यटक निवास की संख्या	वर्तमान संख्या
१---नैनीताल	१	१
२---अल्मोड़ा	२	३
३---गढ़वाल	१	५
४---टेहरी-गढ़वाल	–	८

इनके अतिरिक्त गढ़वाल जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर १ पिलग्रिम शैड है ।

श्री प्रतापसिंह---जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने नैनीताल में कल कहा है कि वह नैनीताल को टूरिस्ट मैप में प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो वहां जो केवल एक टूरिस्ट होम है और सरकार के न जाने कितने सरकारी भवन हैं उन्हें टूरिस्ट होम घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसे आवेदन-पत्र सरकारी इमारतों को लेने के आये हैं उनसे पता चलता है कि वे इमारतें खाली-वाली नहीं रहेंगी । लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि कुछ इमारतें खाली रहें जिससे दिल्ली से और कोई टूरिस्ट आवें तो वे रह सकें । साथ में हम यह भी चाहते हैं कि वहां एक अच्छा होटल बने चूंकि अभी जो हैं वे बाहर के टूरिस्टों के स्तर के नहीं हैं । सरकार इस प्रश्न पर नये नुक्ते-नजर से विचार करेगी । जैसा मैंने कल नैनीताल में कहा था, और मैं यहां भी कहना चाहता हूं, सरकार के सरकारी जाब्ते से न जाने से नैनीताल को कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा ।

जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी उसको दुहराना चाहता हूं, माननीय सदस्य भी वहां अवश्य जाना चाहिये । आखिर थोड़ा ही पैसा तो वहां अधिक व्यय होता है ।

*२४---**श्री प्रतापसिंह**---[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले में डाक्टरनी के बिना अस्पताल

*२५---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में इस समय कुल कितने महिला चिकित्सालय चल रहे हैं ?

नोट :---तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय बलिया जिले में चार सरकारी महिला चिकित्सालय चल रहे हैं ।

*२६--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कितने महिला चिकित्सालयों पर अभी तक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई है और उनके अभाव में कार्य-संचालन की क्या व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपर्युक्त सरकारी महिला चिकित्सालयों में से तीन पर अभी तक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई है तथा उनके अभाव में पुरुष चिकित्सकों द्वारा कार्य-संचालन होता है ।

उत्तर प्रदेशीय फेडरेशन आफ मिनिस्टेरियल सर्विसेज ऐसोसियेशन्स को मान्यता प्रदान करने पर विचार

*२७--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या यह सही है कि सरकार ने उत्तर प्रदेशीय फेडरेशन आफ मिनिस्टेरियल सर्विसेज एसोसियेशन का विधान स्वीकार कर लिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*२८--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह उक्त फेडरेशन को कब तक मान्वता प्रदान कर देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त फेडरेशन को मान्यता देने के पूर्व कुछ शर्तें लगाई गई थीं जिन्हें फेडरेशन ने स्वीकार किया था परन्तु अभी तक पूरा नहीं किया है । जैसे ही वे शर्तें पूरी हो जायेंगी, फेडरेशन को मान्यता प्रदान कर दी जायगी ।

महाराजगंज तहसील में ओला-पीड़ितों को सहायता

*२९--श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के कितने ग्राम ओले से प्रभावित हुये और उन ग्रामों में कितनी-कितनी सहायता, किस-किस रूप में सरकार द्वारा दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुल २२२ ग्रामों में ओला पड़ा था । ओलाबारी वाले क्षेत्रों में दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दिखा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ ३६५ पर ।)

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मेडिकल कालेज खोलने के लिए स्थान चयन के नियम

*३०--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--दिनांक ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले एक मेडिकल कालेज के स्थान चयन के लिय सरकार किन-किन मान्यताओं का ध्यान देगी तथा क्या गोरखपुर भी विचारणीय स्थानों में है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इलाहाबाद के अलावा जो राजकीय मेडिकल कालेज खोला जाना है उसके लिए स्थान निश्चित करने में मुख्यतः निम्न-लिखित मान्यताओं का ध्यान रखा जायगा :---

१--वह स्थान ऐसा हो जिसके नजदीक दूसरा मेडिकल कालेज न हो तथा अस्पताल में काफी मात्रा में विभिन्न प्रकार का (clinical material) उपलब्ध हो।

२--उस स्थान में मेडिकल कालेज तथा उसके अन्य भवनों के और उनके विस्तार के लिये पूरी भूमि मिल सके तथा उस स्थान पर आधुनिक अस्पताल आसानी से ज्यादा शय्याओं के लिये बढ़ाया जा सके।

३--उस स्थान में ऐसे अस्पताल हों जिनमें मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों के लिये एक विद्यार्थी पर लगभग ६ बेड उपलब्ध हों।

मेडिकल कालेज खोलने के लिये विचारणीय स्थानों में गोरखपुर भी है।

*३१--**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**--१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

रीजनल फूड कण्ट्रोलर, गोरखपुर के कार्यालय में पुराने कर्मचारी

*३२--**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजिनल फूड कंट्रोलर गोरखपुर के कार्यालय में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि से ऊपर उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रीजिनल फूड कन्ट्रोलर गोरखपुर के कार्यालय में चार अधिकारी तथा ५१ कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से उसी स्थान पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों का स्थानान्तरण विचाराधीन है। कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

माल बोर्ड के प्रशासकीय विभाग को पुनः स्थापित करना

*३३--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे कौन योजनायें थीं जिनके अनुसार माल बोर्ड का प्रशासकीय विभाग १९५० में समाप्त किया गया और १९५६ में पुनः स्थापित किया गया ? क्या न्याय मंत्री उनकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह (बिसेन)--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३४-३५--**श्री गौरीशंकर राय, श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़), **श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री प्रतापसिंह**--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा में गन्ना फैक्टरी के सामने किसानों का मांगों के लिए प्रदर्शन

*३६--**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक १२ मार्च, १९६१ को अमरोहा (मुरादाबाद) में गन्ना फैक्टरी के सामने किसानों ने कोई प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, एक साधारण-सा प्रदर्शन मिल के सामने कुछ किसानों द्वारा किया गया था और उनकी जो मांगें थीं उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६६ पर।)

जमींदारी विनाश प्रतिकर कर्मचारी संघ

*३७--श्री राजेन्द्रसिंह--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मार्च, १९६१ म उनसे जमींदारी विनाश प्रतिकर कर्मचारी संघ का कोई प्रतिनिधि मैनपुरी में अपनी मांगें लेकर मिला था ? यदि हां, तो वे मांगें क्या थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, संघ का कोई प्रतिनिधि मुझसे मैनपुरी में नहीं मिला था।

हरकूव रामटहल के मुकदमे में न्यायाधीश मुल्ला द्वारा की गई कड़ी आलोचना पर विचार

*३८--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस मुल्ला के उस फैसले की ओर गया है जो उन्होंने ३१ मार्च, १९६१ को प्रतापगढ़ के हरकू व रामटहल के मुकदमें में दिया है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित Strictures पास किये हैं :

"If this case is an index of his judicial attainments, it would be difficult to find a more incompetent person in the Service."

और क्या सरकार उसमें कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, फैसले की नकल अभी हाल ही में यहां आई है। इस विषय में जांच हो रही है और पूरे वाकयात सामने आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

*३९-४०--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में वृद्धावस्था पेंशन

*४१--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा बस्ती जिले में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--बस्ती जिले में ३० अप्रैल, १९६१ तक कुल ११० व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई है।

*४२-४४--श्री दुर्योधन--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४७--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामलाल (जिला बस्ती)--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में भट्ठों को कोयला

*४९--श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में कितने प्राइवेट भट्ठे हैं और प्रत्येक को कुल कितना-कितना कोयला जुलाई, १९६० से मार्च, १९६१ तक साधारण कोटे व विशेष कोटे से प्राप्त हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ', आगे पृष्ठ ३६७-३६८ पर)

*५०—श्री मदनगोपाल वैद्य—इन भट्ठों में से कितने ऐसे हैं जिनकी फुंकाई ३१ मार्च, १९६१ तक शुरू नहीं हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे दो भट्ठे हैं ।

*५१—श्री मदनगोपाल वैद्य—इन भट्ठों में से कितने ऐसे हैं जिनको लकड़ी से भट्ठा फूंकने का भी लाइसेन्स दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसे २१ भट्ठे हैं ।

*५२—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३-५५—श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६-५७—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जरवल रोड चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*५८—श्री बदलूराम (जिला बहराइच) तथा श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल रोड चीनी मिल बहराइच पर ७ अप्रैल, १९६१ तक काश्तकारों का कितना रुपया बकाया है और वह कब से बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल पर निर्दिष्ट तारीख तक किसानों का कुल १५.८९ लाख रु० बकाया था जिसमें से १४.२० लाख रु० १९६०-६१ सीजन का है और शेष १.६९ लाख रु० १९५९-६० सीजन का है ।

*५९—श्री बदलूराम तथा श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त धनराशि को काश्तकारों को दिलवाने का कोई प्रयत्न सरकार की ओर से किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) के अधीन उपरोक्त रकम की वसूली के लिये इस मिल के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है ।

*६०-६१—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२-६३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

अंजुवा बाजार, होम्योपैथिक चिकित्सालय को सहायता न मिलना

*६६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अन्तर्गत ग्राम अंजुवा-बाजार गोशाई में होमियोपैथिक चिकित्सालय को सबसीडाइज्ड करने के लिये उक्त जिले के विधायकों तथा अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ की सिफारिशों के साथ, १९६० में रजिस्ट्रार मेडिसन बोर्ड लखनऊ के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। चूंकि अन्तरिम जिला परिषद् आजमगढ़ प्रस्तावित सहायता प्राप्त होमियोपैथिक औषधालय के व्यय का १/३ भाग वहन करने को तैयार नहीं है, अतः उक्त प्रस्ताव "सब्सीडी" योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

मुजफ्फरनगर बाजार में बिजली सप्लाई की अनियमितता पर विचार

*६७---श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर म्युनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइसेन्सी के क्षेत्र में बाजार की छुट्टी मंगलवार को और हाईडल के आदेशानुसार बृहस्पतिवार को बिजली बन्द रहने के कारण हफ्ते में दो दिन बिजली से चालित उद्योग-धंधे बन्द हो जाते हैं जब कि सरकार के आदेशानुसार बाजार की छुट्टी भी उसी दिन जिस दिन बिजली बन्द होनी चाहिये जैसा कि दूसरे जिलों में होता है ? क्या मुख्य मंत्री इस अनियमितता को दूर करने का शीघ्र आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---(क) जी हां।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

लेडी लायल अस्पताल, आगरा

*६८---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि सरकार आगरा के पुराने लेडी लायल अस्पताल (महिलाओं के अस्पताल) को सरोजिनी नायडू अस्पताल में मिला देना चाहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

*६९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि उस दशा में महिला रोगियों का इलाज, उनकी शल्य चिकित्सा तथा बच्चे जनाने का काम महिला चिकित्सकों के बजाय पुरुष डाक्टरों द्वारा कराया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न नहीं उठता।

*७०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न नहीं उठता।

*७१---७३---श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर), श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह---[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में मेडिकल कालेज खोलने के लिए जमीन

*७४---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार का विचार इलाहाबाद के गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज को बन्द कर उस स्थान पर मेडिकल कालेज खोलने का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं।

*७५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त मेडिकल कालेज के लिये कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लगभग ६० से ७० एकड़।

फाइलेरिया यूनिटों का स्थानान्तरण

*७६--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फाइलेरिया उन्मूलन विभाग के मुख्यालय कहां-कहां कायम थे और क्या वे अब वहां से हटाकर कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में लाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--३ फाइलेरिया सर्वेक्षण यूनिटें बस्ती, जौनपुर और गाजीपुर में स्थापित की गई थीं । बस्ती की यूनिट बहराइच को स्थानान्तरित कर दी गई थी । इन जगहों पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है इसलिये इन यूनिटों को सर्वेक्षण के लिये कानपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद को स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

*७७--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार उक्त मुख्यालयों में से एक मुख्यालय बस्ती में भी स्थापित करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

बिलग्राम परगना में वर्षा-पीड़ित किसानों को सहायता

*७८--श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १९६० की गत बरसात में ग्राम हथौरा, परचल, पस्नामऊ, गुरौची, विरौरी, हैवतपुर परगना बिलग्राम जिला हरदोई में अधिक बारिश होने के कारण उपर्युक्त ग्रामों की अधिकांश खेतों में दो माह तक बराबर पानी भरा रहा जिसके कारण खेती की पैदावार में काफी नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ग्राम गुरौली (न कि ग्राम गुरौची) में कोई नुकसान नहीं हुआ। अन्य पांच ग्रामों में खेतों में पानी अवश्य भरा रहा जिसके कारण खरीफ की फसल को क्षति पहुंची है ।

*७९--श्री चन्द्रहास मिश्र--यदि हां, तो क्या सरकार ने पीड़ित किसानों को कोई सहायता दी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ? पीड़ित किसानों को सहायता दी गई है । सहायता का ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ ३६९ पर ।)

मेंहनगर विकासखण्ड के किसान मेला में जमा धन का कथित गोल-माल

*८०--श्री तेजबहादुर--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के मेंहनगर विकास खंड में मार्च, १९६१ में लगे किसान मेले में इकट्ठी धनराशि का गोल-माल हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं।

*८१-८३--श्री मदन पांडेय--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सचिवालय के नान-गजटेड अस्थायी कर्मचारी

*८४--श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सचिवालय में कितने नान-गजटेड अस्थाई कर्मचारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस समय कुल १९४९ अस्थायी नान-गजटेड कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

*८५--**श्री शब्बीर हसन**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन कर्मचारियों को कब तक स्थायी किया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--निश्चित रूप से यह बतलाना सम्भव नहीं है लेकिन ज्यों-ज्यों स्थायी पद खाली होते जायेंगे कर्मचारियों को उनकी जगहों पर क्रमशः नियमों के अनुसार, स्थायी किया जायेगा।

*८६--**श्री शब्बीर हसन**--[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नवीन मेडिकल कालेज खोलने की योजना

*८७--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री दिनांक १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के अतिरिक्त वह कौन स्थान है जहां पर राजकीय मेडिकल कालेज खोल कर डाक्टरों के अभाव को दूर करने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ है।

*८८-८९--**श्री अयोध्याप्रसाद आर्य** (जिला देवरिया)--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पकड़ी बुजुर्ग ग्राम-समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने की शिकायत

*९०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम पकड़ी बुजर्ग तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों द्वारा २ फरवरी, १९६१ एवं १० जनवरी, १९६१ को भेजे हुये प्रार्थना-पत्र क्रमशः वन मंत्री और जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुये हैं जिनमें गांव समाज की सम्पति का दुरुपयोग करने तथा गांव के जंगल को काटकर खेत बनाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वन मंत्री को ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक २-२-६१ का नहीं प्राप्त हुआ। १०-१-६१ का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ। जांच करने के बाद प्रधान का जवाबतलब किया गया है और गांव-समाज भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वालों के खिलाफ जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २११-क के अन्तर्गत तहसीलदार घोसी के इजलास में कार्यवाही हो रही है।

मलेरिया विभाग में परिगणित जाति के कर्मचारी

*९१--**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय मलेरिया विभाग के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० से २८ फरवरी १९६१ तक जो नये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं, उनकी कुल संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त कर्मचारियों की संख्या २३,३५३ है।

*९२--**श्री रामदीन**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारी अलग-अलग किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति के कितने और किस-किस पद पर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपरोक्त कर्मचारी निम्नलिखित पदों पर कार्य कर रहे हैं। परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या उनके सामने दी हुई है :--

पद विवरण	कुल नियुक्ति	परिगणित जाति की संख्या
१--सर्वलेन्स इन्सपेक्टर	१,८१६	८९
२--मलेरिया इन्सपेक्टर	२३	८
३--हाउस विजिटर	७,०९४	५५३
४--लैबोटरी टेक्निशियन	५४	३
५--मेकैनिक	८	१
६--ड्राइवर	६५	५
७--सीजनल वर्कर	१४,०२०	१,४२८
८--रेगुलर वर्कर	१६७	१४
९--अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . ..	१०६	१८
कुल योग	२३,३५३	२,११९

उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों में कार्य

*९३--**श्री प्रतापसिंह**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड में पिछले छः माह में किस विभाग का कितना-कितना कार्य हुआ है और उन पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उत्तराखंड के तीनों जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों द्वारा पिछले ६ माह में (१-१०-१९६० से ३१-३-१९६१) तक विकास तथा अन्य कार्यों पर किये गये व्यय का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है। इन जिलों से एक दो विभागों से सम्बन्धित आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राप्त होते ही सदन की मेज रख दिये जायेंगे।

२--विभिन्न विभागों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण बहुत विस्तारपूर्ण है जिसे यहाँ देना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७० पर)

*९४--९५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

महिला अस्पताल, गाजीपुर की चिकित्सिका द्वारा एक युवती के बलात्कार की डाक्टरी जांच न करना

*९६--**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत १५ मार्च, १९६१ को महिला अस्पताल, गाजीपुर की चिकित्सिका ने जमानिया थाने की एक युवती के भगाये जाने और उसके साथ बलात्कार किये जाने के मामले की डाक्टरी जांच सिविल सर्जन के लिखने के बावजूद भी नहीं की और अन्त में विवश होकर स्वयं सिविल सर्जन को उसकी जांच करनी पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*९७--**श्री झारखंडेराय**--यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस मामले की जांच की जा रही है ।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में घटाव-बढ़ाव

*९८--**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर तथा देवरिया जिले की कौन-कौन सी ऐसी चीनी मिलें हैं कि जिनका सुरक्षित क्षत्र इस वर्ष बढ़ाया गया और वह कौन-कौन सी चीनी मिलें हैं जिनका क्षेत्र घटाया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस वर्ष गोरखपुर तथा देवरिया जिले की जिन चीनी मिलों का सुरक्षित क्षेत्र बढ़ाया गया और जिनका क्षेत्र घटाया गया उन मिलों के नाम संलग्न तालिका 'क' में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७१-३७३ पर)

*९९--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर तथा देवरिया जिले की अलग-अलग चीनी मिलों को सुरक्षित क्षेत्र के लिये इस वर्ष कौन-कौन गांव नये दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस वर्ष उपरोक्त जिलों म से केवल देवरिया जिले की जिन मिलों के सुरक्षित क्षेत्र के साथ जो नये गांव लगाये गये उनका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७१-३७३ पर)

बी० डी० ओ० तालबेहट के विरुद्ध शिकायत

*१००--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड तालबेहट जिला झांसी के बी० डी० ओ० १ अप्रैल, १९६१ की रात को ११ बजे ब्लाक की सरकारी जीप में ए० डी० ओ० (महिला) सहित अन्य लोगों को लेकर क्षेत्र से बाहर २६ मील ललितपुर में सदनशाह के मजार पर उर्स देखने आये तथा जीप को तहसील के हाते में छुपाकर रख गये ? क्या यह भी सही है कि सरकारी जीप के इस प्रकार दुरुपयोग करने की शिकायत उसी रात को १२ बजकर १० मिनट पर एस० डी० ओ० ललितपुर से उनके बंगले पर की गयी थी और शिकायत कर्ताओं ने जीप को उसी समय उक्त स्थान पर पकड़ने का निवेदन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त एस० डी० ओ० ने इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कार्यवाही की और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं । १ अप्रैल, १९६१ को दिन के १ १/२ बजे बी० डी० ओ०, तालबेहट, ए० डी० ओ० (कृषि) के साथ जीप में सरकारी कार्य से ललितपुर तहसील आये । सरकारी काम देर में समाप्त होने के कारण वह ललितपुर ही रुक गये । बी० डी० ओ० उर्स देखने गये थे । इस सम्बन्ध में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट, ललितपुर से रात्रि के १ बजे शिकायत की गई । दूसरे दिन जांच की गई । शिकायत निराधार साबित हुई ।

निघासन तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*१०१--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी, के किन-किन गांवों में १९६१ में ओला बारी से फसलों को हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सम्बन्धित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७४-३७५ पर)

*१०२--श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन गांवों के किसानों को सरकार की ओर से उपर्युक्त हानि के सम्बन्ध में क्या-क्या सुविधायें दी गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---संलग्न सूची के १५५ ग्रामों में से प्रथम १५३ ग्रामों में फसल को इतनी कम हानि हुई कि उन ग्रामों में किसी प्रकार की सुविधा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शेष दो ग्राम अर्थात् सुमेरपुर सोथियाना और विशुनपुरी सोथियाना में, जिनमें की क्षति की मात्रा ५० नये पैसे से अधिक है, रबी १३६८ फसली की मालगुजारी में छूट देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित छूट की धनराशि की वसूली फिलहाल स्थगित है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७४-३७५ पर)

*१०३--श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस गांव को कितने-कितने रुपये की छूट मालगुजारी में दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तक किसी गांव में कोई छूट नहीं दी है।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए मुरादाबाद जिले के किसानों को ऋण

*१०४--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राजस्व परिषद् द्वारा कितनी धनराशि ऋण के रूप में किसानों को बांटने के लिये वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में मुरादाबाद जिले को दी गई थी और उसका वितरण जिला स्तर पर किस-किस तहसील को कितना-कितना किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में राजस्व परिषद् द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये मुरादाबाद जिले को १० लाख रुपये की धनराशि किसानों को ऋण देने के लिये दी गई थी, इस धन का वितरण तहसीलवार निम्न प्रकार किया गया:--

तहसील का नाम	ऋण की संख्या
	रु०
१--बिलारी	३,०३,३००
२--मुरादाबाद	६५,०००
३--संभल	४,५६,०००
४--अमरोहा	३९,०००
५--हसनपुर	१,२४,२००
६--ठाकुरद्वारा	१२,०००
योग ..	९,९९,५००

आगरा जिले में ईंटों के भट्ठे

*१०५—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की प्रत्येक तहसील में ईंटों के कितने-कितने भट्ठे हैं तथा उनमें से स्थायी कितने हैं और अस्थायी कितने हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना इस प्रकार है:—

नाम तहसील	भट्ठों की संख्या		जोड़
	स्थायी	अस्थायी	
आगरा शहर तथा सदर तहसील ..	२६	७	३३
एतमादपुर	१२	४	१६
फीरोजाबाद	१६	७	२३
बाह	१	४	५
फतेहाबाद	१	५	६
खैरागढ़	१	९	१०
किरावली	१	१	२
योग ..	५८	३७	९५

*१०६—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अस्थायी भट्ठे कब-कब किन स्थितियों में स्वीकृत किये गये थे और उनको स्वीकृति की तिथि से अब तक कितना-कितना कोयला दिया जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो अस्थायी भट्ठे जिले में स्वीकृत हुए हैं वे जिले की निर्माण योजनाओं को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं। ऐसे अस्थायी भट्ठों के नाम तथा उनकी स्वीकृति की तिथि से अब तक कितना कोयला दिया गया है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७६–३७८ पर)

मलेरिया विभाग में हरिजन कर्मचारी

*१०७—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती) तथा **श्री रामलखन**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश भर में मलेरिया उन्मूलन कार्य में कितनी यूनिट्स (units) काम कर रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—६७।

*१०८—**श्री सोहनलाल धुसिया** तथा **श्री रामलखन**—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इन यूनिट्स में कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर नियुक्त हैं और उनमें हरिजनों की संख्या प्रत्येक पद पर कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--३१ मार्च, १९६१ को जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनकी संख्या तथा उनमें जो हरिजन कर्मचारी थे उनकी संख्या निम्नलिखित हैं :

पदों के नाम	सब कर्मचारी	हरिजन
१--ऐन्टी मलेरिया आफिसर	६६	..
२--असिस्टेन्ट यूनिट आफिसर	६७	१
३--सीनियर मलेरिया इन्स्पेक्टर	२६७	५
४--मलेरिया इन्सपेक्टर	२६३	२३
५--सर्वलेन्स इन्सपेक्टर	१,५८१	९७
६--हाउस विजिटर	६,०१०	६२४
७--लेबोटरी टेक्निशियन	११५	५
८--क्लर्क्स	१८३	१
९--मेकैनिक	६२	८
१०--ड्राइवर	३०५	१७
११--क्लीनर	२४५	३०
१२--चपरासी	२६७	१६
१३--चौकीदार	६७	५
१४--मेहतर	६७	६७
१५--सुपीरियर फील्ड वर्कर (१२ माह के लिये ..	२५८	२६
१६--फील्ड वर्कर (१२ माह के लिये) ..	६६५	५४

गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क

*१०९--**श्री भगवतीप्रसाद दुबे** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री अमरनाथ**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में तहसीलवार १९५९ व १९६० में कहां-कहां और किस-किस प्रकार का टेस्ट वर्क सरकार ने जारी किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गोरखपुर जिले में सन् १९५९-६० तथा सन् १९६०-६१ में चालू किये गये टेस्ट वर्क की सूची संलग्न तालिका में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' और पृष्ठ ३७९ पर)

*११०--**श्री भगवतीप्रसाद दुबे** तथा **श्री अमरनाथ**--क्या सरकार १९५९ व १९६० में गोरखपुर जिले में जारी किये गये टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि--

(अ) कौन-कौन से टेस्ट वर्क पूरे हो गये और कौन-कौन से अधूरे हैं,

(ब) प्रत्येक टेस्ट वर्क पर मार्च, १९६१ तक कितने-कितने रुपये खर्च हो चुके, तथा

(स) क्या अधूरे टेस्ट वर्क को अगली बरसात के पहले पूरा करा देने का विचार सरकार का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—(अ) प्रश्न १०९ के उत्तर से सम्बन्धित सूची में दिखाये गये कार्यों में से केवल एक कार्य बरही पाथ का बांध पूरा हो गया था शेष सभी कार्य अधूरे ही थे कि टेस्ट वर्क की आवश्यकता नहीं रह गयी और काम बन्द कर दिया गया।

(ब) अपेक्षित सूचना प्रश्न १०९ में उल्लिखित तालिका में दिखा दी गयी है।

(स) टेस्ट वर्क वास्तव में तात्कालिक सहायता कार्य है और उन्हीं क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं जिनमें 'अभाव' की स्थिति के कारण लोगों की जीविका का साधन उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया हो। यह कार्य उतने ही समय के लिये किये जाते हैं जब तक अभाव की स्थिति में सुधार न हो जावे या लोग खेती के कामों में और अन्य कामों में न लग जायं। टेस्ट वर्क के उठाये गये कार्यों का पूरा होना इन्हीं परिस्थितियों पर निर्भर है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

रुड़की में मुन्सिफी कायम करने का आश्वासन

*१११—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार का विचार रुड़की में मुन्सिफी कायम करने का है? यदि हां, तो कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। अभी तक मुन्सिफी के कार्यालय तथा आवास गृह के लिये उपयुक्त स्थान का प्रबन्ध नहीं हो पाया है। जैसे ही स्थान का प्रबन्ध हो जायगा, मुन्सिफी न्यायालय की स्थापना कर दी जायगी।

*११२—**श्री दानदयालु शास्त्री**—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम-समाज मथुरपुर में गंगा कछार की भूमि

*११३—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम समाज मथुरपुर मे गंगा कछार की कितने बीघा भूमि उक्त ग्राम-समाज ने प्रस्ताव पास कर अपने ग्राम के भूमिहीनों को १३६५ फसली में काश्त करने के लिये दे दी थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्राम-समाज में प्रस्ताव पास करके गंगा कछार की कोई भूमि १३६५ फसली में काश्त करने के लिये नहीं दी।

*११४—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्रामसमाज के भूमिहीनों के नाम फसली १३६५ व १३६६ में कितने बीघा कछार की भूमि जिन्सवार कागजात पटवारी में दर्ज है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*११५—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १३६५ फसली का लगान भी ग्राम-समाज मथुरपुर ने उपर्युक्त किसानों से वसूल कर लिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*११६—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

गन्ना क्रय केन्द्र, परसोत्तम पट्टी घाट

*११७--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम परसोत्तम पट्टी घाट पर इस वर्ष १९६०-६१ में प्रतापपुर चीनी मिल देवरिया का गन्ना तौल करने का कांटा लगा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*११८--श्री जगन्नाथ चौधरी--यदि हां, तो अब तक उक्त क्रय केन्द्र से कितनी मात्रा में गन्ना क्रय किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१० मार्च, १९६१ तक उक्त क्रय केन्द्र से १७,९०२ मन गन्ना क्रय किया गया है ।

*११९--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त मिल ने ३-४-६१ से करीब एक माह पहले ही उस क्रय केन्द्र से गन्ना क्रय करना बन्द कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--निर्दिष्ट मिल ने उक्त क्रय केन्द्र से ११ मार्च, १९६१ से गन्ना क्रय करना बन्द कर दिया था ।

लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित बी० डी० ओ०

*१२०--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने विकास खंड ऐसे हैं जिनमें कार्य करने वाले बी० डी० ओ० की नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अनुमोदित नहीं हैं और वे कितने-कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--२०७ विकास खंडों में कार्य करने वाले बी० डी० ओ० पब्लिक सर्विस कमीशन में अनुमोदित नहीं हैं और नीचे दिये हुये समय से कार्य कर रहे हैं :--

वर्ष	संख्या
१९५७-५८	१०
१९५८-५९	२७
१९५९-६०	५२
१९६०-६१	६२
१९६१-६२	५६
कुल	२०७

*१२१-१२३--श्री अब्दुल रऊफ लारी--[१८ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर, को चीड़ की लकड़ी की सप्लाई के संबंध में २७-२-६१ को दिया गया वक्तव्य

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से स्टार पेपर मिल सहारनपुर को पेंचदार चीड़ की लकड़ी की सप्लाई के संबंध में २७-२-६१ को दिये गये वक्तव्य तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा विशिष्ट विषयों पर पूछे गये प्रश्नों तथा उनके उत्तरों की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३८०-३८८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इस पर बहस के लिये क्या कोई समय निश्चित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर बहस हो चुकी है, जिसके बारे में आपने यह इच्छा प्रगट की थी कि वक्तव्य की प्रतियां छपवा कर बंटवा दी जायं तो लोगों को जानकारी हासिल हो जायगी । आप अगर स्टेटमेंट के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो लिखकर भेजें । मैं उनसे बातचीत करूंगा । तत्काल तो कुछ नहीं हो सकता ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये चार सदस्यों का मनोनयन

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने विधान सभा की १९६१-६२ की प्रतिनिहित विधायन समिति में कार्य करने हेतु सभापति महोदय द्वारा परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीत करने के प्रस्ताव से सहमति प्रगट की है और उक्त समिति पर कार्य करने के लिये विधान परिषद् के निम्नलिखित चार सदस्यों को मनोनीत किया है—

१—डाक्टर ए० जे० फरीदी,

२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद,

३—श्रीमती सावित्री श्याम,

४—श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी ।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का १८वां प्रतिवेदन†

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का नैनीताल में बने सरकारी आवास गृहों से संबंधित १८वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि इसकी प्रतियां अभी प्रेस से छपकर नहीं आ सकी हैं । लेकिन चूंकि इस प्रश्न पर सरकारी स्तर पर विचार हो रहा है इसलिये मैं कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं । मैं श्रीमन् का ध्यान प्राक्कलन समिति के नियम २३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें समिति को यह अधिकार है कि यदि छपी हुई प्रतियां तैयार न हों तो टाइप रिटिन कापियां प्रस्तुत की जा सकती हैं । इसकी शीघ्र ही प्रतियां छप जाने पर माननीय सदस्यों को भेज दी जायेंगी ।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त लेखा, १९५८-५९ व लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५९ पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त लेखा १९५८-५९ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५९ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, अब तक कार्याधिक्य के कारण लोक लेखा समिति अभी तक प्रदेश के फाइनेन्स एकाउन्टस् पर विचार नहीं कर पाई थी । इस वर्ष समिति ने निर्णय किया कि फाइनेन्स एकाउन्टस् पर भी विचार किया जाय क्योंकि यह प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का दर्पण फाइनेन्स एकाउन्टस् में ही मिलता है । इस संबंध में मैं समिति की ओर से फाइनेन्स विभाग के सचिव श्री भिडे को धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं क्योंकि उन्होंने इस नये कार्य के करने में हमें अपना सहयोग प्रदान किया है ।

समिति को बहुत से नुक्तों पर विभागों से प्रश्न पूछने पड़े और उनमें से कुछ ही प्रश्नों पर समिति विचार कर पाई है जैसे कर्जे आदि और रिसीट आडिट के संबंध में । मुझे विश्वास है कि सरकार हमारी सिफारिशों को स्वीकार करेगी । मैं समिति की ओर से महालेखापाल श्री सी कोनार, श्री राय, श्री भिडे, श्री दवे तथा विधान सभा सचिवालय के श्री रूपचन्द्र, श्री डी० एन० मित्थल और श्री रामप्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस रिपोर्ट के तैयार करने में पर्याप्त सहायता दी । इसके अतिरिक्त विधान सभा सचिवालय तथा महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के प्रशंसनीय कार्यों की सराहना करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, इसकी प्रतिलिपि कब तक मिल जायगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---अंग्रेजी की इसमें मौजूद है और हिन्दी की प्रेस में है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं चार साल से देखता आ रहा हूं कि प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन यहां पढ़ दिये जाते हैं और बाद में धन्यवाद दे दिया जाता है सहयोग देने का । लेकिन यह जनता के सामने नहीं आते हैं और जनता का इनके ऊपर अपार धन खर्च होता है ।

श्री अध्यक्ष---जनता के प्रतिनिधियों के सामने आ जाता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं यह चाहता हूं कि इनके ऊपर सदन में चर्चा होने के लिये कुछ समय निश्चित कर दिया जाय ताकि लोगों को यह मालूम हो सके कि यह दोनों समितियां कितनी गहराई में जाती हैं, इसलिये इस पर बहस करने की अनुज्ञा दी जाय जिससे सब चीजों पर रोशनी पड़ जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, आगे के ८-१० आदमियों को ही आप जनता का प्रतिनिधि समझते हैं और उन्हीं को बोलने का समय देते हैं । हम भी तो पीछे बैठने वाले जनता के ही आदमी हैं । यह अखबार वाले जो यहां बैठे हैं पहले जमाने में भांडों का काम करते थे । श्रीमन्, आज इनका ही जमाना है ।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष––जनता के प्रतिनिधि तो पूछकर बोलते हैं और आप बिना पूछे बोलते हैं । आप कृपया बैठें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––माननीय नागर जी ने दो प्रश्न उठाये हैं । एक तो यह कि यह रिपोर्ट यहां आ जाती है और उस पर धन्यवाद आदि दे दिया जाता है । श्रीमन्, सारी रिपोर्ट को पढ़ने का समय नहीं होता है और न उसकी आवश्यकता ही है । लेकिन इन रिपोर्टों को प्रेस द्वारा छपकर पूरी पब्लिसिटी मिल जाती है और वह प्रकाशित होती है और आपके सामने दूसरा प्रश्न विचाराधीन है कि सदन में किस तरह से इन पर वाद-विवाद किया जाय । इसके संबंध में एक कमेटी बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है । आशा है कि इसके बारे में आप कोई परम्परा निर्धारित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष––ठीक है । बाद में इस पर विचार कर लेंगे ।

कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर यह कहा था कि अगर बीच में ५ दिन का गैप दे दिया जाय तो माननीय सदस्यों को सुविधाजनक होगा । आज मैंने इसको इसलिये उठाया है कि माननीय नेता सदन इसको स्वीकार कर लेंगे कि १६, १७ को और छुट्टी कर दी जाय और १८, १९ को असेम्बली करके फिर दुबारा २२, २३ को कर ली जाय । इससे काम भी हो सकता है और सदस्यों को भी सुविधा हो सकती है ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)––अगर अपोजीशन के सभी ग्रुप्स इसको मान लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––श्रीमन्, हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा है इसलिये इधर असेम्बली १९ तक चले और फिर २४ के बाद चले तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष––पालीवाल जी पांच दिन की छुट्टी की बात कहते हैं .....

श्री रामस्वरूप वर्मा––लेकिन, श्रीमन्, १९ के बाद २० से २३ तारीख तक सोशलिस्ट पार्टी के लोग नहीं रहेंगे । इन तारीखों के अलावा अगर बाद में चलायें तो हमें कोई एतराज न होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––मुझे कोई एतराज नहीं है । ५ दिन के बाद फिर २३ तक चलाया जाय, बीच में ४–५ दिन न चले और फिर बाद में चले तो उनकी बात पूरी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष––वह कहते हैं कि ५ दिन की छुट्टी दें तो १६–१७ तो छुट्टी में चले जायेंगे, उसके बाद १८–१९, २ दिन मिले, फिर २०–२१ छुट्टी हो जायगी, वह चाहते हैं कि फिर २२, २३ को भी छुट्टी रहे, इस तरह से ४ दिन बीच में जायेंगे ।

तो क्या माननीय नेता सदन इसको पसन्द करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––इसमें तो बड़ी दिक्कत होगी ।

श्री अध्यक्ष––तब तो वही रहेगा जो प्रोग्राम कल निश्चित हो गया है ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)––फिर २५–२६ को बकरीद भी होगी ।

श्री अध्यक्ष––तो जो है वही रहेगा ।

श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---श्री गौरीशंकर राय ने विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में जो प्रश्न उठाया था उसका निर्णय मैंने आज देने को कहा था । वह मैं अब देता हूं :

श्री गौरीशंकर राय ने 'बुन्देला' नामक उरई के साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री शिवानन्द मिश्र, संस्थापक श्री विष्णुदत्त शर्मा तथा १९, कैसरबाग लखनऊ के 'बापू' उपनाम के व्यक्ति के विरुद्ध २० अप्रैल के सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है और अपने नोटिस तथा सदन में पूछे गये स्पष्टीकरण में उन्होंने प्राग्दर्शन में अवमान कैसे प्रतीत होता है इस बारे में अपनी जानकारी देते हुये 'मेज पार्लियामेंटरी पुस्तक' के उद्धरणों को पढ़ा तथा उपस्थित किया । अन्य कुछ सदस्यों, विरोधी पार्टियों के नेताओं ने तथा उपनेता सदन ने इस वैधानिक प्रश्न पर अपने तर्क और सुझाव दिये जिनके लिये मैं अनुगृहीत हूं । पिछले तीन चार दिनों से श्री गौरीशंकर राय अपनी बात कहना चाहते थे और निर्णय शीघ्र देने के लिये कहते रहे । यदि केवल सदन की कार्यवाही या किसी सदस्य का भाषण गलत छापने का आरोप 'बुन्देला' अखबार पर होता तो शीघ्र फैसला देना संभव होता और रिवाज के अनुसार या तो संबंधित सदस्यों को उक्त पत्र में प्रतिवाद भेजने को कहता । यदि गलत कार्यवाही छापी गई होती या अखबार ने साधारण गलतियों को छोड़ कर कार्यवाही का तत्व सही दिया होता तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न या प्रतिवाद का प्रश्न नहीं उठता, यह निर्णय मैंने शीघ्र दिया होता । इसी प्रकार यदि केवल टैक्नीकल ग्राउन्ड्स पर फैसला देना होता तो जो बात तारीख १३ या २० अप्रैल के अखबार में छपी उस संबंध में प्रश्न उठाने में २८ तारीख तक देरी की गई और स्वयं श्री गोविन्द नारायण ने शीघ्रता करके प्रश्न क्यों नहीं उठाया ? इस देरी के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के लिये अनुमति देना मैं अस्वीकृत कर देता, पर प्रश्न कार्यवाही गलत छापने का नहीं वरन एक माननीय सदस्य के संबंध में असत्य आरोप लगाकर गृह मंत्री जी के भाषण की आड़ में जान बूझकर गलत तोहमत लगाकर बदनाम करने का प्रश्न उठाया गया है ऐसा मुझे प्रतीत हुआ । इस कारण देरी होने के आधार पर प्रश्न मैंने समाप्त नहीं किया और न केवल उसे कार्यवाही गलत छापने का ही प्रश्न समझकर उपर्युक्त प्रकार से फैसला शीघ्र देना उचित समझा ।

'मेज पार्लियामेंटरी पद्धति' नामक पुस्तक १६ वीं एडीशन में सफा ११८, ११९ में दिया है कि किन अवस्थाओं में किसी सदस्य के भाषण की गलत रिपोर्ट विशेषाधिकार की अवहेलना होती है । उसमें ये शब्द हैं :—

"Publishing gross or willful misrepresentation of particular member's speech (ii)Publishing under colour of a report of a member's speech or gross libel on the character and conduct of another member."

किसी सदस्य के भाषण का "gross or willful misrepresentation.." यानी खास तौर पर जानबूझकर बड़ा ग्रास यानी बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन होकर इस तरह का छापा जाय और "Publishsing under colour of a report of a member's speech or gross libel on the character and conduct of another member." यानी एक मेम्बर की स्पीच का बहाना करके किसी दूसरे मेम्बर के कन्डक्ट के ऊपर और उसके चरित्र के ऊपर लायबिल हो । तो उसमें यह दिया कि इन अवस्थाओं में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है ।

मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के सफा ११८ के अनुसार पार्लियामेंट के वाद-विवाद की रिपोर्ट मेलाफाइडी तरीके से यानी जानबूझकर असत्य बात छापने पर कार्यवाही हो सकती है ।

यह बात विरोधी दल के नेताओं तथा कई अन्य सदस्यों ने भी कही है । मैं उससे सहमत हूं । प्रश्न यह है कि क्या मेलाफाइडी तरीके से, जानबूझकर गलत बात बनाकर छापी गई है या नहीं ? चूंकि श्री गौरीशंकर राय ने अपने नोटिस में श्री गोविन्दनारायण तिवारी द्वारा ११० वाले हिस्ट्री शीटर की जमानत करने और उसे अपने घर में रखने की बात का प्रतिवाद नहीं किया और इस घटना को असत्य नहीं बताया और बीमार होने के कारण श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी द्वारा पत्र द्वारा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर गृह मंत्री जी नहीं दे सके इस कारण मुझे गृह मंत्री जी से ही पूछने की आवश्यकता प्रतीत हुई । श्री चन्द्रजीत यादव भी इसी मत के हैं जैसा उन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि इस समय गृह मंत्री जी बीमार हैं और उनका बयान लेना आवश्यक है क्योंकि इशारा करने की बात छापी गई है । जानबूझकर असत्य बात छापने का प्रश्न तब उठता है जब कि या तो घटना ही निर्मूल और असत्य हो या गृह मंत्री जी का संकेत अपने भाषण में छापी गई घटना से बिल्कुल न हो, जब तक यह बात स्पष्ट नहीं होती प्राइमाफेसी केस नहीं होता ।

गृह मंत्री जी के भाषण के उद्धरण को श्री गौरीशंकर राय जी ने नहीं पढ़ा । यदि वे पढ़ते तो उन्हें स्पष्ट हो जाता कि उन्होंने किन्हीं सदस्यों के बारे में संकेत करते हुये कहा है कि वे हिस्ट्रीशीटर्स को आश्रय देते हैं और दो एक जिलों को संकेत करते हुये कहा है कि वहां क्रिमिनल्स को जिम्मेदार व्यक्ति हर तरह की मदद करने की कोशिश करते हैं । ११० की जमानत देने का भी जिक्र नाम न लेते हुये "हमारे मित्र" ऐसा करते हैं, यह कहा था । मैं उक्त भाषण से संबंधित अंश को उद्धृत कर पढ़ देता हूं :—

"अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस मामले में किसी खास पार्टी का दोष नहीं है । सभी पार्टियों की कमोबेश जिम्मेदारी है कि जुर्म करने वाले लोगों को सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है पोलिटिकल पार्टियों का । इसके अलावा मेरे पास दो-तीन जिलों के जिम्मेदार आदमियों के मुताल्लिक ऐसी भी बातें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि हमारे यहां पर पुलिस के खिलाफ व्याख्यान देते हैं और अपने जिलों में हर तरह से क्रिमिनल्स की मदद करने की कोशिश करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं । मेरे जो सबसे अर्ज ज मित्र हों उनके लिये फर्ज कर लिया जाय कि वह ऐसे आदमी हैं, मेरे सामने ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं और मैं उन सज्जनों को जानता हूं कि पुलिस आफिसर किसी के खिलाफ कार्यवाही करता है तो एम० एल० ए० साहब सिफारिश करते हैं कि यह ईमानदार आदमी है या किसी आफिसर के दोषी पाने पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह जो नया आदमी आता है वह बहुत निष्पक्ष रूप से काम करता है । लेकिन पुराने वाले से सांटगांठ थी इसलिये उसकी तारीफ होती है और नये वाले की मुखालिफत होती है । यह नहीं है कि मैं किसी अनुमान से कह रहा हूं । हर तरह से हिस्ट्री-शीटर को और क्रिमिनल्स को आश्रय दिया जाता है और पुलिस के खिलाफ जेहाद बोला जाता है । अगर किसी हिस्ट्री-शीटर के खिलाफ पुलिस ११० का केस चलाती है तो हमारे मित्र उसकी जमानत करते हैं और यहां पर फ्रीडम आफ स्पीच है इसलिये सब तरह की बातें कहेंगे । पुलिस की जो तय समस्यायें हैं उनके मुताल्लिक मैं मोतीलाल जी से गुजारिश करूंगा कि मैं बहस की खातिर नहीं कह रहा हूं बल्कि सच्चाई अर्ज कर रहा हूं । मैं आपसे सच्चे माने में कोआपरेशन चाहता हूं । अगर जरायम पेशा लोग पोलिटिकल पार्टीज में घुस गये तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा ।"

यह उनकी स्पीच है ।

यदि उक्त भाषण में उक्त अंशों की जानकारी मिलने पर किसी जिले के पत्रकार को किसी सत्य घटना की जिला निवासी होने के कारण जानकारी हो और उसकी ओर उक्त भाषण का संकेत है, ऐसा वह लिखे तो उसका ऐसा करना तर्कयुक्त और उचित होगा । पत्रकारों

[श्री अध्यक्ष]

के भी विशेष अधिकार इस युग में हैं। माननीय सदस्यों के भाषण का हेतु क्या है, उसे वह सत्य घटना के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। सम्भव है कि किन्हीं अवस्थाओं में ऐसा करने से पत्रकारों को डिफेमेशन केस का सामना करना पड़े परन्तु इस सदन में ऐसी टीका पर तभी प्रिविलेज का सवाल उठ सकता है जबकि भाषण देने वाले का संकेत पत्रकार द्वारा टीका में स्पष्ट की हुई बात की ओर न किया गया हो। इसलिये मैंने गृह मन्त्री जी से जिनका अवमान होने का श्री गौरीशंकर राय जी अपने नोटिस में जिक्र करते हैं उनसे ही उनके भाषण के उक्त संकेत के सम्बन्ध में पूछा, जिस पर उन्होंने निम्न जवाब दिया जो मैं पढ़ देता हूं:—

यह पत्र उनका कल मेरे पास करीब १० बजे आया।

लखनऊ, १० मई, १९६१।

"माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपका ३ मई का पत्र मुझे यथा समय मिल गया था। खेद है कि अस्वस्थ रहने के कारण मैं इससे पूर्व उत्तर न दे सका। राजनीतिक व्यक्ति व दलों द्वारा अपराधियों को प्रश्रय दिये जाने के सिलसिले में कुछ सूचनायें मुझको मिली थीं, जिनमें से एक जिला जालौन से सम्बन्धित थी। पुलिस अधीक्षक, जालौन ने २ फरवरी, १९६१ को जो पत्र प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को लिखा उसका एक अंश मैं नीचे उद्धृत करता हूं :—

"There is an instance where one Ram Swarup, son of Gyani Khangar of village Ranwan, P. C. Jalaun subject of H. S. no. 316-A, and a previous convict of a number of times was challaned under section 110 Cr. P. C. and Sri Govind Narain Tewari, M.L.A., himself stood his surety on February 21, 1960. He also used to live at his house for some time. This person was ultimately bound down for maintaining good behaviour for period of two years on September 27, 1960."

†(एक उदाहरण है जिसमें ज्ञानी खंगर का पुत्र रामस्वरूप, रनवां ग्रामवासी, पी० सी० जालौन, जो कि हिस्ट्रीशीटर नं० ३१६—ए था और कई बार दन्डित व्यक्ति था, उसका सेक्शन ११० क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत चालान किया गया और श्री गोविन्द नारायण तिवारी एम० एल० ए० ने स्वयं २१ फरवरी, १९६० को उसकी जमानत दी। वह कुछ समय तक उनके घर पर भी रहा था। अन्त में इस आदमी को दो वर्ष तक अच्छा चाल-चलन बनाये रखने के लिये २७ सितम्बर, १९६० को जमानत देनी पड़ी थी।

आपका,
चरण सिंह।)

इससे स्पष्ट है कि माननीय गृह मन्त्री के भाषण को तोड़-मरोड़ या जानबूझकर गलत-फहमी पैदा करके किसी सदस्य को असत्य बात के आधार पर बदनाम करने का प्रश्न नहीं उठता और प्राइमाफेसी न तो श्री चरण सिंह के अवमान का प्रश्न उत्पन्न होता है और न श्री गोविन्द नारायण तिवारी के, जबकि उनकी ओर श्री गृह मन्त्री का ११० के हिस्ट्रीशीटर की जमानत देने का, नाम न लेते हुये, संकेत था और प्रश्रय देने का भी। इसलिये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अवमान का प्रश्न उठाने की मैं अनुमति नहीं देता।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ भी श्रेष्ठ प्रथा समझी जाती हो परन्तु यदि ११० के मुल्जिम को कोई माननीय सदस्य खुले आम अदालत में जमानत देता है और उस दौरान अपने घर में रखता है तो वह स्वयं क्योंकर समझे कि इसमें उसकी प्रतिष्ठा भंग हुई यदि कोई उस बात को प्रकाश में लाता है। हां, यदि यह बात असत्य हो तो अवश्य प्रतिवाद करना चाहिये और पत्रकार द्वारा प्रतिवाद न छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है यदि उससे सदन की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध हो।

---

†अंग्रेजी से अनूदित।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मान्यवर, आपकी रूलिंग के बाद एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि अध्यक्ष को जो हक है मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के मुताबिक वह यह है कि किसी प्रिविलेज को प्रिसिडेंस न दें, किसी प्रिविलेज के बारे में एकदम से निर्णय नहीं हुआ है।

मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के १६ वें एडीशन के पृष्ठ ३८४ से दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं--

"Many motions, more or less affecting privilege, have been brought on in their turn, that other notices of motions, and on occasions matters to which the Speaker has refused precedence as a matter of privilege, have been raised on a motion moved at a later date."

और बहुत से केसेज हाउस आफ कामंस की डिबेट में आये हैं।

श्री अध्यक्ष--तो आप नोटिस दे दीजिये।

श्री गौरीशंकर राय--अच्छी बात है।

बलिया जिले में छोड़हरा ग्राम में भयंकर आग लगने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--अब नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने श्री रामलक्षण तिवारी का स्वीकार किया है जो इस प्रकार है--

"मैं, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की अनुमति से सरकार का ध्यान अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करने की सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत देना चाहता हूं--

प्रश्न यह है कि १ मई, सन् ६१ को बलिया जिले के 'छोड़हरा' ग्राम में जो बलिया तहसील, परगना बलिया में गंगा नदी के किनारे स्थित है एक भंयकर आग लगी जिसके कारण उस गांव के सैकड़ों घर जल कर राख हो गये। उनकी सारी सम्पत्ति, कपड़े लत्ते, अन्न आदि सब जल कर राख हो गया। वे भगवान के भरोसे मैदान में इस लू व गरमी के दिनों में भूखे नंगे पड़े हैं तथा सरकारी कर्मचारी उनकी सहायता करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसी प्रकार उस गांव के पास करीब एक मील की दूरी पर स्थित "नगवा" ग्राम में जो उसी तहसील व परगने का है तीन बार फरवरी से अब तक आग लग चुकी किन्तु सरकारी अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति से जनता में घोर निराशा एवं असंतोष व्याप्त हो रहा है। लोग अत्यन्त दुखी, परेशान एवं निस्सहायावस्था में पड़े हुये हैं।

मैंने परसों भी इस विषय की सूचना दी थी किन्तु कुछ ज्ञात नहीं हो सका कि क्या हुआ। अतः पुनः आज इस नोटिस के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की आज्ञा चाहता हूं।"

माननीय न्याय मन्त्री, आप कब वक्तव्य देंगे इसके बारे में?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--१७ तारीख को दूंगा, लेकिन इसकी कापी मुझे नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष--वह मैं भिजवा दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--१७ तारीख को तो एक दूसरा है।

श्री अध्यक्ष--वक्तव्य तो दो एक दिन में दिये जा सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---मुझे एक निवेदन करना है कि आपने बहुत सी बातें अपनी रूलिंग देने के सिलसिले में कहीं। यह बात ज्यादा मुनासिब होती कि अपनी रूलिंग देने के पहले आप हमसे भी कुछ जानकारी कर लेते। चूंकि मेरे सम्बन्ध में बात कहीं गई इसलिये मैं समझता हूं कि यह फेयर होगा कि आप हमको भी अपनी बात कह लेने का मौका दें ताकि हम पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकें....

श्री अध्यक्ष---वह तो मैं फैसला दे चुका। आप कल यहां बैठे थे, आप खुद क्वेश्चन रेज कर सकते थे।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मैं तो केवल पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि जो चरणसिंह जी ने बात कही या चतुर्भुज शर्मा जी के अखबार में जो बात छपी या वहां के कप्तान पुलिस ने जो बात कही वह बिल्कुल झूठ और गलत है।

श्री अध्यक्ष---यह आपने कल क्यों नहीं कहा?

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---आप मुझसे पूछते तो मैं कहता। वहां के पुलिस कप्तान के ऊपर तो यह चार्ज है कि उसने ५ हजार रुपये की रिश्वत ली और उसके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है.....

श्री अध्यक्ष---आप अगर डिनाई करते हैं.....

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---आप मेरी बात तो सुन लीजिये। वहां पी० एस० पी० के कार्यकर्त्ताओं की हत्या हुई, उनके ऊपर जबर्दस्ती ११० के मुकदमे चलाये गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---आप मेरी बात तो सुनिये और अगर आप मेरी बात को सुनने से इन्कार करेंगे [* * *] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर अपने इन शब्दों को वापस लीजिये।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---ऐसा नहीं हो सकता। [* * *]

(व्यवधान---कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिसके कारण सदन में काफी शोर हुआ।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के बाद उस प्रश्न को फिर उठाना यह परम्परा और पद्धति के विरुद्ध है और जो शब्द आपके विरुद्ध कहे गये हैं वे वापस लिये जायें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप कृपा करके अपने शब्दों को वापस लें।

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--जितनी बात मैंने आपके बारे में कही है मैं उसमें से एक शब्द भी वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--तो आप कृपा करके सदन को छोड़ दें।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--जरूर छोड़ दूंगा।

(इसके पश्चात श्री गोविन्दनारायण तिवारी सदन के बाहर चले गये।)

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। जब किसी माननीय सदस्य के बारे में उसके ऊपर कोई अभियोग या इस तरह के चार्ज लगाये जायं तो आप कृपा कर यह बतायें कि उसको परसनल एक्सप्लेनेशन देने का हक मिलना चाहिये या नहीं?

श्री अध्यक्ष--उस सदस्य के ऊपर यहां सदन में कोई चार्ज नहीं लगाया गया था। उस सदस्य की तरफ से श्री गौरीशंकर राय जी ने कुछ बाहर वाले व्यक्तियों के ऊपर चार्ज लगाये थे। अगर उनके ऊपर चार्ज लगाये गये होते तो प्रश्न उठ सकता था। उनका खुद का अधिकार था चार्ज लगाने का कि वह दूसरों के ऊपर चार्ज लगाते, उनकी एवज में चार्ज लगाया गौरी शंकर राय जी ने, उनको मुझे खुद लिखना चाहिये था यह मैंने उसमें कहा है, तो अब परसनल एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं है। उनको खुद खड़े हो जाना चाहिये था, वह कल भी यहां मौजूद थे, वह कहते कि मैंने ऐसा नहीं किया है।

श्री गौरीशंकर राय--मैं निवेदन यह करना चाहता था कि जो प्रिविलेज का मोशन था उसमें गोविन्दनारायण तिवारी जी ने क्या किया है, एस० पी० की रिपोर्ट क्या है यह सब वाकयात समझना किसी साधारण बुद्धि के बाहर की बात थी। [* * *]

(शोर)

श्री अध्यक्ष--आप अपने शब्दों को वापस लीजिये।

श्री गौरीशंकर राय--मैंने आपके बारे में जो कहा है उसे वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--तो आप कृपा करके सदन छोड़ दीजिये। (शोर) आप सदन को छोड़ दें।

श्री गौरीशंकर राय--मैं छोड़ तो दूंगा लेकिन [* * *]

(इसके पश्चात् श्री गौरीशंकर राय सदन के बाहर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह जो आपके विरोध में शब्द कहे गये हैं वह कार्यवाही से निकाल दिये जायं और वह उसको वापस लें।

श्री अध्यक्ष--वह तो मैंने वापस करने के लिये कहा ही है। वह निकाल दिया जायगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ यहां हुआ उससे मुझे दुख है और मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि ऐसा न होता, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आइन्दा किसी सदस्य के सम्बन्ध में आपकी ओर से कुछ एलान किया जाय, किसी सिलसिले में रूलिंग हो, तो जहां

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जैसे इस मामले में आपने यह मुनासिब समझा कि माननीय गृह मन्त्री से जानकारी प्राप्त कर लें वहां अच्छा होता कि जो सम्बन्धित माननीय सदस्य थे उनसे भी जानकारी प्राप्त कर लेते क्योंकि यह हो सकता है---मुझे नहीं मालूम कि क्या वाकयात हैं, लेकिन यह हो सकता है कि माननीय गृह मन्त्री ने जो सूचना आपको भेजी है वह सही न हो और चूंकि जो बात आपके मुख से निकलती है, वह इस आदरणीय सदन की कार्यवाही का एक अंग बन जाती है, उसको एक प्रमाण मिलता है, इसलिये यदि इसका एहतियात बरता जाय तो मेरी राय में वह इस सदन की प्रथा के अनुसार होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया वह जिसके ऊपर आरोप होता है उसको तो समय दिया जाता है। आरोप करने वाला जो है चूंकि बाहर उनके बारे में यह लिखा गया कि ११० के लिये उन्होंने जमानत दी और क्रिमिनल्स को अपने यहां रखा, तो इतना कहने में कौन सी बात थी गौरीशंकर जी को या विरोधी दल के नेता को या गोविन्दनारायण तिवारी जी को कि मुझे एक वह लिख देते कि आप मेरी प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं, मैंने यह चीज नहीं किया, मैंने जमानत नहीं दी, मैंने अपने यहां नहीं रखा। मेरे ऊपर इस अखबार में यह है, इसके खिलाफ कार्यवाही आप करें। उन्होंने २८ तारीख तक कोई चीज नहीं की। उसके बाद गौरीशंकर राय जी यह कहते हैं। और जब मैंने गृह मन्त्री से पूछा था और यह कहा था कि मैं उनसे पूछूंगा तो उसको रोका जाता था कि जरूरत नहीं है उसकी। गोविन्द नारायण जी ने कभी इस बीच में यह नहीं कहा। कल वह यहां बैठे भी रहे, उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने ११० में जमानत नहीं दी और अगर दी है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कायदे के हिसाब से वह होता है, मैंने आखिर में यह कह दिया है कि उसमें कोई अप्रतिष्ठा की बात नहीं है, अगर जमानत दे दी थी तो उसमें कोई वैसी बात नहीं थी। ऐसी हालत में मैं तो इस बात को नहीं मानता कि जो आक्षेप करे उसको यह मौका दिया जाय कि वह बताये कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया। उसको खुद पहले ही कहना चाहिये था कि अखबार में जो छपा था वह सत्य है या असत्य है।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था इस मामले में जानना चाहता हूं कि प्रश्न यह नहीं था कि चौधरी चरणसिंह को आई० जी० ने पत्र लिखा। प्रश्न यह था कि सदन में चरण सिंह जी ने पुलिस विभाग के भाषण पर किसी मेम्बर पर नाम लेकर इशारा किया या नहीं? आपने चौधरी चरणसिंह को लिखा और चरण सिंह जी ने इसके जवाब में एस० पी० की चिट्ठी आपके पास भेज दी। आप इस सदन के सदस्यों के प्रिविलेजेज को ज्यादा जानते हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा का भार आपके ऊपर है। जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उनका इस सदन में आना एक विशेष महत्व रखता है। उनकी मान-मर्यादा की रक्षा करना आपके ऊपर है। जो पूरी चिट्ठी यहां पर पढ़ी गई है, उन माननीय सदस्य के सम्बन्ध में, मुझे सन्देह है कि उसको यहां नहीं पढ़ा जाना चाहिये था। इस मामले में गवर्नमेंट आफिशियल को नान-आफिशियल से ज्यादा जिम्मेदार समझा गया है.....

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि एस० पी० की जो चिट्ठी आई वह चरण सिंह जी ने आपको दे दी। आपने उस चिट्ठी को यहां पर पढ़ दिया। मैं यह समझता हूं कि बहैसियत गार्जियन आफ अवर राइट्स उस चिट्ठी के सम्बन्ध में हमको क्या कहना है, श्री गोविन्दनारायण जी को मौका देना चाहिये था। हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुर्जुग से गलती नहीं होनी चाहिये। इसमें हम लोगों की मान-मर्यादा का प्रश्न है। उस चिट्ठी की बिना पर फैसला लिया गया तो इस पर फिर से विचार होना चाहिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कल से जो कार्यवाही हुई है उसको मैंने बहुत गौर से सुना और समझने की कोशिश की। आपकी जो रूलिंग हुई है वह हम सब को मान्य है ही, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं सका। इस विषय पर आपने जो मत व्यक्त किया है उससे मैं अपने को सहमत होता नहीं पा रहा हूं। माननीय चरणसिंह ने आपके पास अपने पत्र में एस० पी० का एक पत्र भेजा है। उस पत्र के बाद मेरी समझ में यह जरूरी था कि आप उस माननीय सदस्य को, जिनके विषय में एस० पी० साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, अवसर देते कि उनको इस विषय में क्या कहना है। यदि इतना भी आप पूछ लेते तो हमारे अधिकारों के साथ न्याय हुआ होता। यह प्रिविलेज का जो प्रस्ताव था गौरीशंकर राय जी का था। माननीय गोविन्दनारायण जी इस पर कुछ भी बोले नहीं हैं और न आपने उनको मौका दिया.....

श्री अध्यक्ष—वह खड़े नहीं हुये।

श्री झारखंडेराय—लेकिन उनको इस सारे मसले पर क्या कहना है, इसके लिये अवसर मिलता तो हमारे अधिकारों का संरक्षण अधिक हुआ होता। मेरे विचार से आपका यह अधिक फर्ज था कि जो सूचना आपके पास आई उसके सम्बन्ध में उनको क्या कहना है आप बुलाकर पूछ लेते तो हमारे साथ न्याय हुआ होता। जो रूलिंग दी गई है, उस चिट्ठी के आधार पर वह चिट्ठी यहां पर नहीं पढ़ना चाहिये था। अगर उस पूरी रूलिंग पर आप पुनः विचार करें तो ऐसी हालत में हमारे अधिकारों की अधिक सुरक्षा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—मैंने पूर्ण विचार करके यह रूलिंग दी है। अब इस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता।

श्री एस०जी दत्त (जिला कानपुर)—श्रीमन्, आप इस हाउस की इज्जत हैं। आपकी जब एक रूलिंग हो जाती है तो उसके बाद किसी किस्म की उस पर कमेन्टरी करना मेरे खयाल से जायज नहीं है। मैं समझता हूं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उनको मौका इस बात का देना चाहिये था कि वह इस बात को ऐक्सेप्ट करते या डिनाई करते।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह नहीं किया। वह आज भी कर देते, लेकिन यह उन्होंने नहीं किया। उन्होंने दूसरी बातें कहीं। वह आज भी नहीं कहते कि उन्होंने ११० की कोई जमानत दी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि गोविन्दनारायण जी ने यह बात जरूर कही थी कि जिस डिप्टी सुपरिन्टेंडेंड की रिपोर्ट चरण सिंह जी ने कोट की है वह बिलकुल असत्य है और आपने विशेष रूप से उस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जोकि वहां से आई है.....

श्री अध्यक्ष—मैंने उनसे कहा कि आप लिखित दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो मोशन दिया था और जो उसके बाद भाषण दिया था उसमें उन्होंने यह कहा है कि गोविन्द नारायण जी ने चरणसिंह जी को एक पत्र लिखा है कि यह अखबार में गलत दिया हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--यह पत्र मेरे पास है। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अपने भाषण में उन्होंने यह कहा है।

श्री अध्यक्ष--भाषण में यह बात भले ही कही हो, लेकिन गोविन्दनारायण तिवारी जी के पत्र की कापी मेरे पास है और उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि जमानत देने की बात गलत है।

*__श्री शिवप्रसाद नागर__ (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, २२ अप्रैल को गोविन्दनारायण तिवारी जी ने चरणसिंह जी को एक पत्र लिखा था और उसमें यह लिखा था कि यह सब बातें झूठी हैं। आज तक चरणसिंह जी ने उसका जवाब नहीं दिया और एक झूठी रिपोर्ट यहां लाकर प्रस्तुत कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस्तगासा दायर होता है तो उसमें पहले बयान इस्तगासा होता है फिर बयान जाहिरी होता है, फिर २०२ के सबूत पेश किये जाते हैं और उसके बाद मुलजिम को तलब किया जाता है, लेकिन इस इजलास में बिलकुल उलटी बात हुई है। मुलजिमान से सब बयान ले लिये गये और न बयान जाहिरी हुआ और न २०२ के सबूत पेश किये गये। इसमें तो गोविन्दनारायण तिवारी जी से.....

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री शिवप्रसाद नागर--मैं जो कहना चाहता हूं वह कह लेने दीजिये। गोविन्दनारायण जी जा रहे थे और यह कहते जा रहे थे, चैलेंज फेंकते जा रहे थे कि यह सब झूठ है, सरासर झूठ है। वे कह रहे थे कि हमारी पार्टी के लोगों को ११० में फांसा चतुर्भुज शर्मा ने और हमने उनकी जमानत की थी।

श्री अध्यक्ष--आप दूसरी बात में जा रहे हैं।

श्री एस० जी० दत्त--मेरा फिर एक व्यवस्था का प्रश्न है। बावजूद आप के कहने के.....

श्री शिवप्रसाद नागर--आप अगर इजाजत दें तो फिर एक बार गोविन्दनारायण तिवारी जी को बुला लिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--हम सब को कुछ फील हो रहा है। मैं आपकी बिना इजाजत के नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मदन पांडेय--मैंने एक अलग दूसरे विषय पर आपको लिखा था.....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--एक बार टंडन जी ने कहा था कि इस कुर्सी की पवित्रता बहुत ऊंची है और अगर तीन लोगों को शक हो जाय तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। इस कुर्सी की प्रतिष्ठा हम को और आपको, दोनों को रखनी है। तो इसलिये मुझे आप थोड़ा सा निवेदन कर लेने दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर राय जी ने नोटिस दे दिया है कि मैं लिख कर भेजूंगा इस पर विचार करने के लिये । मैंने कहा है कि उसे भेज दीजिये । तो इस के बाद इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये थी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो प्रश्न गौरीशंकर राय जी ने उपस्थित किया था वह इस आधार पर उपस्थित किया था कि चरण सिंह जी ने अपने भाषण में किसी सदस्य का नाम या किसी जिले का नाम लिया नहीं । आपने जो निर्णय दिया है उसका हवाला देते हुये उसमें किसी जिले का नाम है और न किसी सदस्य का. . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप फिर बहस कर रहे हैं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस संबंध में नहीं, मैं एक दूसरे विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि . . . . .

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न था उसे सुन लिया जाय ।

(इस समय श्री ब्रजनारायण तिवारी, श्री मदन पांडेय तथा अन्य सदस्यगण एक साथ बोलते रहे और शोर होता रहा)

समाचार-पत्रों में कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग पर आपत्ति

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मेरा विषय अभी रह गया । अखबारों में जो गलत रिपोर्टिंग हो गई है उस के बारे में मैंने लिख कर दिया था आपको । यहां सत्र की अवधि बढ़ाने के बारे में अपोजीशन ने उसका विरोध किया था ऐसा अखबार में निकला है । और मैंने कल की जो प्रोसीडिंग्स देखी हैं और जो कुछ सुनी हैं उससे मेरा ऐसा इम्प्रेशन है कि अपोजीशन ने उसका विरोध नहीं किया । सब भाषण उसके हक में थे और यह कहा गया था कि जो कुछ संदेह थे उन्हें दूर करने के बाद अगर सत्र चलाया जाय तो कोई हर्ज नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है । आपने यह शिकायत की है कि 'नेशनल हेराल्ड' में इस तरह की चीज छप गई है और इस से गलतफहमी पैदा हो सकती है । विरोधी दल के नेता ने यह कहा था कि अगर चुनाव की तारीख बढ़ा दी जाय, २५ तारीख या शायद कुछ और, तो हम लोग बैठने को तैयार हैं । तो वह चीज भी 'नेशनल हेराल्ड' में छापी जानी चाहिये थी, यानी सभी दलों ने उसका विरोध नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६० (क्रमागत) †

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक लाने के लिये आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । जैसा कि बहुत से हमारे अन्य साथियों ने कहा, हमारे प्रदेश में और खास कर कानपुर शहर में ऐसी गन्दी बस्तियां हैं जिन्हें देख कर बड़ा दुख होता है और जहां पर रहने से लज्जा आती है । मान्यवर, मुझे स्वयं उन जगहों को देखने का मौका मिला है और कुछ वक्त तो रहने का भी मौका मिला है, मैंने यह पाया है कि वहां पर एक-एक कोठरी में जो बहुत ही छोटी हैं, १०-१०, १२-१२ आदमी रहते हैं और सबसे बड़ी परेशानी वहां के लोगों को पानी और लैट्रिन जाने की होती है । वहां पर ६-६ अहातों के बीच एक ही सार्वजनिक शौचालय होता है और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है । वहां पर गन्दगी भी बहुत ज्यादा रहती है ।

---

†१० मई, १९६१ को कार्यवाही से ।

[श्री माताप्रसाद]

मान्यवर, इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी उन लोगों के बसाने के लिये जिस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं खास कर ग्वालटोली, जहां पर ज्यादातर मजदूर लोग ही रहते हैं के बारे में कुछ सुझाव दूंगा। यह मजदूर लोग मिल में काम करते हैं और उनको बसाने का प्रश्न है। उनके लिये कुछ मकान दिये हुये हैं और उनसे १५ रुपये माहवार किराया लिया जाता है। कम वेतन पाने वालों को इतना किराया देने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये उनको, मेरा सुझाव है कि कम कीमत पर कमरे एलाट किये जायं। इसके अलावा मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सबसे पहले मकान उन लोगों को दिये जायं जो बहुत पहले से वहां पर रहते चले आ रहे हैं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा समय निर्धारित किया जाय १० वर्ष का या १२ वर्ष का कि जो उतने समय तक मजदूर उस मकान में रहे उसके बाद वह मकान उसका ही हो जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब से सरकार ने यह योजना चालू की है कि इन गन्दी बस्तियों को समाप्त करके, लोगों के लिये हवादार और रहने योग्य मकान बनाये जायं, तब से एक कठिनाई यह सामने आती है कि कहीं ऐसा न हो कि वे मकान मिल से काफी दूरी पर, ३–४ मील पर बनाये जायं। अगर ऐसा हुआ तो उनको आने जाने में या तो आठ आने या एक रुपया किराये में खर्च करना पड़ेगा या अगर पैदल आते हैं तो समय से कार्य पर नहीं पहुंच पायेंगे। इसलिये इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो मिल एरिया है वहीं पर उनको बसाने के लिये इन्तजाम किया जाय। खास कर के जो ग्वालटोली, मकरावटगंज के बीच में बंगलों के पीछे काफी जमीन पड़ी हुई है जहां पर करीब ५ हजार तक परिवार बसाये जा सकते हैं, वहां पर सरकार को मकान बनाने चाहिये।

दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि जब इन लोगों को वहां से हटाया जाय तो इनके साथ कोई सख्ती न बरती जाय और अच्छा यह हो कि सरकार कुछ समय के लिये उनके रहने की भी कोई व्यवस्था कर दे और जब ऐसा प्रबन्ध करा दिया जाय तभी वहां मकान बनवाये जायं। कहीं ऐसा न हो कि उनसे मकान तो खाली करा लिये जायं और वे लोग इधर-उधर भटकते फिरें। इसलिये कुछ समय के रहने के लिये जरूर कोई प्रबन्ध किया जाय और उसके लिये झोंपड़ी आदि भी डाली जा सकती हैं या कोई टट्टी वगरह डाल कर उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाय और जो क्वार्टर बनें वे पहले मजदूरों को ही दिये जायं और कम दामों पर दिये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है, इसको प्रस्तुत करते हुये माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने कानपुर में आकर सब से ज्यादा आवश्यक इन मलिन बस्तियों को हटाना बताया और उसी को आधार मान कर यह योजना कार्यान्वित होती जा रही है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने तो आज नहीं, १४ वर्ष पूर्व यह बात कही थी और हमें संतोष है कि आज सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की है कि मलिन बस्तियों को दूर किया जाय। जो यहां पर विधेयक प्रस्तुत है उसमें बहुत सी कमियां और खामियां हैं। कंजाल हाउंस में तो आज कल मलिन बस्तियों की दशा बिलकुल नारकीय है, एक-एक घर में १०–१० आदमी रहते हैं, वहां का सैनिटेशन, आबोहवा, रहन-सहन एक दम अमानवीय ढंग का है। वहां भले आदमी का निस्तार नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से सरकार उन मलिन बस्तियों को दूर करना चाहती है उससे लोगों को परेशानी और तकलीफ होती है, बल्कि मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि सरकार अपने इस कदम से जो म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन्स हैं उनके लिए मुनाफा उठाने का साधन उपलब्ध कर देती है।

कानपुर का एक नमूना है, वहां मलिन बस्तियों को साफ करने के लिए जब-जब कदम उठाया गया तो कितने ही मकानों को गिराया गया, जो आबाद थे उनको विस्थापित किया गया

और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। हस्तगत भूमिखंडों को ज्यादा दामों पर बेचा गया और जिनकी जमीनें ली गयीं थीं उनको रियायती दामों में जमीन न देकर अधिक दामों पर जमीन बेची गयी घर वाले भूमिहीन हो गये और मकान मालिकों को अब किरायेदार की हैसियत से रहना पड़ रहा है। कहीं यह विधेयक भी म्युनिसिपैलटियों और कारपोरेशन्स के प्राफिट करने का सहारा न बन जाय, इसलिए मैं आश्वासन चाहूंगा कि जिस क्लास आफ पीपिल को मलिन बस्तियों से पृथक् किया जाय, उनको फिर से वहीं बसाया जाय और मकान वालों को जिनके मकान गिरायें उनको ही पहले मकान बनाने का सहारा और अन्य सुविधाएं मिलें वरना आपका यह स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। शहरों की आबादी बढ़ रही है। १९४१ और १९५१ और १९६१ की जनगणना से यह स्पष्ट है। इस बार की जनगणना में तो १७ प्रतिशत आबादी बढ़ी है, लेकिन मकानों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ती जायगी और हम मकान प्रोवाइड नहीं कर पायेंगे तो फिर स्लम्स दूर नहीं किये जा सकेंगे। इसलिये बढ़ती हुई आबादी की हाउसिंग प्राब्लम को हल करने का प्रयत्न भी सरकार को करना चाहिये।

मान्यवर, आज कल ज्यादातर स्लम्स फैक्टरीज की सराउन्डिंग्ज के किनारे किनारे बन गये हैं जहां पर मजदूर व दूसरे तबके के लोग रहते हैं जिनका कि मिलों से सम्बन्ध होता है। चूंकि उनको मिल में आने-जाने में सुविधा होती है इसलिये वह वहीं रहना पसन्द करते हैं। आज उनके लिये जो मकान बनवाये जा रहे हैं वह ६–६ और ८–८ मील दूर पड़ते हैं, जहां पर न तो उनके बच्चों की पढ़ाई और न दवा-दारू का कोई प्रबन्ध होता है। इसलिये उनको ऐसे स्थान पर बसाना चाहिये जहां पर उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मैं चाहूंगा कि जिस समय प्रवर समिति में यह विधेयक जाय तो वहां पर इन खामियों की ओर भी ध्यान दिया जाय और इन बातों का सुधार करके जिस पवित्र भावना की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है, उसको यथास्थान प्रतिष्ठित किया जाय ताकि सुनियोजित ढंग से काम करने की व्यवस्था हो सके।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मलिन बस्तियों के क्षेत्र के सिलसिले में जो बिल आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मलिन बस्तियों का जिक्र आता है तो कानपुर शहर का भी जिक्र आ जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कानपुर शहर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें इस तरह की बस्तियां बजाय घटने के बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि कानपुर में पहले भी काफी प्रयास हुआ, मलिन बस्तियों का निवारण करने के लिये हजारों मकान खड़े किये गये और इसलिये खड़े किये गये कि गन्दी बस्तियों के लोग साफ-सुथरे मकानों में जाकर रहें। मान्यवर, जब यह कहा जाता है तो दुख होता है कि मलिन बस्तियों के लोग किसी तरह से वहां रह लेते थे लेकिन उनको सरकार या कारपोरेशन की ओर से उखाड़ फेंका गया। दर्द तो इस बात पर होना चाहिये कि वह मलिन बस्तियों में रह रहे थे। उनको किसी तरह से उस नर्क से नजात मिली इससे तो संतोष ही होना चाहिये। हां, इस बात में दो रायें नहीं हो सकतीं कि जब मलिन बस्तियों से लोगों को हटाया जाय तो उनको पेड़ के नीचे न डाल दिया जाय। उनके रहने की व्यवस्था पहले होनी चाहिये कब्ल इसके कि उनको वहां से उजाड़ा जाय। कानपुर में ऐसा हुआ कि बहुत अहाते उजाड़े गये और लोगों को तकलीफ हुई। आज भी कानपुर में सैकड़ों की संख्या में अहाते मौजूद हैं जो इनसान के रहने के लायक नहीं हैं।

एक दलील यह दी जाती है कि जो उजाड़े जायं उनको नजदीक ही रहने की व्यवस्था की जाय। मैं जानता हूं कि बहुत-सी ऐसी गन्दी बस्तियां हैं जो बमपुलिस के किनारे हैं। तो यह दलील कहां तक ठीक होगी कि उनको बमपुलिस के पास ही बसाया जाय। जब उनको गन्दी जगह से हटाना है तो अगर वह कुछ दूर भी पड़ जायं तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन साफ-सुथरी जगह पर उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। बमपुलिस के पास जो मेहतरों की बस्तियां बन रही हैं मैं उनको आपत्तिजनक समझता हूं। आखिर मेहतर भी एक इनसानी कौम है, उनको भी साफ-सुथरी जगह पर रहने का अधिकार है। उनको बमपुलिस से दूर

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

रहना चाहिये। मजदूर इस बात को पसन्द करेगा कि उसको रहने के लिये साफ-सुथरी जगह मिले जहां पर उसके बच्चों के खेलने के लिये उद्यान भी हों, दवा-दारू का भी प्रबन्ध हो, भले ही फैक्टरी वहां से दूर हो। यह जरूरी नहीं है कि जहां नई बस्तियां उजाड़ी जायं वहीं आवास दिये जायं क्योंकि कहीं पर गन्दी बस्तियों के स्थान पर उद्यान बनवाने में आस-पास के लोगों को अधिक सुविधा हो सकती है। ऐसी जगह उद्यान बनाना अधिक आवश्यक होगा। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। सबसे मलिन बस्तियों के सम्बन्ध में, यह सही है कि हमारे देश की जनता की चेतना उस समय से उभर कर आई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानपुर में अपने एक भाषण में यह कहा कि इनमें आग लगा कर जला दिया जाय। उनकी दुरावस्था से वे इतने प्रभावित हुये।

उसके बाद मलिन बस्तियों की समस्या भी बढ़ी है। कोई ऐसा शहर नहीं है, छोटे से छोटा शहर भी जिसमें इस प्रकार की बस्तियों की समस्या न हो। मलिन बस्तियां तीन प्रकार की हैं—एक तो वे हैं जिनको किसी पैसे वाले ने अहाते के नाम से बनाया है और जिनमें आज सैकड़ों मजदूर बसते हैं और उनसे वे लोग मनमाना किराया वसूल करते हैं, जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने भी किया। दूसरी ऐसी बस्तियां हैं जिनके मकान मालिक भी खुद गरीब तबके के लोग हैं, जो स्वयं एक या दो कोठरी वाले मकान में रहते हैं और एक या दो कोठरी सम्पत्ति के रूप में रख कर उनसे किराया वसूल करके अपनी जीविका चलाते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार की ऐसी भी बस्तियां हैं जिनमें मालिक स्वयं रहते हैं और उनको किराये से नहीं उठाते।

हमें इन तीनों प्रकार की बस्तियों की समस्या का समाधान करना है। जहां तक आखिरी दो प्रकार की गरीब लोगों की बस्तियों की समस्या है, सरकार अगर उनको वहां से हटाये तो पहले उनके रहने की व्यवस्था कर दे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सामने एक कठिन समस्या आ जाती है कि क्या वे कोठरियों से निकल कर फुटपाथ पर चले जायं? इसलिये विकल्प के रूप में जब तक उनके लिये कोई अस्थायी रहने की व्यवस्था हो उनको थोड़े समय के लिये छप्पर या टैंट के रूप में आवास दिया जाय।

जहां तक बड़े-बड़े पैसे वाले लोगों की कोठरियों अथवा अहातों का सम्बन्ध है, उनके बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार सख्ती से कदम उठाये, लेकिन इस स्थिति में भी उन किरायेदारों को वहां से निकाल कर फुटपाथ पर फेंकना भी न्यायसंगत न होगा। हमें पैसे वाले के प्रति कोई खास हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो लोग उन कोठरियों में रहते हैं उनके लिये हमें अवश्य देखना होगा कि उनको वहां से निकाल कर सड़क पर न फेंक दिया जाय। उनके लिये भी टैंट इत्यादि का प्रबन्ध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस विषय में शीघ्र ही उचित कदम उठायेगी।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और केवल सहानुभूति ही प्रकट नहीं की बल्कि यह भी चाहा कि शीघ्रातिशीघ्र इन मलिन बस्तियों के स्थान पर हम दूसरा निर्माण कर दें। मैं अपने मित्र विष्ट जी का भी विशेष रूप से अनुग्रहीत हूं जिन्होंने स्पष्ट रूप में इस विधेयक का स्वागत किया। मुझे इस विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रस्ताव यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय क्योंकि इस विधेयक में भारी परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

(इस समय १ बज कर ८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक दो बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया और यह सन्देह प्रकट किया गया है कि इसमें जो अधिकारी हों वे ऐसे होने चाहिये जो सहानुभूति रखते हों और जो इस विधेयक के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में केवल यही कहा जा सकता है कि बहुत से गरीब लोग इन बस्तियों में रहते हैं और उन्हीं के हितार्थ यह व्यवस्था की जा रही है। यदि उनका इससे हित नहीं होता या उनको लाभ नहीं पहुंचता तो इस विधेयक को लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

हमारा विचार तो यही है कि इसमें जो भी अधिकारी हों, जो भी इसका प्रशासन हो, वह सही ढंग का हो और जो उन गरीब लोगों के हित में काम कर सकते हों, जिनको उनसे पूरी सहानुभूति हो, जो आज कल इन मलिन बस्तियों में रह रहे हैं तथा इन मलिन बस्तियों के निर्माण के लिये जो अधिकार प्राप्त किये जायंगे उनसे भी उन लोगों को कोई कष्ट न हो।

यह भी सुझाव दिया गया है कि जब लोग हटाये जायं तो उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाय। बात अपनी जगह पर सही है अगर लोगों को हटाया जाय तो जहां तक हो सके उनको रहने की सुविधा दी जाय, लेकिन समस्या बड़ी जबर्दस्त है और वह यह है कि इन मलिन बस्तियों में ज्यादा जिन क्षेत्रफलों में लोग रहते हैं अगर उनकी उन्नति की जाती है तो वहीं गृहों में उतने लोग नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आज तो छोटे-छोटे मकानों में लोग भरे पड़े हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्यकर आवास बनाये जाते हैं तो उतने लोगों को उनमें आवास नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं वे गरीब हैं। शहर के अन्दर उनकी ये बस्तियां हैं। अब बड़ी भारी समस्या यह आ जाती है कि वहां उतनी जगह तो है नहीं कि सब लोगों को बसाया जा सके और अगर उनको दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वह काफी दूर मिलती है। कानपुर में विशेष कर यह तजुर्बा हुआ कि जो मकान उस क्षेत्र से दूर बनाये जाते हैं जहां वह रहते हैं तो उन लोगों को वहां ले जाने में कठिनाई होती है और वहां लोग जाना नहीं चाहते हैं। नतीजा यह है कि मकान बने हैं, किराया भी निर्धारित है, उन्हीं के लिये वे हैं किन्तु खाली हैं। यह बड़ी जबर्दस्त समस्या है।

मैं माननीय सदस्यों से स्पष्टतया निवेदन करूंगा कि इस स्कीम के अन्तर्गत जितना भी कार्य होगा वह इन मलिन बस्तियों के रहने वालों के लिये ही होगा। यदि कोई मकान बनेंगे तो केवल उन्हीं लोगों के उपयोग के लिये बनेंगे और किसी के उपयोग के लिये नहीं बनेंगे। नगर महापालिकाओं में और बहुत-सी योजनायें चल रही हैं और बहुत-सी डेवलपमेंट की स्कीमें चल रही हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्तर्गत जिनमें किसी वर्ग विशेष की कोई बात नहीं है उनमें यह बात है कि जो कोई प्लाट लेना चाहे ले और जो कोई मकान बनाना चाहे बनाये। उसमें अक्सर यह बात भी होती है कि जब ज्यादा लोग खरीदार होते हैं तो कुछ व्यावसायिक ढंग से उन चीजों को बेचा जाता है, यह बात बिल्कुल अलग है, उसका इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो इस योजना के अन्तर्गत जो काम होगा, जो मकान बनेंगे, जो उन्नति उन बस्तियों की होगी वह केवल उन लोगों के लिये होगी जो उन बस्तियों में रहते हैं। इसलिये वह कठिनाई जिसकी चर्चा की गई कि उनके नाम पर काम होगा और लाभ दूसरे उठायेंगे, ऐसी सम्भावना इसमें नहीं है।

यह भी कहा गया कि जो मकान बनाये गये हैं उनका किराया इतना अधिक है कि वह लोग उसे दे नहीं पाते। हम भी इस चीज को महसूस करते हैं। आज स्थिति यह है जैसा कि मैंने निवेदन किया, विशेषकर कानपुर में कि ५० प्रतिशत सब्सिडी या अनुदान मिलता है, मकानों को बनाया जाता है और उनकी आधी कीमत पर जो किराया लगाया जाता है वह भी इतना होता है कि वह उसको आसानी से दे नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ इससे अधिक कम करने में भी मजबूरी है, इसलिये किराया इतना रखना होता है। अब चूंकि लाल बत्ती हो गई इसलिये मैं नहीं समझता कि मुझे और कोई जरूरी बात कहनी है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इसका स्वागत किया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और इसे दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के पास विचार के लिये भेजेगा।

श्री अधिष्ठाता—इस सम्बन्ध में आप संयुक्त प्रवर समिति के नाम भी प्रस्तुत कर दें।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, वह तो १३ नम्बर पर आयेगा, अभी तो १२ नम्बर के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, वह पारित हो जाय तब वह पेश किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—वोटिंग तो २ बजे के बाद ही होगी, इसलिये आप उसको भी पेश कर दें तो दोनों पर २ बजे के बाद साथ ही राय ले ली जायगी।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के लिये १६ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय। सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१—श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव
२—श्री उमाशंकर
३—श्री रामलखन
४—श्री नेकराम शर्मा
५—श्री छत्रपति अम्बेश
६—कुंवर महमूद अली
७—कुमारी कमलकुमारी गोईंदी
८—श्री केशभान राय
९—श्री लालबहादुरसिंह
१०—श्री नत्थूसिंह
११—श्री भगवतीसिंह
१२—श्री पब्बरराम
१३—श्री हिम्मतसिंह
१४—श्री उग्रसेन
१५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह
१६—श्री ए० सी० ग्राइस।

श्री अधिष्ठाता—इस पर वोटिंग इस समय नहीं होगा, २ बज के बाद वोट लिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस में जो विरोधी दलों के सदस्यों के नाम रखे गये हैं क्या विरोधी दलों के नेताओं से पूछ कर यह नाम मंत्री जी ने रखे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—यहां तो यह मंत्री जी का प्रस्ताव है। इसके सम्बन्ध में परम्परा यह रही है कि शासक दल के सचेतक ऐसे मौके पर अन्य पार्टियों के नेताओं से राय ले लेते हैं और तब नाम रखते हैं। लेकिन अगर किसी को एतराज हो तो यहां भी दूसरे नाम रखे जा सकते हैं। उन पर सदन की स्वीकृति के लिये राय ली जायगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—वह इसमें संशोधन दे सकते हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, आप चाहें तो मैं नाम भी बता दूं कि कौन किस पार्टी के सदस्य हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं तो यही जानना चाहता था कि जो दूसरे दलों के सदस्यों के नाम रखे गये हैं उनके दलों के नेताओं से पूछा गया है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—परम्परा यहां इस बात के बताने की नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शासक दल के सचेतक पूछ कर ही नाम रखते हैं, फिर भी अगर आप सहमत नहीं हैं तो दूसरे नाम दे सकते हैं, अभी वोटिंग इस पर होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—हम से पूछा गया था।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६०

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Co-operative Societies Bill, 1960] को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

मान्यवर, अब तक कोआपरेटिव का काम जो हो रहा था वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का कानून, जो सन् १ १२ का था, उसके मुताबिक हो रहा था । बीच-बीच में कभी-कभी परिवर्तन भी थोड़ा बहुत उसमें हुआ, लेकिन अपना कोई एक अलग कानून, जैसा कि और कुछ प्रदेशों में बना है, नहीं बन पाया था । यह बिल सदन के सामन आज से कुछ महीने पहले रखा गया था, लेकिन सदन के न मिलने की वजह से और बीच में बजट आ जाने की वजह से पहले इस पर विचार न हो सका । अब आज इसका मौका है और तजवीज यह है कि दोनों सदनों के सदस्य मिलकर इसका फैसला करें और फिर यह सदन के समक्ष आये ।

इस वक्त सहकारिता आन्दोलन काफी आगे बढ़ चुका है और काफी तेजी से इसमें एक्सपेंशन हो रहा है । आज हर तरह की प्रोडक्टिविटी, हर तरह की पैदावार से इसका संबंध जुड़ रहा है और जुड़ता जा रहा है । ऐसी हालत में जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं सबमें इसका कुछ हिस्सा होने के कारण इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है । कोआपरेटिव वैसे तो गैर-सरकारी संस्था है और इसको गैर-सरकारी संस्था रहना ही चाहिये और एक जमाना ऐसा आना चाहिये जबकि सरकार से उसका कोई खास ताल्लुक न रह जाय और गैर-सरकारी लोगों की ही संस्था रह जाय । ऐसा दिन आयेगा और जल्द आयेगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूं ।

जब तक गैर-सरकारी संस्था में जान नहीं पैदा होगी, वह स्वयं इस काम को अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक वह यह नहीं समझेंगे कि यह उनकी चीज है, उनका इससे फायदा होने वाला है । जब तक वे यह नहीं समझेंगे कि यह उनकी अपनी दुकान है, अपना कारखाना है, अपनी पैदावार के साधनों का सब इंतजाम है, तब तक सही माने में सहकारिता नहीं होगी । इसलिये आवश्यक है कि हर उस चीज की तरफ ध्यान हो जिससे कि जो लोग इसके सदस्य हों वह पूरी तौर से जानकारी करके उसमें आगे बढ़ सकें । इसलिये उसमें बहुत-सी बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है और कुछ परिवर्तन भी हुआ है । अभी तो एक शक्ल उसकी आपके सामने आई है । प्रवर समिति में जाने के बाद माननीय सदस्यों के सुझावों के बाद उसमें काफी परिवर्तन हो सकता है । खयाल यह है कि काफी हमको लिबरल होना चाहिये, गैर-सरकारी तरीके से इस काम को करने में । जहां कहीं खराबी है, लीकेज होते हैं, उसका भी ध्यान रखकर कानून में ऐसा भी प्राविजन रखा है जिसमें कि आज जो खराबियां हैं, दिक्कतें हैं वे दूर हो सकें, ऐसा भी खयाल करके हमें काम करना है । इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखी गई हैं जैसे कि शेयर मनी है जिसकी पूंजी अब तक १,००० रुपये हुआ करती थी, अब ५,००० रुपये तक हो सकती है—यह सिफारिश बिल में है, लेकिन ५,००० रुपया भी ऐसा होगा कि जो असली शेयर होता है उसका १ बटे ५ से ज्यादा न हो ।

जहां तक वोट का सवाल है, चाहे किसी का ५,००० रुपये का शेयर हो या ढाई हजार का हो, वोट एक ही होगा । यह सब इसलिये किया जा रहा है कि अब हमारा काम काफी बढ़ गया है और काफी सरमाये की जरूरत है अपने कामों को बढ़ाने के लिये । अभी तो खाली गल्ले की पैदावार को ही बढ़ाने में सहकारिता का काम काफी तेजी से बढ़ाया है । इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज का काम भी बढ़ रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिये उतना नहीं बढ़ा है । उसके लिये भी सरमाया इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी और अगर थोड़ा-सा शेयर मनी बढ़ता है तो उसके जरिये कोआपरेटिव सोसाइटीज की हैसियत भी बढ़ेगी और उसको आइंदा बैंकों से भी काफी पैसा मिल सकेगा । जितनी हैसियत सोसाइटीज की और बैंक की बढ़ेगी, क्योंकि जो बैंक के सदस्य होंगे, उसका कैपिटल बढ़ेगा तो उतना ही अधिक रुपया हमको रिजर्व बैंक से मिल सकता है । इसलिये सोसाइटी और बैंक दोनों का सिलसिला जुड़ा हुआ

[श्री मंगलाप्रसाद]

है। अगर सोसायटी का धन बढ़ता है तो बैंक का भी बढ़ेगा और बैंक का धन बढ़ता है तो रिजर्व बैंक से ज्यादा पैसा मिलता है। यहां बैंक से मेरा मतलब यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, सेन्ट्रल बैंक से है। जब हमारे कोआपरेटिव बैंक की शक्ति बढ़ेगी तो जनता भी उसमें ज्यादा पैसा जमा करेगी।

कहीं-कहीं ऐसा होता था कि किसी सदस्य को सोसायटी में नहीं लेते थे। अब अगर कहीं ऐसा इनकार हो जाय तो उसकी अपील हो सकती है और अपील में उसको अगर इजाजत मिल जाती है तो भर्ती हो सकता है। जैसे हम किसी सोसायटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या सरपंच हैं और हम नहीं चाहते कि इसमें १०, २० आदमी और ज्यादा भर्ती हों, क्योंकि डर यह रहता है कि सोसायटी हमारे हाथ से न निकल जाय। ऐसी धारणा बहुत-सी सोसायटीज में है। पहले बैंकों में भी यह बात थी, लेकिन अब नहीं है। तो इसमें यह विधान किया गया है कि इस तरह से कोई रोकथाम न हो सके। जो कोई भी शामिल होना चाहता है उसको पूरा अख्तियार हो शामिल होने का। जब हम समझते हैं सहकारिता आन्दोलन में सब को शामिल होना है, जिनके पास सरमाया है और जिनके पास नहीं भी है, तो कानून ऐसा होना चाहिये जिसमें सब शामिल हो सकें और उन्हें यह अधिकार हो।

अभी तक कहीं-कहीं बड़ी-बड़ी सोसायटीज और खास कर बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के आफिशियल चेयरमैन हुआ करते थे। अब जो प्राविजन है उसके मुताबिक सिवाय गैर-सरकारी आदमी के कोई सरकारी अधिकारी किसी सोसायटी का सदर नहीं हो सकता। एक आध कोई सोसायटी बाकी हो तो दूसरी बात है, वरना आमतौर से नान-आफिशियल ही सोसायटी का सदर होगा। इसके अलावा अबतक गवर्नमेंट जो एड देती थी, जो सबसिडी देती थी, जो शेयर लिया करती थी कोआपरेटिव सोसायटीज में, उसके लिये कोई प्राविजन नहीं था; अब उसको भी प्रोवाइड कर दिया गया है जिससे उनको देने में आसानी हो।

इसके अलावा कुछ आफेंसेज करते हैं आफिसर्स वगैरह, या दूसरे लोग भी कर सकते हैं, कोई फ्राड करता है या गबन करता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। इसका भी प्राविजन है, लेकिन इस पर गौर करने की बात है कि किस तरह से उसको रखा जाय।

काफी पैसे की इस बात के लिये भी जरूरत होती है कि हम लांग टर्म लोन दे सकें। ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जिनसे आप साल, दो साल में पैसा वापस नहीं ले सकते। अगर आप किसी इंडस्ट्री को रुपया देते हैं और यह उम्मीद करें कि साल दो साल में रुपया वापस ले लें तो यह मुमकिन नहीं है। इसलिये दीर्घकालीन लोन देने का प्राविजन किया गया है जिसके लिये लैन्ड मार्गेज बैंक पहले से खुला हुआ है। कुछ जिलों में उसका काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अब काफी तेजी से उसका काम बढ़ेगा और काफी सरमाया उसमें दिया जायगा। अल्पकालीन ऋण तो दिया जाता ही है और मध्यकालीन ऋण में भी इस साल ८० लाख रुपये के करीब दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घ-कालीन ऋण में भी काफी पैसा दिया जा सकेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आपके पास अगर फीगर्स हों तो वह भी बता दें।

श्री मंगलाप्रसाद—जो इस संबंध में बजट अभी पेश हुआ था उसमें एक-एक चीज दी हुई थी और बजट के संबंध में जो प्रेजेंट हालत थी उस वक्त की वह भी मैंने सब पेश कर दी थी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—कितने टारगेट्स आलरेडी एचीव हो चुके हैं?

श्री मंगलाप्रसाद—ये सब चीजें उस बजट में लिखी हुई हैं और जो थोड़ा बहुत नहीं लिखा हुआ था उसको भी मैंने उसमें बढ़ा दिया था। इसलिये मैं सदन का वक्त बेकार

इस काम में नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी करना चाहेंगे तो जवाब में सब बातें बता दी जायंगी। इस वक्त तो जो बिल आया है यह प्रवर समिति में जाने के लिये है। वहां बहुत गौर व खोज से इस पर काम किया जायगा कि इस आन्दोलन को किस तरह से मजबूत किया जाय, कैसे इसे सर्वप्रिय बनाया जाय, कैसे इसकी खराबियों को दूर किया जाय। इस सब पर वहां गौर किया जायगा। आंकड़ों का सवाल मेरे खयाल में कानून बनाते वक्त नहीं होता है, बल्कि उसूल क्या हों, किन चीजों के जरिये हम आगे बढ़ सकते हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये।

बहुत से पुराने प्राविजन्स को जो कायम रहने वाले हैं, मैंने दोहराया नहीं है। नये प्राविजन्स जो अब रखे गये हैं, जिनसे इसकी तरक्की होने वाली है वह हमने रखे हैं और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने सजेशन्स जो वे समझते हैं कि मुनासिब होंगे उनको देंगे जिससे कि उन पर भी विचार प्रवर समिति में हो सके। यह जो बहस होती है प्रवर समिति के सिलसिले में, उसमें तो जो सलाह माननीय सदस्य देते हैं और जो उस कमेटी में नहीं रहते हैं उनकी उस सलाह से फायदा उठाने के लिए इस तरह की बहस हुआ करती है ताकि सबके सजेशंस सामने रहें और उन सजेशंस को लेकर के हम काम कर सकें प्रवर समिति में और वह लोग जो उसके सदस्य होंगे उनको भी उसका कुछ ज्ञान हो, कुछ मालूमात हों। मैंने यह भी किया है कि प्रवर समिति में जब यह मसला आयेगा तो उस वक्त आपके सामने जो कापी दी जायगी उसमें यह होगा कि आज प्राविजन क्या है, उसमें कैसा अमेंडमेंट करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट्स में किस तरह से है, यह सब चीज आपको एक साथ मिलने वाली है, उसके साथ-साथ यह आपके सजेशंस भी उसमें रहेंगे तथा उन सबको सामने रखकर के विचार करने की बातें होंगी। मुझे आशा है कि इस बिल में बहुत बहस करने की बात नहीं है, बहुत इसमें फर्क भी नहीं है। सब लोग इसे चाहते हैं, थोड़े से लोगों को छोड़कर के जो कि उधर सामने बैठने वाले हैं, जो कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ हैं।

कोआपरेटिव फार्मिंग पर काफी इसमें दिया गया है—बिल के अन्दर। बाकी और किसी मसले पर कोई फर्क किसी के दिमाग में है नहीं। सब इसके हक में हैं और सब चाहते हैं कि इसकी प्रगति हो, तरक्की हो और इसके जरिये देश की तरक्की हो; इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इसलिये जब हम वहां बैठेंगे तो इस भावना से बैठेंगे, कोई वहां ग्रुप का सवाल या तेजी या गुस्से का सवाल नहीं होगा, बल्कि इस तरह से बैठेंगे कि कौन से उपाय हम करें कि जिससे कामयाबी हो, तरक्की हो, हम आगे बढ़ सकें, हम एक ऐसी मजबूत शक्ल इसकी बना सकें जिससे कि हमारा यह आन्दोलन सफल हो और इसके जरिये से जनता का हित हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि हमारे और माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहते हैं, कुछ सलाह वह हमको देना चाहते हैं। उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, जब हम इसको तब्दील करने जा रहे हैं, उसमें बहुत से फर्क करने जा रहे हैं तो इसमें अच्छा यह है कि बहुत सी पुरानी बातों को या जो खराबियां हैं उनकी ज्यादा चर्चा न करें। बुराइयां हैं, इसलिये इनमें परिवर्तन करना चाहिये, यह तो देख सकते हैं, लेकिन और क्या-क्या बुराइयां हैं, वह तो कमेटी में बैठकर देखेंगे। मुझे आशा है कि काफी अच्छी सलाह आप लोग हमें देंगे जिससे कि यह कोआपरेटिव बिल एक बढ़िया और अच्छा बिल हमारा बन सके।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो ६ दिन के अन्दर इस पर अपनी रिपोर्ट दे और जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी की बातें सुनीं। जो इस बिल में खूबियां हैं वह भी उन्होंने बतायीं। इसमें शक नहीं कि थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी हुआ करती हैं हर जगह और उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

क्रेडिट सोसाइटीज़ को और फैसिलिटीज़ देने की बातें बतायीं। लेकिन श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने खुद ही अपने आर्गूमेन्ट्स में कहीं भी एक शब्द कोआपरेटिव फार्मिंग की तारीफ में नहीं कहा, क्योंकि वह ईमानदार आदमी हैं, जानते हैं, गलत बात कैसे कह सकते हैं आदरणीय सदन में। उसका जिक्र तो कुछ हम लोगों को देखकर आ गया कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, इतना ही उसका जिक्र उन्होंने किया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा आन्दोलन बहुत बढ़ गया है, बहुत आगे हम चले गये हैं।

इसके पहले, श्रीमन् को याद होगा, त्योरस साल जब कोआपरेटिव की बात, साधन सहकारी समितियों की बात आयी तो एक टार्गेट फिक्स किया गया था और दस हजार सोसाइटीज़ एक हफ्ते में या ऐसे ही किसी टाइम में बनाने की बात कही गई थी। तो उस पर शायद पंडित नेहरू को भी कुछ शक हुआ था और रिजर्व बैंक की जो टीका है वह तो अपना एक विशेष महत्व रखती है; इस आदरणीय सदन में आ चुकी है। सवाल यह है कि एक तरफ तो हम सहकारी नाम रखें जहां लोग स्वयं कोई काम करते हैं और दूसरी तरफ हम उसका टार्गेट रखें, दोनों चीजों का सामन्जस्य नहीं होता। एक दूसरे के विरोध में पड़ती हैं क्योंकि सहकारिता कानून से नहीं लायी जा सकती, जबर्दस्ती नहीं लायी जा सकती। यह तो लोगों के दिलों में परिवर्तन लाने से हो सकता है। अब इसके लिये हम यह कहें कि इतने सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो जायगा, यह बात आचार्य विनोबा भावे के लिये शायद सम्भव हो सकती है कि दस-बीस डाकुओं का दिल बदल दें, वर्ना सरकार इतनी जल्दी, कम से कम इतने आदमियों का दिल वह बदल देगी, इसमें शक है। लेकिन उसके लिये हम इतने टार्गेट्स फिक्स करते हैं और कहते हैं कि इतना काम हम कर लेंगे और अगर वह टार्गेट्स पूरे होते हैं तो इसमें शक हुआ करता है कि यह सहकारिता है या जबरन कोई चीज़ हो रही है। जैसे कि हमारे अधिकारीगण हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सरकार का हुक्म जाता है कि इतना टारगेट होना चाहिये तो उनको कागज भरना है, वे कागज भर देते हैं। अगर वे कागज को पूरा नहीं करते तो उनसे जवाब तलब किया जाता है कि तुम निकम्मे हो। इस तरह की बातें हुआ करती हैं। गोमुल्का ने कहा था कि जबरन किसी टार्गेट पर पहुंचने से यह सहकारिता नहीं हो सकती है। मैं इतना कह सकता हूं, मैं आफिसरों की नीयत पर हमला नहीं करता हूं, मुझे उनकी ईमानदारी पर भी संदेह नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार के आदेश हैं कि इतना टारगेट होना चाहिये, इतनी सर्विस कोआपरेटिव या इतनी कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिये, इसलिये उन बेचारों को अपनी नौकरी रखने के लिये वह टारगेट रखना पड़ता है। मैं आज भी माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह टारगेट क्या पूरा हो रहा है? क्या इसमें आपको सफलता मिली है?

अगर मैं कहूं तो सब से बड़ा फेल्योर हमारे उत्तर प्रदेश में जो हुआ वह इस सहकारिता विभाग में हुआ है। इस फेल्योर में यह अग्रणी है। इतने वर्षों से यह चल रही है और इतने वर्ष बीत गये, लेकिन कितनी आपकी सहकारिता आगे बढ़ी है? सहकारिता की उन्नति हमारी समझ से नहीं हो रही है। पहले जब घरों में कोई काम शादी वगैरह का होता था तो सहकारिता के आधार पर बहुत काम हुआ करता था। कोई पानी लाता था तो कोई पत्तल लाता था। इस तरह से बहुत सारे आदमी काम किया करते थे, लेकिन जब से यह सहकारिता की बात आई, जबकि उसको बढ़ना चाहिये था वह आगे नहीं बढ़ी है, उसमें कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है। तो आज इस जनसहयोग की भावना का क्या हो रहा है? यह मेरे कहने की बात नहीं है। उधर बैठने वाले गोविंदसहाय जी ने भी यह कहा है जो कि यहां पर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रह चुके हैं, वह उस दल के प्रमुख व्यक्ति हैं। जब दोनों दलों में झगड़ा होता है तो वही उनमें समझौता कराने की चेष्टा करते हैं। जिनकी कांग्रेस दल में इतनी प्रतिष्ठा हो उन्होंने यह मूल्यांकन किया है कि कोई सहयोग जनता से नहीं मिला है। ज्यों ज्यों यह योजना आगे बढ़ी त्यों-त्यों जनता का ह्रास होता गया। माननीय मेहरोत्रा जी मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो उनकी पुस्तक का अवलोकन करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी ने इस बात को खुद स्वीकार किया है।

मेहरोत्रा जी ने कहा कि इसको गैर-सरकारी संस्था कहना चाहिये। उनको मालूम होना चाहिये कि वह स्पून फीडिंग पर चल रही है, इसमें दो राय नहीं हैं। इस बात के कहने में मंत्री जी को संकोच नहीं होना चाहिये। अगर उससे सरकार का हाथ हट जाय तो फिर देखें कि वह कैसे चलती है? उन्हीं की सहायता से वह चल रही है। जहां तक ये बातें हैं, ये इस तरीके से चल रही हैं।

इस विधेयक में है कि किसी को शेयर कैपिटल के १/५ या ५,००० रुपये में, जो भी कम हो, से ज्यादा लगाने का हक न होगा और वोट उनका एक होगा। एक तरफ आप यह कहते हैं और दूसरी तरफ सरकार ने विधान किया है कि किसी भी सहकारी समिति में वह शेयर ले सकेगी और ६० परसेंट तक शेयर ले सकती है। अगर उस से कम शेयर वह उसमें लेती है तो मैनेजिंग कमेटी में उसके नामिनी १/३ रहेंगे और अगर ज्यादा शेयर हों तो मैनेजिंग कमेटी में सरकार के २/३ लोग होंगे। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। यह गलतियां क्यों हो रही हैं? सदन को यह दिखाना कि सहकारिता में हम इसलिये आये कि इससे हमारी हैसियत बढ़ती है, हमें रिजर्व बैंक से ज्यादा रुपया मिलेगा और इसलिये इसमें लोग ज्यादा आयें और कर्जे लें रिजर्व बैंक से, फिर देने के समय देखा जायगा, यह भावना अच्छी नहीं है, लेकिन यही भावना लोगों में घर करती जा रही है।

दूसरे, जो लोग आफेंसेज करते हैं उन के लिये विधान किया गया है कि उनको सजा हो। यह ठीक है और होनी चाहिये। असल में सहकारिता में अभी तक जिन लोगों ने काम किया है उनके गबन के मामलों में सरकार ने बहुत लीनियेण्ट व्यू लिया है और इसलिये खुली छूट मिल गयी है। बिरला ही कोई दिन ऐसा होगा कि जब सहकारिता के प्रश्न हों और ४, ६ या दस जगहों पर गबन के मामलों का बखान यहां न हो। शायद ही कोई जिला या तहसील इस से बची हो। यह गबन बड़ा व्यापक हो गया है। इसलिये अंकुश कुछ तेज किया जाय और गबन करने वालों को पूरी सजा दी जाय ताकि दूसरे लोग वैसा न करें।

जहां तक सेवा सहकारिता का सवाल है, मैं और हमारा पूरा दल उसका समर्थक है। साधन समितियां बनें, लोगों को कृषि के औजार मुहैया किये जायं, उनको बीज मिले, खाद मिले, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन इस बिल के बहाने इस देश के लिये एक अभिशाप लाया जा रहा है--मेरा स्पष्ट मतलब सहकारी खेती से है। अगर वह हो गयी तो इस देश का अहित हो कर रहेगा। यद्यपि हम जानते हैं और कांग्रेस बेंचेज के सदस्य भी हम से बाहर सहमत हैं कि यह सफल नहीं होगी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। हमारे एक भाई मथुरा जिले के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बतलाया कि नागपुर प्रस्ताव पास होने के बाद जब यह कहा गया कि गांव में जाकर प्रचार करो तो वे जब पहले गांव में गये तो वहां के लोग बड़े गुस्से हुये, दूसरे में गये तो लोगों ने गालियां दीं, तीसरे में और ज्यादा गालियां मिलीं और चौथे गांव में उनकी हिम्मत किसी से इसके लिये कहने की नहीं पड़ी। उनकी भी मजबूरियां हैं, लेकिन अगर वे अपनी पार्टी में भी नहीं कह सकते तो हमको तो सही आलोचना करनी ही पड़ेगी। अगर वालंटरी बेसिस पर कोई करे और सरकार उसे कोई एडवांटेज न दे तो किसी को उसमें एतराज नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अपनी जगह पर सही है।

सरकार का एक तरफ तो यह दावा कि हम दबाव डाल कर सहकारी खेती कराना नहीं चाहते और दूसरी तरफ इस मौजूदा बिल को लाना, यह दोनों चीजें एक दूसरे के विरोधी हैं। इस बिल को पढ़ने के बाद यह निश्चय ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार दबाव डाल कर सहकारी खेती को यहां पर लादना चाहती है।

कहा जाता है कि हमारे यहां उत्पादन की कमी है और उसको बढ़ाने के लिये इसकी जरूरत है। श्रीमन्, यहां पर बार-बार यह कहा गया कि जहां-जहां पर भी सहकारिता के आधार पर खेती हुई है वहां-वहां पैदावार कम हुई है और इंडिवीजुअल खेती में पैदावार ज्यादा हुई है, क्योंकि उसमें किसान को अपनी भूमि से, उसकी पैदावार से एक मोह होता है उसको वह अपने

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पूर्वजों की देन समझता है। जापान के उदाहरण हमारे सामने हैं। अपने यहां भी थोड़ा बहुत एक्सपेरीमेंट किया गया है और यहां पर भी यही देखा गया है कि सहकारी खेती में पैदावार कम हुई है।

श्रीमन्, एक तरफ तो कांग्रेस का सन् १९३५-३६ में यह नारा था कि जो जमीन को जोतेंगे जमीन उनकी होगी और उसी के बल पर किसानों ने कांग्रेस सरकार को एलेक्शन में जिताया। सन् १९५२ में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया उससे कुछ किसानों की आशायें बढ़ीं और इस कारण किसानों ने बहुमत से कांग्रेस वालों को वोट दिये। मगर आज वह उनकी चालों को समझती है। आज इसकी वह खुशी काफूर हो गयी है, क्योंकि सरकार आज उनकी जमीन लेकर कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहती है।

श्रीमन्, इस विधेयक के खंड १०८ (२) को मैं पढ़ना चाहता हूं---वह इस प्रकार है--

"सहकारी कृषि समिति का कोई सदस्य, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (३) में की गई है, अपने द्वारा समिति को अंशदान के रूप में दी गयी भूमि का कोई निस्तारण (disposition) करने का हकदार न होगा।" श्रीमन्, खंड १०० की उपधारा (३) को भी और पढ़ देना चाहता हूं---

"यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर सदस्य बनाया जाय कि वह अंशदान के रूप में समिति को भूमि देगा, तो भूमिधर या सीरदार अथवा उनके असामी के रूप में मंडल में उसके द्वारा धारित भूमि समिति को संक्रामित हो जायेगी और धारा १०८ के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त होंगे।" यह सब क्या है? यानी वह लैन्ड कोआपरेटिव सोसाइटी की हो जायेगी। इतना ही नहीं, यह और कहते हैं कि कोई सीरदार या भूमिधर हो या जिनके पास अपनी जमीन हो या न भी हो अथवा भूमि अर्जित करने का अभिलाषी हो---यहां तक लैटीट्यूड दिया गया है कि जो केवल इच्छा जाहिर कर दें कि हम भूमि अक्वायर करेंगे यह बड़ी भयानक बात है।

खंड १०६ के अनुसार तो एक ही मंडल नहीं बल्कि अगर कहीं से भी लैन्ड अक्वायर करने की इच्छा जाहिर कर लो हो तो अपनी समिति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरा विवरण भी न दें जो भूमिधर या सीरदार वगैरह हैं। उसमें यह है कि कागजात पेश करेंगे माल के जिस को रेकार्ड आफ राइट्स कहा जाता है। वह उन लोगों के नाम होगा उसे पेश करेंगे यह नहीं है, बल्कि केवल उसका वर्णन पेश कर सकते हैं, वही यथेष्ट समझा जायगा। अब उसके अन्दर कहां पर क्या जमीन होगी, कितने प्लाट्स होंगे, इसका कुछ पता नहीं है। इस तरीके से और मंडलों से भी भूमि ले कर के, अक्वायर करके कोआपरेटिव सोसाइटीज फार्म हो सकेंगी, यह बड़ी गलत चीज होगी। इसके अलावा अब रजिस्ट्रेशन के वक्त से उस जमीन पर कब्जा उस समिति का हो गया, ऐसा समझा जायगा, यानी वह कब्जा समिति का वैसे ही मान लिया जायगा, अल्टीमेटली समिति को देना पड़ेगा। यह भी दिक्कत है कि कोई असामी है, वह भूमिधर या सीरदार के यहां चाहे या न चाहे उसकी जमीन को सीरदार या भूमिधर हस्तान्तरित कर सकता है, उसकी जमीन रजिस्ट्रेशन में शामिल हो सकती है, कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बन सकती है और जो ऐक्चुअल पजेशन में है, हल चलाता है, वास्तविक कब्जा है उसकी जमीन छिन जायगी, जबकि एक तरफ आपका यह नारा था १९४५ और १९५० में कि जमीन उसकी होगी जो जोतेगा।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---मैं व्यवस्था चाहता हूं। माननीय गोविंदसिंह विष्ट क्लाजवाइज बहस कर रहे हैं या इसके उद्देश्यों पर विवाद कर रहे हैं? यहां तो जनरल विवाद होना चाहिये, क्लाजवाइज नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---वह अपने भाषण में बता रहे हैं कि क्या-क्या उद्देश्य हैं विधेयक के और उसकी क्लाजिंग हित वाली है या अहित वली है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा अनुगृहीत हूं माननीय सदस्य का, लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि अगर उन्होंने किताब थोड़ी सी देख ली होती तो उनको कहने की गुंजायश न पैदा होती। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस बेंचों पर बैठने वाले लोग समझते हैं कि हमारा बहुमत है, हम तो हाथ खड़ा करना है, फिर सोचने-समझने की क्या जरूरत है ?

श्री अधिष्ठाता—आप जनरल रिमार्क पास न करें, कृपया संबंधित विषय तक ही सीमित रहें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, एक बार यह हुआ कि बजट साहित्य ले गये कौंसिलर्स रेजिडेंस में और उसको रद्दी में बेच दिया। उसमें ६० रुपये के नोट रखे हुये थे, कहने लगे कि भाई, क्या बताऊं, ६० रुपये के नोट भी रद्दी के साथ चले गये ! तो मैंने कहा कि बजट साहित्य तो पढ़ने के लिये दिया जाता है, रद्दी में बेचने के लिये नहीं। तो मैं क्या कहूं, श्रीमन् ?

तो अब होगा क्या ? होगा यही कि पुरानों की समिति हो जायगी। तब यह कहना कि "His rights will be unaffected" यह कोई मानी नहीं रखता, यह तो परस्पर विरोधी बातें हैं, कब्जा छिन गया, पैदावार ले नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि कोई असर नहीं होगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका हक जो था वह खत्म हो जायगा। अब खंड ११८ में हस्तान्तरण पर रोक लगाई कि कोई ट्रांसफर न कर सके, उस दशा में वसीयत करे कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। यह पाबन्दी है। यह श्रीमन्, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के खिलाफ पड़ेगा। इसको मंत्री जी देखें और मैं समझता हूं उनको इस पर लीगल ओपीनियन भी लेनी पड़ेगी।

खंड ११० (३) में ट्रांसफर टु दि सोसायटी होगा, सोसायटी मालिक हो जायगी। तो यह सब एक ऐसा जाल बनाया गया है जिसमें चिड़िया एक मर्तबा फंस गई तो फिर निकल नहीं सकती। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सहकारिता अपनी इच्छा से हो, लेकिन चूंकि इसमें वह बात नहीं है इसलिये इसको सहकारिता नहीं कहा जा सकता। एक बार जो फंस जायगा वह बाहर नहीं निकल सकेगा। खंड ११२ में यह सिद्धांत है कि अगर कोई आदमी वापसी चाहेगा तो जरूरी नहीं है कि उसने पहले जो भूमि शामिल की थी वही भूमि उसको वापस मिल जाय। उसके लिये यह कहा जा सकता है कि उसका मूल्य ले लो या उस मूल्य की दूसरी जमीन मिल जायगी। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के टापमोस्ट लीडर्स घोषणा कर रहे हैं, वैसी बात इसमें नहीं मालूम होती है। एक सुनहरा जाल बिछाकर लोगों को फंसाने की कोशिश है। श्रीमन्, अगर कोई वापसी चाहेगा तो उससे यह भी कहा जा सकता है कि उस जमीन में इतना इम्प्रूवमेन्ट हो गया है इसलिये तुम उल्टे इतने पैसे और दो।

श्रीमन्, काशीपुर कालोनाइजेशन की बात आई। वहां पर एक आदमी को कुछ जमीन दी गई जिसे सरकार चाहती थी कुछ नामिनल प्राइस पर। उसने उस जमीन से लाखों रुपये के पेड़ कटवा लिये। जब जमीन वापस दी गई तो ज्यादा कीमत पर दी गई और कहा गया कि इसमें इतना इम्प्रूवमेन्ट हुआ। कहने का मतलब यह है कि एक बार जो फंस जायगा वह बाहर नहीं जा सकता है। सहकारिता के नाम पर यह बड़ा भारी धोखा है।

श्रीमन्, जहां पर सहकारी खेती बन जायगी उसके आस-पास के किसानों को किस प्रकार से परेशान किया जा सकता है इसकी भी व्यवस्था है। उनको सरकार के द्वारा टेरोराइज किया जा सकता है।

श्रीमन्, जब सारे प्रदेश में चकबंदी हो रही है तो फिर क्या जरूरत है कि कहीं पर दोबारा चकबंदी की जाय ? लेकिन कानून में दोबारा चकबंदी की व्यवस्था की गई है। एक बार की चकबंदी से तो सारा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस आदरणीय सदन के सामने मेरठ तक से जुलूस आये। उसी चकबंदी को फिर पुनरावृत्ति की जा रही है। अगर वह चाहेंगे तो चकबंदी करा सकेंगे। इसमें यह होगा कि जो चकबंदी में शामिल नहीं होंगे उनको परेशान

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

किया जायगा। उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि नैनीताल जिले में शांतिपुरी है वहां पर लोगों को भूमि दी गई ....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) — अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं कह रहा था कि पुनः चकबन्दी करना गलत सी बात होगी।

खंड ११२ में यह है कि अगर कोई समिति का सदस्य न रह जाय तो उसे अन्य भूमि दे दी जायगी और भूमि में किये गये किसी सुधार का व्यय और उत्पादन में वृद्धि की क्रियाओं पर व्यय उससे ले लिया जायगा। इससे भयंकर यह है कि कोई सदस्य अपनी सदस्यता के समाप्त होने पर समिति द्वारा किसी रीति से अर्जित भूमि या अन्य सम्पत्ति के किसी भाग के लिये दावा करने का हकदार न होगा, यानी साफ-साफ उसकी जमीन छिन जायगी। अगर कोई किसान जो समिति में नहीं जाता है उसे भी सरकार की ओर से सिंचाई और बीज की उपलब्धि इत्यादि के साधन बराबर दिये गये होते तो कोई बात नहीं थी। मगर यहां तो भेद-भाव की नीति बरती जा रही है। टैक्स हर चीज पर पड़ता है और हरएक नागरिक उसे देता है। वह कपड़े पर है, दूसरी चीज पर है, तीसरी चीज पर है। सरकार को एक आदमी और दूसरे के बीच में भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार यह करती है कि जो उसकी बात मानेगा उसे सुविधायें मिलेंगी और जो नहीं मानेगा उसे नहीं मिलेंगी तो इसे घूस कहा जायगा और यह कोअरशन होगा। सहकारी खेती में शामिल होने वालों के लिये सरकार जहां स्वर्ग बना रही है वहां जो नहीं शामिल होंगे उनके लिये कठिनाई पैदा कर रही है।

खण्ड ११९ में स्पष्ट रूप से दिया है कि उनकी मालगुजारी में कमी, तकावी देना, भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि उठाया जाना, वृहत जोतकर, सिंचाई कर, स्थानीय कर, अधि कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिये डीजल आयल, पैट्रोल, तथा मोबिल आयल के क्रय पर बिक्रीकर से छूट या उनमें कमी, ये सब सुविधाएं उनको होंगी। तो सरकार जनता के एक्सचैकर का नाजायज फायदा उठाने जा रही है। यही नहीं उनको खेती के साधनों में भी प्रायोरिटी होगी, जैसे उन्हें पानी पहले मिलेगा, बीज, खाद, उर्वरक इत्यादि उन्हें पहले मिलेगा। क्या यह हिटलर, मुसोलिनी और स्टेलिन की तानाशाही से कम है? श्रीमन् को याद होगा कि सन् ३९ में १२ १/२ करोड़ के टैक्स के लिये हम लोग कहा करते थे कि अंग्रेज चोर हैं, यह लूट है और आज टैक्सेज १४३ करोड़ और खर्चा १५४ करोड़ हो गये हैं। यह सब इन्हीं किसानों से आया है। यह रुपया अपने थोड़े से चहेते बेटों को सरकार बांटना चाहती है जिन्हें वह सहकारिता के जाल में फंसा सके। यह अन्याय है और इम्मारल है।

श्रीमन्, जैसे अफरीका के साथ भेद-भाव किया जाता है वैसे ही इस विधेयक में हर जगह यह बात पाई जाती है। जो लोग सहकारी खेती नहीं करेंगे उन्हें भी चकबन्दी के जाल में फंसाया जायगा। जैसे अमरीका में लिंचिंग होता है, वही यह सरकार करना चाहती है। खंड ११५ में दिया हुआ है कि किसी सहकारी कृषि समिति पर लग सकने वाले करों का निर्धारण इस आधार पर किया जायगा कि प्रत्येक सदस्य भूमि में बराबर अंश धारण कर रहा है और तदनुसार उस आधार पर निर्धारित सम्पूर्ण कर सम्बद्ध समिति से वसूल किया जायगा। यानी हर आदमी की कर की नीचे वाली रकम अलग-अलग मानी जायगी जो ३,६०० रुपये या कुछ ऐसी है। अगर इकट्ठा उन लोगों को माना जायगा तो कर अधिक लग जायगा, इसलिये यह माना जायगा कि हर आदमी अलग-अलग शेयरहोल्डर है। सरकार जानती है कि उसे इस सहकारी खेती में सफलता मिलने वाली नहीं है। इसे हर तरीके से

वह स्पून फीडिंग करना चाहती है और इतना ही नहीं, वह तो यह चाहती है कि हर वह काम किया जाय जिससे यह लगे कि सहकारी खेती से बड़े फायदे हैं।

इसी सदन में आज स्टार पेपर मिल के बारे में कागज भी बांटे गये। सरकार की नीति है कि छोटे पैमाने पर उद्योग-धंधों को पनपाना। जिस सहकारी समिति को लीसा ५ हजार मन दिया गया उसे ६०,००० का फायदा, लेकिन एक सफेद हाथी सरकार बरेली फैक्टरी का पालना चाहती है। पहले एक लाख मन लीसा दिया जाता था, अब ५ लाख मन दिया जा रहा है। जो कच्चा लीसा होता है उसका बाजार भाव ४० रुपया मन है, लेकिन गवर्नमेंट इस फैक्टरी को १३ रुपये मन के हिसाब से देती है। इस तरह से सरकार २७ रुपये मन का घाटा उठाती है और उसमें सवा रुपये मन का फायदा दिखाया जाता है। इस तरीके से पब्लिक की रकम का ड्रेन किया जाता है।

इसी प्रकार से यह कहा जाता है कि सहकारी खेती से बड़ा फायदा होता है। इसमें श्रीमन्, गरीब किसान अपने खेत को भी सहकारी खेती के नाम पर दे देगा और उनके यहां मजदूरी करने जायगा उस मजदूर को मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार भी मजदूरी नहीं मिलेगी। खंड ११८ में यह दिया है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट सहकारी खेती पर लागू नहीं होगा। एक मजदूर को उदरपूर्ति के लिये जितनी आवश्यक है उतनी मजदूरी भी सहकारी खेती में उसको नहीं मिल सकेगी जितनी कि उसको प्राइवेट फार्म पर मिलती, क्योंकि सहकारी खेती मिनिमम वेजेज ऐक्ट से मुक्त है। एक ओर तो आपने उसकी जमीन छीन ली और दूसरी ओर आप उस से कहते हैं कि वह भूखा न मरे क्योंकि यह सहकारिता है। बात यह है कि यह सब आपकी १९६२ के लिए चाल है। आप चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से किसान आपको वोट दे। किसान आपके जाल में फंसे और उसको किसी न किसी तरीके से बांध दिया जाय। उसकी खेती का अपहरण करके, उसकी उपज पर कंट्रोल करके और सहकारिता के चक्कर में डाल कर आप उसको अपने काबू में करना चाहते हैं।

हर तरह के एडवांटेज आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो सहकारी खेती में शामिल होंगे। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के मुताबिक सीरदार अपनी भूमि को बंधक नहीं रख सकता। इस आदरणीय सदन में बार-बार यह बात कही गई कि सीरदार को यह हक दिया जाना चाहिये, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। आज छद्म वेश में सरकार उसी बात को ला रही है कि जो सीरदार सहकारी खेती में शामिल होंगे वे अपनी जमीन को बंधक रख सकेंगे। यह सब क्या है? पग पग पर डिसक्रिमिनेशन होता है और उसके बाद दावा यह है कि आप कहते हैं कि हम तो सबको समान करते हैं। यह कहां तक उचित है? आपका तो वही हिसाब है कि "चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का"।

श्रीमन्, हमको इसे पढ़ने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि कल ही हमको बताया गया था कि सहकारी खेती का विधेयक आज आने वाला है। दिन भर यहां बैठे रहे और शाम को थके-थकाये घर गये और कोई लाइब्रेरी भी वहां नहीं है। खंड ५७ में यह लिखा हुआ है कि सहकारी खेती करने वालों को राज्य सरकार वित्तीय सहायता दे सकती है, यानी इस प्रकार से पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग कर सकते हैं। श्रीमन्, थोड़े से शब्द कह कर मैं खत्म करूंगा।

अगर केवल सहकारिता को लें तो वहां पर आपने एक रजिस्ट्रार रूपी ब्रह्मा रख दिया है, जहां पर उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। "दाल भात में मूसलचंद" की तरह हर जगह यह आ जाता है। अगर दो समितियों को रजिस्ट्रार आपस में मिलाना चाहता है तो वह जबर्दस्ती भी कर सकता है। रजिस्ट्रार उनको सलाह देगा कि तुम दोनों एक हो जाओ। अगर वह एक नहीं होतीं तो रजिस्ट्रार उनको अपने अधिकार से जबर्दस्ती एक कर देगा। यह आपकी सहकारिता है और यह ठीक वैसी ही होगी जैसा कि आज के शासक दल में है। आज सरकार दुनिया को सहकारिता का पाठ पढ़ाना चाहती है, लेकिन यह नहीं देखती कि उनके घर में क्या

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

हो रहा है। उनकी बातें चौराहों पर हो रही हैं। यह सरकार कैसे सहकारिता की बात करती है? पहले यह एक हो तब सहकारिता की बात करें, क्योंकि "चैरिटी बिगिन्स एट होम"।

श्रीमन्, यहां पर कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि जहां पर सरकार के शेयर्स होंगे वहां यह लोगों को नामांकित करेगी। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि जनरल बाडी को मैनेजिंग कमेटी से हमेशा ज्यादा ताकत रहती है। कांग्रेस में जो कार्यकारिणी पास करती है उस पर जब तक जनरल बाडी की सील नहीं लग जाती वह पास हुआ नहीं माना जाता है। लेकिन यहां पर मैनेजिंग कमेटी जनरल बाडी को डिक्टेट करती है। यह उल्टी बात है।

अब श्रीमन्, लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में यह है कि जब कोई सदस्य मर जाय और रजिस्ट्रार को लगे कि यह लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको वह दे देगा। जो काम वह रजिस्ट्रार करेगा, उस को छूट है कि जो कुछ वह करे वही ठीक है, कोई दावा नहीं हो सकता। रजिस्ट्रार अपनी पावर डेलीगेट करके दूसरे से भी काम करा सकता है। जिसको वह समझे उसको ही मालिक मान सकता है। उसको वह दे देगा और बाकी अब तो केन्द्रीय सरकार ने हिन्दू कोड कानून लाकर सब का हक कर दिया है, लड़की और औरतों का भी हक दे दिया है, तो रजिस्ट्रार किसी एक को दे देगा और बाकी जो होंगे, अगर वह क्लेम करेंगे तो कह देगा कि हम ने तो एक को दे दिया। इसमें है कि वह दावा नहीं कर सकते, सरकार से नहीं मांग सकते। बहिन का हिस्सा है तो वह कहां मांगे? भाई के ऊपर दावा करे? यह क्या व्यवस्था है?

अब सुपरसेशन कब होगा, यह देखा जाय। इसमें है कि जब मैनेजमेंट को लगे कि आरोपित तथ्यों की उपेक्षा हुई है, जब भी ऐसा लगे तो सुपरसेशन हो जायगा। यह उपेक्षा की बात कह देना कितनी एक लूज चीज है।

श्री अधिष्ठाता—आप हर विषय पर विस्तार से मत न दें, उसके लिये तो आप को बाद में अवसर मिलेगा। इस समय तो आप केवल इसके सिद्धान्तों पर ही सीमित रहें, केवल किसी सेक्शन का चाहें तो आप हवाला दे सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो यह सिद्धान्त की बात है और सुपरसेशन के सिद्धान्त का दुरुपयोग सरकार ने यहां किया है। जो उनको ठीक लगता है उसको वह चलने देते हैं। नगरपालिकाओं के बारे में ही हम ने देखा है। मिर्जापुर के बोर्ड को क्यों भंग किया गया, इसलिये कि उन्होंने सरकार की मर्जी के खिलाफ टैक्सेज घटा दिये, साइकिल टैक्स घटा दिया और इसी वजह से वहां की म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड किया गया। एक बार नहीं तीन बार किया गया और तीनों बार हाईकोर्ट में सरकार ने मुंह की खाई। लेकिन इसके खिलाफ दूसरी तरफ यह भी है कि जिनको सरकार चाहती है वहां चाहें लाखों रुपए का गबन हो, लेकिन उनको सुपरसीड नहीं किया जाता। तो यहां पर सुपरसेशन किस हालत में होगा, इसका सिद्धान्त ठीक से प्रतिपादित होना चाहिये कि किन दशाओं में ऐसा होगा। जैसे सरकार उचित समझे, सुपरसेशन करेगी, यह सहकारिता नहीं है और जैसा कि मैंने कहा कि रजिस्ट्रार को जो अधिकार दिया गया है वह ऐसा है कि जो मंत्री जी की राय होगी वही उनकी राय होगी, वह मंत्री जी का आदेश ही होता है। इसकी शिकायत विरोधी दल के लोगों को इतनी नहीं है जितनी कि उधर के बैठने वालों को है। अलीगढ़ में ७ आदमियों को भरने की कोशिश की जा रही थी। रजिस्ट्रार नहीं माने तो उन का ट्रान्सफर किया गया और दूसरे को चार्ज दिलाया गया। सब जानते हैं कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के ऊंचे अधिकारी को किस तरह से नचाया गया। यह सब मंत्री जी के मंत्रालय से होता है। यह पिछला तजुर्बा भी है कि इस तरह की चीजें होती हैं। इस तरह से जबरदस्ती जनता से कहा जाता है कि सहकारी खेती करो। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसलिये कि इसमें सहकारिता नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं, जबरदस्ती की जाती है।

मैं नैनीताल जिले की बात कहता रह गया, बीच में उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर उठा दिया। नैनीताल में एक जगह है जहां पर लोगों से कहा गया कि सहकारी खेती करो। जब लोग उस के लिये राजी नहीं हुये तो पहले उनको जमीन अलग अलग दी गई—नाम तो उसका शांतिपुरी है—जब वह नहीं माने तो उनके १४ आदमियों के छप्परों में आग लगा दी गई और इतना ही नहीं, गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करने वाले कोई भाई हैं, उन्होंने इतना तक करा दिया कि जो इन्क्वायरी हो रही थी वह भी रुकवा दी और उनका सर्वस्व चला गया। इस आदरणीय सदन में माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी ने एक सवाल पूछा था कि वन में आग लगा दो तो मंत्री जी ने कहा कि वन में वन का कानून बर्तते हैं। लेकिन यहां तो वन नहीं था और एक नहीं १४ आदमियों की झोपड़ी जला दीं! यह सहकारिता है?

अभी एक डेढ़ महीने की बात है। एक आदमी जो इस सहकारी खेती के खिलाफ प्रचार करता था उसको किन्हीं प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर मार डाला गया। यह सहकारिता है? इससे जनता का कोई फायदा नहीं है, न कोई उत्पादन बढ़ने वाला है। यदि माननीय मंत्री जी इसे प्रवर समिति में ले जायं तो सहकारी खेती की बात को खत्म कर दें और जो खराबियां मैंने बताई हैं उनको दूर करें।

मैं समझता हूं कि अब भी सरकार को अक्ल आएगी और सरकार चेतेगी और अगर न चेती, किसान के मुंह का ग्रास छीनती है, उसकी जमीन छीनती है तो भगवान जाने वह कितने दिन इस गद्दी पर रह पायेगी। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि सब अपना अपना जोर लगावें ताकि किसान की जमीन न छिनने पावे।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६०—(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं पहले माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के प्रस्ताव पर मत लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ जुलाई, १९६१ तक प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित १६ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय :—

१—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
२—श्री उमाशंकर
३—श्री राम लखन
४—श्री नेकराम शर्मा
५—श्री छत्रपति अम्बेश
६—कुंवर महमूद अली
७—कुमारी कमल कुमारी गोईंदी
८—श्री केशभानराय
९—श्री लाल बहादुर सिंह
१०—श्री नत्थू सिंह
११—श्री भगवतीसिंह
१२—श्री पब्बर राम
१३—श्री हिम्मतसिंह
१४—श्री उग्रसेन
१५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह
१६—श्री ए० सी० ग्राइस।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६०—(क्रमागत)

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को जनमत संग्रह हेतु ग्राम सभाओं, सहकारी संस्थाओं, खंड विकास समितियों तथा जिला परिषदों में ३ मास तक घुमाया जाय। यह प्रस्ताव मैं क्यों करता हूं, इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह सब को विदित है कि यह सहकारी आन्दोलन हमारे मुल्क में जो चल रहा है वह एक ऐक्ट के मातहत चल रहा है जो १९१२ में पास हुआ था। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो उस ऐक्ट में बहुत सारे संशोधन किये गये और वह तब भी ऐसा नहीं समझा गया कि उसके मातहत सारा काम हो। तो यह बिल लाने की जरूरत पड़ी।

यह विधेयक नैनीताल की सर्दियों में तैयार हुआ। बहुत मेहनत की गई, बहुत सारे अफसर लगे और उसके बाद यह विधेयक जो आया है तो अब इसमें यह देखना है कि जो आवश्यकता थी सहकारी आन्दोलन की और जो जनमत था उस मांग को पूरा किया गया है या नहीं। मेरा खयाल है कि सहकारी आन्दोलन के सिलसिले में जितने जलसे हुए, जो मांग की गई उसकी कदर इस विधेयक में नहीं की गई है। मिसाल के तौर पर, हिन्दुस्तान में जो सहकारी आन्दोलन है यह अफसरों की देख-रेख में चलता है और वह इसके गले पर बैठे हुए हैं। जब भी कोई जलसा हुआ, हमेशा यह मांग की गई कि सहकारी आन्दोलन से अफसरों का बोझ दूर किया जाय और इसको गैर सरकारी हाथों में दिया जाय। इस बिल में देखना यह है कि उस प्रयत्न को इसमें कार्यान्वित किया गया है या नहीं? सरकारी अफसरों का बोझ हल्का किया गया है या नहीं? अगर गौर से देखा जाय और पुराने ऐक्ट की धारा ११ तथा ३१ को देखा जाय और उसके बाद जो नया विधेयक पेश हुआ है उसके खंड १४, ३५ और ३८ को देखा जाय तो कोई फर्क नहीं है।

(इस समय २ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह, पीठासीन हुए।)

सहकारी आन्दोलन का जो सबसे बड़ा हाकिम है वह रजिस्ट्रार होता है। उसको बहुत सारे अधिकार हैं। सबसे बड़ा अधिकार यह है कि जब चाहे समितियों के बाइलाज को अमंड कर देगा। यह पुराने ऐक्ट में भी था और इसमें भी है; एक आध शब्द का हेर-फेर हो तो भले ही हो, अन्यथा सब वही है।

सुपरसेशन का अधिकार रजिस्ट्रार को है। यही पुराने ऐक्ट में था। तो जाहिर है कि सरकारी अधिकारियों के बोझ को कम करने की कोशिश नहीं हुई, बावजूद इसके कि हर जगह मांग की गई कि सहकारी आन्दोलन से अफसरों का बोझ हल्का किया जाय, उनको हटाया जाय। मंत्री जी ने जो बिल पेश किया तो उन्होंने कहा यह संस्थायें गैरसरकारी हैं। यह बात सही है। उसमें जो शेयर-मनी है वह व्यक्तियों का है और अब तो सरकार भी उसमें हिस्सा लेने वाली है। तो जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हीं के हाथ में उस सोसायटी का इंतजाम हो। बाहर के लोगों का उसमें हाथ नहीं होना चाहिये। लेकिन यह कोशिश इसमें नहीं है। जहां कहीं देखिये, रजिस्ट्रार का अधिकार है और सोसायटी के जो संस्थापक हैं, सदस्य हैं उनके अख्तियारात कम हैं। चेयरमैन के बारे में कहा गया कि अब गैरसरकारी सदस्य जो उस समिति के सदस्य हैं उन्हीं में से चेयरमैन होगा, यह चीज स्वागत योग्य है। आज तक यह हालत थी कि चाहे कोई समिति हो, या तो रजिस्ट्रार यहां सभापति होता था या जिला स्तर पर अगर कोई समिति थी तो जिलाधीश उसका सभापति होता था इनको चाहे फुरसत हो या न हो। जिला बोर्ड बचा था, उसमें भी वह तशरीफ ले गये।

दूसरा अधिकारी समिति का सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी कैसा होगा, क्या होगा, थोड़ा सा इसमें जरूर जिक्र आया है। मगर मेरी जानकारी है कि इस बिल के पेश करने के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बैठक रजिस्ट्रार के यहां हुई, सेक्रेटरी के सम्बन्ध में। मेरी अपनी जानकारी है

कि सेक्रेटरी सरकारी आदमी होगा, चेयरमैन भले ही गैर-सरकारी आदमी हो। अगर ऐसी बात है तो यह अच्छी बात नहीं है और फिर जो यह कहा जाता है कि गैरसरकारी आदमी लाने की कोशिश होती है, वह प्रयत्न बेकार जायगा।

दूसरी बात इस बड़े से ऐक्ट में जो १६४ धाराओं का है—पुराना ऐक्ट ४९ धाराओं का था—यह है कि इसमें बहुत-सी चीजों को शामिल करने की कोशिश की गयी है जिनका सम्बन्ध किसानों से है, जैसे भूमि बन्धक बैंक खोला गया है, सहकारी खेती होने जा रही है। ये सारी चीजें जो होने जा रही हैं, ये किसानों से सम्बन्ध रखती हैं और इस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति हो वह साफ होनी चाहिये। इन चीजों से जिनका सम्बन्ध है उनका मत जानना जरूरी है। कोआपरेटिव फार्मिंग की जो चीजें इसमें शामिल की गयी हैं उसके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि जो उद्घोषित नीति है कांग्रेस के नागपुर रेजोल्यूशन की और उसके बाद जो उस दल के नेताओं के भाषणों में चीज आयी कि कोई जोर और जबरदस्ती नहीं होगी वह साफ-साफ आयी नहीं है। अगर उन धाराओं को आप पढ़ें तो ऐसा मालूम होता है कि कोई न कोई जोर जबरदस्ती है जिसका शिकार वह किसान होगा। किसान को उस जाल में फंसाने की जो कोशिश हो रही है—मैं पहले ही बता दूं कि मैं सहकारी खेती का माननीय गोविन्दसिंह जी की तरह विरोधी नहीं हूं, ये तो सहकारिता के विरोधी हैं, ये जो कहें इनके मुंह से वह बात अच्छी लगती है मगर हम लोग सहकारी आन्दोलन के और खासतौर से सहकारी खेती के बिल्कुल विरोधी नहीं हैं। हम तो उसके समर्थक हैं और हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में सामूहिक खेती के पहले सहकारी खेती होनी चाहिये मगर उस सहकारी खेती के लिये ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे किसान भड़क जाय। किसान को भड़काने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां का किसान जमीन को दांत से पकड़ता है, उसके लिये सर्वस्व त्याग करने के लिये तैयार है, उसके लिये मरता और मिटता है। तो उस जमीन को इस ढंग से सहकारी खेती में शामिल नहीं करना चाहिये जिससे यह जाहिर हो कि जोर और जबरदस्ती हो रही है। इसलिये मेरा निश्चित मत है कि सहकारी खेती की चीजों को जब उसमें शामिल किया गया है तो जनमत के लिये इसको जाना चाहिये।

दूसरी जो किसान से सम्बन्ध रखने वाली चीज है वह भूमि बन्धक बैंक है। यह चीज बहुत अच्छी है। किसान को छोटे-मोटे कर्जे दिये जाते थे, वह नाकाफी थे। उसको दूसरे महाजनों के पास और जरूरतों के लिये जाना पड़ता था। अगर वह खेती में विकास लाना चाहता था तो लाजिमी तौर से उसे गांव या शहर के महाजन के पास जाना पड़ता था और ज्यादा सूद देना पड़ता था। सहकारी समितियों में इतना बल नहीं था कि वह जितना कर्जा चाहे उतना उसको दे सकें। इसलिये भूमि बंधक बैंक सहकारी आन्दोलन में एक बहुत अच्छा काम हुआ है और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मगर किसान अपनी जमीन बन्धक रखेगा, क्या उसकी शर्तें होंगी, जो शर्तें हैं वे उसको पसन्द हैं या नहीं, जब तक वह इस पर पूरे तौर पर विचार न कर ले तब तक उनको रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसको अपनी जमीन बन्धक रखनी है, उसको अपनी जमीन सहकारी खेती में देनी है। इन सारी चीजों के लिये जनमत जानना और उन किसानों के मत को जानना बहुत जरूरी है।

एक बात शुरू में जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे जलसों में, बहुत सारे भाषणों में इस बात की मांग की गयी कि इस अन्दोलन को गैर-सरकारी हाथों में दिया जाय, उन हाथों में दिया जाय, असल में जिनका पैसा लगा हुआ है और अगर सहकारी आन्दोलन का इतिहास देखा जाय, सहकारी आन्दोलन के विकास को देखा जाय तो दुनिया में हिन्दुस्तान को छोड़कर और कहीं ऐसा नहीं है जहां अफसर इस सहकारी आन्दोलन की पीठ पर बैठे हों और जैसा जी चाहे उसको चलायें। इसलिये मेरा निश्चित मत है और मेरे दल का यह निश्चित मत है कि इस ऐक्ट में यह बात साफ साफ आ जानी चाहिये कि अब सरकारी आदमी को छुट्टी दे दी गई। लेकिन रजिस्ट्रार की जरूरत पड़ेगी, इतना कहने के बाद भी रजिस्ट्रार की जरूरत पड़ेगी। सोसाइटीज को रजिस्टर होना है। रजिस्ट्रेशन और आडिट का काम रजिस्ट्रार

[श्री तेजबहादुर]

करे, आडिट का काम वह करवायें, अगर कोई खामी है तो उसको वह बतावे और उसको दुरुस्त करा दे, और अगर वह खामी दुरुस्त नहीं होती है तो वह रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे, इतना तो अधिकार उसको होना चाहिये। मगर वह समिति को डिजाल्व कर दे, जिस मेम्बर को चाहे हटा दे, यह सारे अख्तियारात रजिस्ट्रार को नहीं देने चाहिये। रजिस्ट्रार को लाजिमी तौर से मंत्री की बात माननी पड़ती है कोई रजिस्ट्रार मंत्री को खुश किये बगैर नहीं रह सकता और मंत्री लाजिमी तौर पर, देवता भी हो तो भी अपने दल वालों से, अपने समर्थकों से प्रभावित होता है। उसको बहुत सारे काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो उसको नहीं करने चाहिये तो सरकारी आदमियों को अधिकार देकर के अगर वहां रखा जायगा तो मंत्री जी लाजिमी तौर पर उससे सारे काम कराते रहेंगे और वह दूध के धोये ही बने रहेंगे। तो सरकारी अफसर को सहकारी आन्दोलन से बिदा किया जाय, यह निश्चित हमारी मांग है। यह जो विधेयक पेश किया गया है इसमें सहकारी समितियों से सरकारी अफसर नहीं हटाये गये हैं, यह सबसे बड़ा दोष इस विधेयक का है। इसलिये जरूरी है कि यह उन लोगों के पास जनमत के लिये जाय ताकि लोग सही राय दें और सही राय सरकार को मिली है। मुझे पता नहीं है कि क्या वजह है कि सरकार और सरकार के अधिकारी इस आन्दोलन से दूर नहीं हटना चाहते हैं और बावजूद इसके कि हम यह देखते हैं कि आन्दोलन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, मगर इसमें दम नहीं है, यह खड़ा नहीं रह सकता जब तक कि इसमें अफसर लोग रहेंगे।

दूसरी बात जिसको मैं अर्ज करना चाहता था वह यह कि कुछ इसमें अच्छी बातें भी हैं जिनको माननीय गोविन्दसिंह विष्ट की आंखों ने नहीं देखा है और वह देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह सहकारिता के विरोधी हैं। माननीय गोविन्दसिंह को देखना चाहिये था कि बहुत सारी खामियों को दूर करने की भी कोशिश हो रही है, जैसे ट्रिब्युनल कायम करने की बात है। यह बात सही है कि पहले रजिस्ट्रार के आदेश फाइनल हुआ करते थे। अब रजिस्ट्रार के फैसले और रजिस्ट्रार के आदेश की भी अपील होगी। अगर हिन्दुस्तान का हर आदमी बेईमान है तो दूसरी बात है वरना ट्रिब्युनल में योग्य आदमी होंगे जो लाजिमी तौर पर रजिस्ट्रार के आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। उचित बात जो कानून के मुताबिक होगी उसको देखने की वह कोशिश करेगा। यह एक अच्छी चीज हुई है जो पुराने ऐक्ट में नहीं थी। यह जरूर है कि थोड़ा काम बढ़ेगा, लेकिन प्रजातंत्र में उसका स्वागत करना चाहिये। जब हमने कांस्टीट्यूशन में इसका प्राविधान कर रखा है, सारे मूलभूत अधिकार दे रखे हैं तो लाजिमी है उनकी रक्षा के लिये ट्रिब्युनल के सामने जाना। तो यह तीन-चार बातें जो मैंने अर्ज की हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाय क्योंकि किसानों की जिन्दगी पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है कि किसानों की, शिल्पकारों की और अन्य लोगों की आर्थिक दशा सुधरे, भ्रष्टाचार रुके, वह अपने पैर पर खड़े हो सकें। यह सारा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिये लाजिमी तौर पर इस पर जनमत लिया जाना चाहिये। यह विधेयक उन सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके उद्देश्य को मार डालती है, खत्म कर देती हैं। इन बातों के बाद मेरा यह प्रस्ताव है कि यह जनमत के लिये भेज दिया जाय।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)— आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के विषय में माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये और जो संशोधन रखा गया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र से जिन लोगों का कुछ भी सम्बन्ध है वह यह जानते हैं कि एक वृहत् रूप में हुये उत्पादन के सामने छोटी-छोटी इकाइयों का जो उत्पादन है, वह ठहर नहीं सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। उसका परिणाम यह है कि देश में अगर विकास हो सकता है तो उसके तीन रास्ते हो सकते हैं। एक तो सरकार के हाथ में सरकारीकरण हो जाय। सारी चीजों का उत्पादन और उसका वितरण करना समाज के हाथ में या समाज के नाम पर जो सरकार स्थापित होती है उसके हाथ में दिया जाय। इसका रूप रूस और चीन में हमको दिखाई पड़ता है।

दूसरा उसका उपाय यह है कि जो अमेरिका में है। अमेरिका में बड़े-बड़े पूंजीपतियों का संगठन है, बड़े बड़े काम चाहे वह कृषि के हों, चाहे उद्योग के हों, उसके द्वारा चलाये जाते हैं। उसके बाद यदि कोई तीसरा साधन है, वह सहकारी साधन है जहां पर छोटे-छोटे कुछ लोग मिलकर, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे उद्योग का कार्य हो, उनको वृहत् रूप में बनाकर एक चीज का सम्पादन करके, बड़े रूप में उत्पादन करके देश के उत्पादन को बढ़ायें। यह तीसरा रूप है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में दो राय नहीं होनी चाहिये कि हमारे देश के लिये यह तीसरी व्यवस्था बहुत अनुकूल है। इस सम्बन्ध में जो अभी मैंने व्याख्यान सुने उनमें ज्यादातर तीन बातें थीं। एक तो यह कि सरकार को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। दूसरी बात यह कि सहकारी खेती को प्राथमिकता नहीं देना चाहिये और तीसरी यह कि किसी भी तरह से सहकारी खेती में सम्मिलित होने के लिये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि गोविन्दसिंह जी विष्ट का जो भाषण हुआ, मेरा खयाल है कि उसका एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह कि सहकारी खेती समाज के लिये उपयोगी है, हमारे देश के लिये उपयोगी है। तो फिर यदि कोई समाजोपयोगी काम करने के लिये उसको प्राथमिकता दी जाती है तो मेरे खयाल में उस सम्बन्ध में कोई भी एतराज नहीं हो सकता है। इस देश के अन्दर ५०, ६० फीसदी जोत अलाभकर जोत हैं। रूस और अमेरिका के मुकाबले में हमारे देश में बहुत कम हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति पीछे एक जोत का जो हिसाब आता है वह १२० बीघा या इसके करीब है। इसी तरह से रूस में भी जो प्रति व्यक्ति जमीन है वह इस देश से बहुत ज्यादा है। इस देश की आबादी बढ़ रही है और यहां कौटुम्बिक प्रथा धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। वह चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन वह प्रथा समाप्त हो रही है। प्राचीन समय में कौटुम्बिक प्रथा एक सहकारी समिति का काम देती थी लेकिन आज के सामाजिक वातावरण में उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। तो यह एक-एक, डेढ़-डेढ़ और दो-दो बीघे खेत हों आखिर उनमें अधिक उत्पादन किस तरह से किया जा सकेगा? इसका एक ही तरीका है कि सब एक में सम्मिलित हो जायं। आज देश की सब से बड़ी समस्या यह है कि किस प्रकार अलाभकर जोतों की समस्या हल की जाय। इसका एक ही समाधान है कि उनको सहकारी समितियों में परिणत कर दिया जाय और भूमि पर जो भार बढ़ता जा रहा है उसे हटा कर लोगों को उद्योगों की तरफ ले लाया जाय। उन अलाभकर जोतों को सहकारी समिति में ले आया जाय, यही एक मात्र उपाय है और उस से ज्यादा लोग उद्योग धंधों की तरफ जायेंगे। मैं समझता हूं कि यदि विष्ट जी यह स्वीकार कर लेते हैं कि सहकारी खेती देश के लिये लाभकर है तो छोटे-छोटे साधन उनको देना अनुचित न होगा और उसकी टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती। समाज की स्थापना समाज के हित के लिये होती है और समाज के नियम भी समाज के हित के लिये होते हैं। एक कम्युनिस्ट भाई कह रहे थे कि इस सहकारी खेती के लिये जोर जबरदस्ती का उपयोग हो रहा है। अगर कोई और सदस्य कहता, हमारे विष्ट जी कहते तो मैं शायद यह बात मान लेता, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने कम्युनिस्ट भाई को यह कहते सुना कि सहकारी खेती की स्थापना के लिये जोर जबरदस्ती का उपयोग हो रहा है। यह तो १९६२ की तरफ निगाह है और उसी के लिये यह बातें कही जा रही हैं!

दूसरी बात अधिक सरकारी हस्तक्षेप के बारे में कही गयी। मैं खुद इस बात का प्रबल समर्थक हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिये। हमें ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जनबल पर ही हम सहकारी समितियों की स्थापना कर सकें।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

लेकिन यह तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम में अभी सहकारिता के भाव कम हैं, उसकी आदत नहीं है, हममें सहकारिता की प्रवृत्ति नहीं है और इसी कारण अनेक लोग इन समितियों को अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। वह उन साधनों से खिलवाड़ करते हैं। जब हमारा जनमत इतना कमजोर है तो इनको स्थापित करने का कौन-सा उपाय है? मेरा खयाल है कि जब तक ये मौलिक दोष हमारे समाज में रहेंगे तब तक किसी न किसी रूप में सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप कहीं न कहीं अवश्य हो जायगा। लेकिन जैसा कि हमारे कम्युनिस्ट भाई ने भी कहा, इस बिल में इस बात का विचार रखा गया है कि जो रजिस्ट्रार हो वह मनमानी न कर सके और उसके आर्डर की अपील हो सकेगी। यह बात इसमें स्पष्ट रूप से रख दी गयी है कि रजिस्ट्रार अगर कोई अनुचित कार्यवाही करे तो उसकी अपील हो सके।

मैं यह तो नहीं कहता हूं कि जो कुछ इस बिल में है उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता नहीं है, मेरे खयाल से बहुत-सी जगह सुधार किया जा सकता है और इसी विचार से माननीय मंत्री जी ने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है। जो सदस्य प्रवर समिति में होंगे वे जनता की राय से अच्छी तरह परिचित होंगे और जनता की राय को वहां रख सकेंगे। इस कारण इसको जनमत के लिये भेजने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। ऐसा करने से इसमें और विलम्ब ही होगा और फिर यह भी मुमकिन हो सकता है कि यह बिल इस विधान सभा द्वारा पास भी न हो सके और जो इसमें उपयोगी धारायें हैं उनके लाभ से हम वंचित रह जायें। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन रखा है वे उसे वापस लेने की कृपा करें चूंकि हमें आगे बढ़ना है और व्यर्थ में अपना समय नष्ट नहीं करना है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता तो यही था कि माननीय विष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन करता, लेकिन उन्होंने जो विचार व्यक्त किये उनको सुन कर मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करने से मजबूर हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बिल रखा है, जहां तक उसकी स्प्रिट का सवाल है, मैं उसकी सराहना करता हूं। मान्यवर, मैं यह आशा करता था कि माननीय मंत्री जी अपने भाषण में उन बातों को भी बतायेंगे जो १९१२ के बिल के उद्देश्य थे। १९१२ में जब पहले कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट बना उस समय उसके क्या उद्देश्य थे उनको मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"With the expansion of co-operation in various fields of economic activity as also the revolution that has taken place in the agricultural economy as a result of the Abolition of Zamindari system, necessity for amendment in the Co-operative Societies Act, 1912, has become imminent....."

इस बिल में मान्यवर, लिखा हुआ है कि हम एक नयी क्रान्ति आर्थिक क्षेत्र में ला रहे हैं और हम किसानों की माली हालत को ठीक करना चाहते हैं। यह तमाम उद्देश्य १९१२ के बिल में थे। आज जो बिल है उसमें भी इसी तरह की बातें हैं और मान्यवर, उसमें हरिजनों तथा किसानों के लिये यह चीज की जा रही है। यह भी लिख दिया गया है क्योंकि एलेक्शन का जमाना है उनको खुश करके उनसे वोट प्राप्त करने हैं। इस विधेयक में भी यह लिखा हुआ है कि--"कृषकों तथा शिल्पकारों और अन्य व्यक्तियों में मितव्ययिता तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने, मुनाफाखोरी तथा शोषण रोकने और राज्य के सामान्य आर्थिक विकास में सहायता देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की स्थापना में और सुविधायें देना तथा उसे प्रोत्साहित करना और इस प्रयोजना के लिये उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों से सम्बद्ध विधि को संहत और संशोधित करना इष्टकर है"। मैं माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि १९१२–१९४७ तक जो कुछ नहीं हुआ उसका दोष तो मैं इस सरकार को नहीं देता लेकिन १९४७ के बाद आज जो विधेयक यहां पर आया है उसके लाने से पहले तक सरकार ने क्या किया ?

दूसरी चीज यह है कि दूसरे देशों की ओर अगर आप ध्यान दें तो आपको ताज्जुब होगा कि वहां कोआपरेटिव सोसायटी ऐक्ट नाम की कोई चीज नहीं है और न कोई डिपार्टमेंट है। डेनमार्क, स्वीडन और यू० के० के बारे में बताना चाहता हूं। "Salient Features of Co-operative Movement" में पेज ६ पर है—

"It may be pointed out that the Co-operative Movement in U. K., Denmark and Sweden has developed purely as a voluntary non-official movement and the State has not been required to guide and control it at any stage of its development. There is neither any Co-operative Societies Act nor Co-operative Department or Registrar of Co-operative Societies in U.K."

इस तरह से दूसरे देशों में जो कोआपरेटिव मूवमेंट बढ़ा है उसमें जनता ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन यहां सरकारीकरण हुआ है। अफसरों ने जरूर हिस्सा लिया है। मैं यह नहीं कहता कि अफसरों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस नियोजन के जमाने में देश के प्रधान मंत्री से लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री, श्री मंगलाप्रसाद तक जब यह कहते हैं कि जनता के हाथ का प्लान होना चाहिये तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस १२ साल के अन्दर जनता की तरफ से कौन-सा इनिशिएटिव लेने की कोशिश सरकार ने की ? कौन-कौन अफसर और मिनिस्टर जनता में गये और सहकारिता आन्दोलन को समझाने की कोशिश की ? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि इस सरकार को पता नहीं है कि कोआपरेटिव मूवमेंट क्या है और सर्विस कोआपरेटिव्स क्या हैं ? आज तक एक दिन में १० बन सकती हैं। चले गये सुपरवाइजर और सभापति जी से कहा कि आइये कोआपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और सोसायटी बन गयी और कितनी बन गयीं ? १०,००० बन गयीं। शांतिप्रपन्न जी बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि जिस समय दिल्ली में मिनिस्टर्स कानफ्रेंस हुई, गौतम जी गये थे और रिजर्व बैंक के डायरेक्टर आये हुये थे। उस समय राव साहब ने चार्ज लगाया कि अगर कहीं बोगस कोआपरेटिव्स हैं तो वह उत्तर प्रदेश में हैं और कृषि मंत्री को वहां डांवाडोल होना पड़ा। तो मुझे यह कहना है कि हमको न्युमरीकल वैल्यू की तरफ नहीं जाना चाहिये बल्कि क्वालिटेटिव वैल्यू की तरफ जाना चाहिये। चाहे ५ सोसाइटीज ही बनें लेकिन वह वास्तव में सोसाइटीज होनी चाहिये। माननीय शांतिप्रपन्न जी बतायें कि कोई भी सर्विस कोआपरेटिव है जो सेल्फ सफिशियेंट हो, जिसके पास अपने हल-बैल हों, अपना बीज हो, फर्टिलाइजर हो ? मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी सर्विस कोआपरेटिव नहीं है। मान्यवर, जब मैं ऐसा कहता हूं तो डिपार्टमेंट के अफसरान के दिल दहलते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें तो हकीकत बयान करनी है। क्योंकि जब ऐसे आदेश सरकार की तरफ से होते हैं और बयान दिये जाते हैं कि अफसरान को कांग्रेस माइंडेड होना चाहिये तो अफसरान क्या करें ?

इसके साथ ही एक बड़ी भारी दिक्कत की चीज मंथली रिपोर्ट है। ग्राम सेवक को भी देनी पड़ती है और कोआपरेटिव सुपरवाइजर को भी, चाहे उसे झूठा ही लिखना पड़े, क्योंकि अगर नहीं लिखता है तो उसको डर रहता है कि उसका कैरेक्टर रोल खराब हो जायगा कि उसने कोई कोआपरेटिव सोसायटी नहीं बनाई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही आन्दोलन है ?

दूसरे, इस सरकार ने १९४९ में रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बैठाई और यह रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट है। इन सब ने जो कुछ कहा है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"Laid great emphasis on provision for cheap and sufficient credit facilities to the agriculturists and for the better organization of marketing facilities to the general public."

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, क्या हो रहा है ? सहकारिता के नाम पर इंगलैन्ड का सदन बना दिया है।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठें, वह हिन्दी भी कर देंगे।

श्री प्रतापसिंह---मान्यवर, मैं पुजारी जी को बतला रहा था कि तीन कमेटियां बनीं। एक प्लानिंग कमीशन की बनी, ४८ में एक सहकारिता समिति बनी। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग फैसिलिटीज देनी चाहिये और लोगों को सस्ते दर पर कर्जा देना चाहिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सारा का सारा गल्ला महाजनों के पास चला जाता है। मान्यवर, नैनीताल में खटीमा तहसील में थारू और बोकसा लोग रहते हैं। एक जमाने में हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि हिन्दुस्तान का किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। यह बात उन लोगों पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। मान्यवर, आपको रुपये की थैली खोलने का तजुर्बा होगा। उन लोगों से ३० रुपये अलग से थैली खोलने के लिये जाते हैं और २५ फीसदी सूद लिया जाता है और सरकार कहती है कि रूरल क्रेडिट सोसायटीज बन गईं। मार्केटिंग सोसायटीज शहरों में बनाई गई हैं। किसानों का गल्ला किसानों के पास ही जाता है। होना यह चाहिये था कि पंचायतराज या ग्रामसमाज की लेविल पर छोटी-छोटी सोसायटीज बनतीं और फसल के समय पर वह किसानों को ५०० या १,००० रुपया एडवांस दें और कहें कि तुम्हारे खेत का गल्ला सोसायटी ने खरीद लिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत मिल्क सोसायटीज भी आती हैं। आज करीब १० हजार से ज्यादा लोग हैं जो दूध-दही पर गुजर करते हैं। कुमाऊं और पूर्वी अंचल में जहां जनता बहुत गरीब है, वहां काफी लोग पशुधन से अपनी रोजी कमाते हैं। उनके लिये सरकार ने कितनी कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई हैं ? बम्बई में मान्यवर, १० हजार ग्वाले अलग-अलग भैंसें पालते थे और खुद दूध बेंचने जाते थे। वहां की महापालिका ने उनको इम्पीट्स देने के लिये एक बहुत बड़ा हाउस बनवाया और उनकी सारी भैंसों को वहां से ले आये और उनसे कहा कि तुम इनके मालिक हो, इसकी आमदनी तुम को मिलेगी। जब उन ग्वालों को लाभ होने लगा तो महापालिका ने कहा कि अब सोसायटी बनाते हैं। लेकिन यहां पर उनको कोई लाभ नहीं दिखाया जाता है। अब बम्बई में ग्वाले ही सहकारिता आन्दोलन का प्रचार करते हैं क्योंकि उनको लाभ होने लगा है। यहां पर कागज में भैंसें भी दर्ज हो जाती हैं और ग्वाले भी दर्ज हो जाते हैं लेकिन कोआपरेटिव सोसायटी कहीं नहीं होती।

अब मैं स्वीडन में किस प्रकार से होता है वह कहना चाहता हूं---

"There are separate organizations of milk producers and consumers in U. K., Denmark and Sweden. The farmers' organizations in these countries produce, transport and deliver milk to the consumers' societies which in their turn process the milk and supply to consumers."

यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन और डेनमार्क में दूध के लिये अलग विभाग बनता है और उनकी सोसायटियां हैं जो उपभोक्ताओं को दूध देती हैं। यहां पर दो चार मिल्क यूनियन्स बना दी गई हैं लेकिन और कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर अधिक से अधिक प्रयास करेगी। अब उसके बाद मैं आपके सामने इजरायल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक टीम यहां से गई थी। उन लोगों ने कोआपरेटिव मारकेटिंग के बारे में जो कुछ कहा है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि---

"One very positive conclusion which Israel's experience offers relates to the crucial role which co-operative marketing can play in building up the co-operative movement in general. To day more than two-thirds of the agriculture produce in Israel is marketed through co-operative channels. This has been a factor of profound importance not merely in regard to better marketing of agriculture produce but also for determining the general credit policies."

मान्यवर, उन्होंने कहा कि इजरायल में दो तिहाई से ज्यादा काम वहां पर मार्केटिंग सोसायटीज के जरिये से होता है। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि वह बतायें कि अपने यहां कितनी ऐसी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं जिनके जरिये सारा काम हो रहा हो।

अभी हमारे सामने गोविन्दसिंह जी ने शांतिपुरी का उदाहरण दिया कि वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये काम हो रहा था वह समाप्त हो गया। अगर मैं उसको अपनी जबानी कहूं तो यही कहूंगा कि वह एक राजनीतिक झगड़े की बदौलत हुआ। वहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में लड़ाई हुई। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन उनकी वजह से जो कोआपरेटिव फार्म वहां पर बनाया गया था वह खत्म हो गया और लोग सहकारी खेती छोड़ कर व्यक्तिगत खेती पर उतर आये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या उसमें प्रजा समाजवादी दल के लोग थे ?

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मैं मजबूर हो गया नाम बताने के लिए। कांग्रेस और जनसंघ के नेताओं में मुठभेड़ हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि दानपुर के इलाके में जो पिछड़ा हुआ इलाका था और जहां लोगों ने सहकारिता से काम करना शुरू किया था और गवर्नमेंट ने उनको मदद दी थी। लेकिन आज उनको व्यक्तिगत खेती करनी पड़ रही है। एक दूसरी कोआपरेटिव सोसायटी बनी लेकिन वह भी इन्हीं झगड़ों के कारण सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन उदाहरण यह दिया जाता है कि वहां सहकारी खेती समाप्त हो गई। मैं ही यह नहीं कह रहा हूं बल्कि रूरल क्रेडिट सोसाइटी की सर्वे रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि जिस तरह से रूल्स बने हुये हैं अगर उनके अनुसार काम नहीं होगा और राजनीतिक अखाड़े को बीच में लाया जायगा तो वह समाप्त हो जायगा। वह इस प्रकार है कि :—

"If the rules and procedures are not framed in a satisfactory manner as was found, for instance, in advantage of the defects in these rules by exploiting the politics associated with village factions and by taking the honorary secretary or an untrained secretary into the privileged group. In these circumstances, the vested interests are able to exploit the ignorance of the general mass of membership about the rules and procedures, and in the absence of full-time trained secretary whose duty is to explain and clarify the various working rules even to the most illiterate ordinary cultivator, the latter has no means of finding out even what the rules are. If the rules themselves are vague or defective and if the rules and procedures are not followed in practice, as was found to be true particularly in many small size societies, it is not surprising to find a general apathy towards the co-operative credit society."

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, क्या इसी में सारा समय ले लिया जायगा ? क्या यह सहकारिता हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिये, अभी अनुवाद कर देंगे।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, अभी कह रहा था कि जिस तरह से रूल्स बने हुये हैं अगर उनका पालन नहीं किया गया और उसके आनरेरी सेक्रेटरी को इन राजनीतिक ग्रुप्स में ले लिया जाय और किसानों को ठीक तरह से समझाया न जाय तो सहकारिता आन्दोलन के द्वारा उनका एक्सप्लौयटेशन ही हो सकता है।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिये।

श्री प्रतापसिंह—यह जो बिल हमारे सामने है इसमें चार चीजें मुख्य हैं। पहला लैन्ड मोरगेज बैंक है जिसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा जनता में जो दुर्बल वर्ग है उसको

[श्री प्रतापसिंह]

योग्य बनाना और सहकारी खेती वगैरह । जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी सहकारिता उस समय भी थी । मैं जानना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने इस बारे में क्या किया है ? आज मंत्री जी ने कहा कि यह आन्दोलन बड़ी तेजी से चल रहा है । पहली प्लान में ६ फीसदी कर्जा दिया गया जिसमें से ३ फीसदी सोसाइटियों ने और ३ फीसदी गवर्नमेंट ने दिया । दूसरी योजना पूरी होने पर हमें बताया गया है कि कुल ९ फीसदी कर्जा दिया गया जिसमें से ६ फीसदी सहकारी समितियों द्वारा और ३ फीसदी सरकार द्वारा दिया गया । इसका मतलब यह है कि आज भी ९० फीसदी काश्तकार महाजनों से कर्जा लेते हैं और ५ करोड़ रुपया देहातों से ब्याज के रूप में महाजनों की जेब में जाता है । मेरे एक दोस्त ने कहा कि किसानों को कर्जा बड़ी तेजी से मिल रहा है । लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं मिल रहा है क्योंकि आज भी ९० फीसदी किसान महाजनों से कर्जा लेता है । अगर यही रफ्तार रही तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिये कम से कम १५ योजनायें बनानी पड़ेंगी ।

दूसरे हमारी माली हालत दिन पर दिन गिरती चली जा रही है और अगर इसी तरह से महाजनों की जेब में रुपया जायेगा तो एक व्यक्ति की ही आमदनी बढ़ेगी और हम आमदनी का विकेंद्रीकरण नहीं कर पायेंगे । एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार की सहकारिता की पालिसी क्या है ? जिस तरह से सहकारिता आन्दोलन को चलाना चाहिये था उस तरह से नहीं चला पाई जो विधेयक आया इसमें हरिजन शब्द डाला गया है । इससे साफ जाहिर है कि सहकारिता को न चलाकर सरकार का यह एक एक्शन स्टंट है और सही तरीके से सरकार सहकारिता को नहीं चलाना चाहती है । हम सहकारिता का समर्थन करते हैं और उसको सही रूप देना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं चाहती है । दूसरे देशों में जहां सरकार ने सहकारिता को अपने हाथ में लिया वहां सरकार ने उसको मदद दी । लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ ।

दूसरी चीज यह है कि तीसरी योजना चल रही है । इसमें सरकार केवल एक बिल लाई है । हम इसको पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में किस तरह से सहकारिता आन्दोलन चलेगा और कौन सी इसकी एजेंसी होगी ? रूस में सहकारिता आन्दोलन जब आया तो फेल हुआ क्योंकि वह सहकारिता के आधार पर नहीं आया और इसलिये फेल हुआ कि लोगों में ठीक एजूकेशन नहीं थी, लोगों में इनसेंटिव नहीं था । आज हमारे यहां भी सरकार कोआपरेटिव एजूकेशन जनता को नहीं दिला रही है, लोगों में इनसेंटिव पैदा नहीं कर रही है । जिस तरह से सहकारिता आन्दोलन को हम लाना चाहते हैं उस तरह से वह नहीं आ सकेगा । मैं एक चीज जो बहुत बड़े एक विद्वान ने कही है वह सहकारिता के संबंध में रखूंगा । उस ने कहा है कि :—

"Bungling bureaucracy is not a suitable agency for direction and supervision. A new cadre of experienced and educated agriculturists should be formed for this purpose. Co-operative farming societies will bring about rationalization at our agricultural industry."

यानी केवल अफसरों और नौकरशाही के हाथों में रहकर यह मूवमेंट नहीं चलेगा, जिन लोगों को खेती का अनुभव है उनका स्पेशल केडर बनाया जाय जिस से यह कार्य आगे बढ़ाया जा सके ।

यह बहुत अहम प्रश्न कोआपरेटिव फार्मिंग का है । चूंकि बहुत से लोगों को बोलना है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा । कोआपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती क्या चीज है ? इसमें जो परिभाषा रखी गई है उस को देखने के बाद कई परिभाषायें इस संबंध में कई किताबों में देखीं । मैं आप के सामने सहकारी खेती का क्या रूप होना चाहिये वह श्री श्री मन्नारायण जी की इस पुस्तक "आर्थिक समीक्षा" से बताना चाहता हूं, वह कांग्रेस पार्टी के ही लीडर हैं । उन्होंने जो कुछ कहा है वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं । इस चीज को मंत्री जी को सामने रखना चाहिये ताकि जो विष्ट जी आदि दूसरे लोग विरोध में हैं, वह भी समझ जायं कि सहकारी खेती क्या है ? मैं इस के पेज १३ से पढ़ रहा हूं जिस में कोआपरेटिव खेती के विभिन्न

तरीके बताये गये हैं। "दरअसल, सहकारी खेती के फायदे और नुकसान के संबंध में ज्यादा गलत फहमी इसलिये पैदा होती है कि सहकारी खेती की परिभाषा के संबंध में कुछ अनिश्चितता है। मोटे तौर पर, तीन प्रकार की खेती को हम सहकारी खेती कह सकते हैं। सब से पहले, खेती का एक तरीका है जिसे हम 'सहकारी संयुक्त खेती' कहते हैं। इस प्रकार की खेती के अन्तर्गत इकट्ठी की हुई जमीन की मिल्कियत वैसी की वैसी बनी रहती है और जमीन से होने वाली आमदनी बांटते समय जमीन की मिल्कियत और कीमत का खयाल रखा जाता है। इस प्रकार की सहकारिता में, सदस्य अगर चाहें तो, कुछ शर्तें पूरी करने पर संस्था से अलग हो सकते हैं।

दूसरे, सहकारी सामूहिक खेती संस्थायें हैं। इनमें जमीन के अलावा सदस्यों के दूसरे सभी साधन भी इकट्ठे कर लिये जाते हैं और यहां जमीन की मिल्कियत भी खत्म हो जाती है, यानी जमीन सहकारी संस्था की हो जाती है और खेती से होने वाली आमदनी का बटवारा सदस्यों द्वारा किये गये काम के आधार पर होता है। इस व्यवस्था को रूस या दूसरे साम्यवादी देशों की "कल खोज" पद्धति जैसा नहीं समझ लेना चाहिये क्योंकि कल खोज में न तो सदस्यता स्वेच्छा से होती है, न ही अपना मार्ग आप निश्चित करने और अपना प्रशासन आप चलाने के प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों का पालन होता है।

तीसरे, खेती संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे निराई करना, फसल काटना, अनाज काटना, अनाज फटकना, खाद डालना, सिंचाई और बिक्री व्यवस्था, आदि में विभिन्न प्रकार के सहयोग की व्यवस्था होती है। खेती की प्रक्रियाओं में इस प्रकार की आपसी सहायता की व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। सहकारिता के सुप्रसिद्ध जर्मन विशेषज्ञ डाक्टर ओटो शीलर ने इस प्रकार की सहकारी व्यवस्था को "सहकारी ढंग से की जाने वाली व्यक्तिगत खेती" कहा है।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, यह अंग्रेजी में ही कहे जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता.....

श्री अधिष्ठाता—वह तो हिन्दी में ही पढ़ रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—तो यह ३ प्रकार की परिभाषायें हैं जिसको कि कांग्रेस कमेटी ने भी अब तक साफ नहीं किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि सहकारी खेती क्या है, सूचना विभाग किस तरह से किसानों को बताता कि सहकारी खेती होगी, क्या पहलू होंगे, इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं हुई।

दूसरे देशों में जब जमीन का सीलिंग बिल आता है तो जो जमीन बचती है वह....

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, ठाकुर साहब बहुत दिनों में....

श्री अधिष्ठाता—पुजारी जी, आप शांत बैठें।

श्री प्रतापसिंह—दूसरे देशों में जो सीलिंग के कानून आते हैं और उसके बाद जो जमीन बचती है वह खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को बांटी जाती है और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। जो सीलिंग बिल यहां आया है उसमें जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। तमाम फार्मों को, मुर्गीखाना, मत्स्य पालन के फार्म, बगीचे सभी को एग्जेम्पट कर दिया गया है। जो जमीन बची उसके लिये सीलिंग बिल लाया गया है तो आज कितनी जमीन ऐसी बचेगी कि जो इन गरीब खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को आप देंगे और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनवायेंगे।

नार्वे, स्वीडन, इजराइल से हमारी परिस्थिति भिन्न है। किसान हमारे यहां जमीन को नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से जितने लोग आये हैं उनकी कोआपरेटिव बनाने की कभी कोशिश की गई? उनसे कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू होनी चाहिये थी। लेकिन सरकार दुश्मनों को मौका देती है जो सहकारिता के विरोध में हैं। आज भी

[श्री प्रतापसिंह]

बंगाली भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनकी कोआपरेटिव बनाई जाय। उससे ज्यादा आमदनी हो सकती है बनिस्बत इसके कि ५ एकड़ जमीन या कैश डाल दिया जाय।

मान्यवर, आप तो रिक्शे में भी बैठते हैं यशपालसिंह जी तो नहीं बैठते क्या उनकी कोई कोआपरेटिव बनाई गई? अगर बनाई जाय तो ५ साल के अन्दर रिक्शा उनका हो सकता है। सरकार तो बड़े-बड़े लोगों की, कानपुर के पूंजीपतियों की कोआपरेटिव बनाने को तैयार रहती है। रिक्शा पुलर की कोआपरेटिव बनाई जानी चाहिये।

देहात में जो मिर्च नमक घी वगैरह होता है तो गरीब किसान अपने कंधे पर घी की कनस्तरी लेकर, खासतौर से पहाड़ों की बात मैं करता हूं, जो घी की कनस्तरी २२ रुपये में बिकनी चाहिये उसे जब कोई मार्केट नहीं मिलता तो हल्द्वानी में १८ रुपये को बेचता है। हम चाहते हैं कि सही माने में कोआपरेटिव मूवमेंट आये और हम उसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं। श्रीमन्, मैंने अध्ययन किया है, मैं जानता हूं कि एकबार अगर हिन्दुस्तान की जनता का विश्वास उठ जायगा तो वह फिर नहीं आ सकता। इस कोआपरेटिव मूवमेंट के साथ हमारे जनतंत्र का मेल-जोल है। अगर कोआपरेटिव मूवमेंट सफल होता है तो जनतंत्र भी सफल होता है। अगर जनतंत्र के प्रति आस्था है तो मंत्रीजी को और विभागीय अफसरों को भी दृष्टिकोण बदलना चाहिये और जनतांत्रिक होना चाहिये। तभी हम सच्चे मानों में सहकारिता आन्दोलन को सफल कर सकते हैं। सन् ४२ में जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी उसी तरह इस आन्दोलन का रूप होना चाहिये, सच्चे, कर्मठ और लगनशील लोग आने चाहिये जिससे कि अधिक से अधिक काम हो सके।

श्रीमन्, इसके लिये तीन चीजें जरूरी हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण और अन्वेषण। इन तीन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान जाये तो बहुत मानों में सहकारिता आन्दोलन सफल होगा। हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था को देखते हुये मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो कि सहकारिता के विरोध में हैं कि वह अपने दिमाग को बदलें....

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं ठाकुर साहब से पूछना....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिये, आपका बार-बार खड़े होना ठीक नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं ठाकुर साहब से यह पूछ रहा हूं....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिये, आपका बार-बार खड़े होना ठीक नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मेरी स्पीच का तान बार-बार टूट जाता है लेकिन वह बुजुर्ग हैं। मैं कह रहा था कि जिन लोगों के दिमाग में सहकारिता आज नहीं है मैं उनसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ८२ फीसदी लोग खेती करते हैं, यह भी दुःख की बात है और एग्रीकल्चर इकानामी फेड करती जा रही है, हम इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं पाते, तो सहकारी खेती होनी चाहिये और छोटे-छोटे काश्तकारों की कोआपरेटिव बनाई जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि पी० एस० पी० पहली पार्टी है जिसने इस आन्दोलन की बात आचार्य नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में सन ५४ से पहले भी कही थी और आज सरकार उन्हीं लाइंस पर चल रही है, इसलिये मैं उसे बधाई भी देना चाहता हूं। अन्त में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बनाने की कोशिश करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। कोआपरेटिव मूवमेंट के एक्सपेरिमेंट का जन्म जर्मनी में पहली बार हुआ था वह आज संसार में चारों तरफ फैल रहा है उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। हर समाज और देश के अन्दर जहां हम संगठन करना चाहते हैं बिना कोआपरेटिव मूवमेंट के किसी देश के

अन्दर जान पैदा नहीं कर सकते हैं। वह कोआपरेटिव से ही हो सकता है। क्योंकि हर संगठन के अन्दर जो ताकत होती है जहां जीविका के साधन उस संगठन में निहित होते हैं उसके लिये हम मर सकते हैं। ताकत से काम कर सकते हैं। इसलिये इसकी उपयोगिता को संसार ने साबित कर दिया है।

जहां तक इसके ओरिजिन का संबंध है हिन्दुस्तान में इस संगठन के पहले से प्रमाण मिलते हैं। कुमायूं हिल्स के गांवों के अन्दर हर गांव में गांव संजायत लैंड हुआ करती है। आप इसको सेटिलमेंट पेपर्स में देख सकते हैं। यह गांव संजायत लैंड क्या है? कोआपरेटिव फार्मिंग है। कुछ जमीन हर गांव के अन्दर नाप और असेस होती है। दूसरी जमीन है जहां बस्तियां बसी होती हैं उसको शामिल देह कहते हैं, उस पर कोई लैंड रेवेन्यू नहीं होता है। हर आदमी का शेयर डिफाइंड होता है, लेकिन वह सम्मिलित होती है। इसलिये हमारे देश के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग के अवशेष आज भी बन्दोबस्त के कागजात में हैं जो साबित करते हैं कि हमारे देश में कोआपरेटिव मूवमेंट पहले से भी चलता था। चन्द भाई हैं जो इसको अपोज करते हैं, और वह इसलिये कि कांग्रेस के हर स्टेप को अपोज करना है। हर विद्वान और जानकार आदमी पहले अपने शरीर को देखे उसके शरीर के अन्दर कोआपरेशन है, जबान, आंख, दिमाग, सब कोआपरेशन से काम अपना अपना करते हैं। अगर दुनिया में कोआपरेशन मिट जाय तो न इन्सान बोल सकेगा, न कान से सुन सकेगा और न आंख से देख सकेगा। कोआपरेशन ही इन्सान की पैदाइश की जड़ में है। उसको डिनाई करना अपनी ऐग्जिस्टेंस को डिनाई करना है। हर इन्सान की पैदाइश ही कोआपरेशन का फल है। इसलिये जो चीज हमारी पैदाइश में निहित है उसको न मानना अपनी ऐग्जिस्टेंस को डिनाई करना है। यह सर्वव्यापी है और समाज के अन्दर है तथा हर देश और सारे संसार में है।

अब यों कहना कि कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती तो इसके लिये यही कहूंगा कि किसी चीज को खो कर ही उसकी प्यास यानी ऐपीटाइट या भूख पैदा होती है। बहुत से लोगों ने सोडा वाटर जब पहली बार पिया होगा तो गले को चीरता हुआ मालूम हुआ होगा, जो सिगरेट नहीं पीते थे उनको पहले वह बुरी लगती होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा हर चीज की एपीटाइट खाने से पैदा होती है। अगर किसी अच्छी चीज को मुल्क में पापुलेराइज करना चाहते हैं तो उसके लिये ऐपीटाइट क्रियेट कीजिये और वह तभी होगी जब उसको प्रिफरेंस दिया जायगा, कर्ज की सहूलियत दी जाय, हर मामले में उनको तरजीह दी जायगी तब कोआपरेटिव की एपीटाइट पैदा होगी हमारे देश के अन्दर। वह एपीटाइट हमारे देश के अन्दर इस मूवमेंट को फैलायेगी और धीरे-धीरे इसका जाल हमारे देश में बिछ जायगा, इसमें कोई शक नहीं।

माननीय गोविन्दसिंहजी ने कुछ तर्क इस सिलसिले में दिये। मैं उनको बधाई इसलिये देता हूं कि वे अपने विचारों में दृढ़ हैं और हिम्मत के साथ उनको इस सदन में रखते हैं चाहे वे सही हों या गलत हों, कैसे भी हों, इसलिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। परन्तु किसी देश को ऊंचा उठाने के लिये विचारों और भावना की खिचड़ी अलग नहीं पक सकती। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, उसकी ताकत को बढ़ाना है तो जिस प्रकार नेचर के अन्दर हर तत्व एक दूसरे से मिल कर एक शक्ति को पैदा करते हैं उसी प्रकार हमें अपने समाज को एक सूत्र में बांध कर इस देश के अन्दर एक बहुत बड़ी ताकत पैदा करनी होगी। जब हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमारा आब्जेक्टिव इस देश को शक्तिशाली बनाना है, हमें इस देश के अन्दर से भूख मिटाना है, हमें इस देश की अज्ञानता खत्म करनी है और प्रकाश को फैलाना है, हमें इस देश के अन्दर बुद्धि का विकास करना है और सारे समाज को मिला कर एक साथ ले जाना है तो मैं उन लोगों से मुख्तलिफ राय रखता हूं जो सोचने में ऊंचे विचार रखते हैं और कार्य करने में बहुत पिछड़े हुये होते हैं। उनके ऊंचे विचार आगे बढ़ते चले जाते हैं लेकिन समाज पिछड़ता चला जाता है। हमें अपने उन ऊंचे विचारों को समाज के साथ जोड़ना है और वे ऊंच विचार हमारी सारी जनता को आगे बढ़ाते चले जायं तब मैं समझता हूं कि हम बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। अगर हम ऊंची उड़ान उड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा देश सेल्फ-सफिशेन्ट हो गया तो इससे काम नहीं चलेगा

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जो वस्तुस्थिति को नहीं देखते वे हमेशा धोखा खाते हैं, वे अपने मुल्क को गुमराह करते हैं, वे अपने मुल्क को विकास के उस स्तम्भ की ओर अग्रसर करने में असमर्थ हुआ करते हैं। हम व्यक्तियों के लिये पैदा नहीं हुये हैं, हम मुल्क के लिये पैदा हुये हैं। हमारे दिलों के अन्दर जो हौसले हैं वे मुल्क को गारत करने के लिये नहीं हैं बल्कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये हैं।

हम मुल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि हमारे जितने प्रयास हुये हैं वे हाफ हार्टेड रहे हैं। उसमें हम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाये। भावना में हमने अपनी बुद्धि को भी बहा दिया। हम चाहते हैं कि हम जोश में हों लेकिन उस जोश में हम अपने होश को न बहा दें। हम होश से काम ले कर आगे बढ़ें तब हमारा मुल्क एक दृढ़ शिला पर खड़ा हो सकता है और उसका विकास हो सकता है। अगर यह बात नहीं है तो सिर्फ बड़े ऊंचे भाषण देकर ही हम मुल्क को हरा भरा कर सकते हैं, मुल्क के जंगलों को खत्म कर के लहलहाती हुई खेती खड़ी कर सकते हैं, आसमान के सितारों को तोड़ कर जमीन पर ला सकते हैं और बिना मेहनत और बिना परिश्रम के इस मुल्क को ऊंचा उठा सकते हैं। यह कतई नामुमकिन है। ऐसा करने की ताकत खुदा में भी नहीं है। खुदा ने एक ही काम किया है कि उसने हर इन्सान के अन्दर एक एनर्जी दी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट को अगर सफल बनाना है तो हमें हर आदमी को तैयार करना है, हर आदमी की एनर्जी को काम में लगाना है। हमारे देश के अन्दर ४० करोड़ में से कम से कम ३७ करोड़ की एनर्जी का दरिया इस देश को खंड खंड करता हुआ बेकार बहता चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस एनर्जी के दरिया का उपयोग करें। अगर हम अपने को समर्थ बनाना चाहते हैं तो हमें प्रशिक्षण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जितने लोग बेकार पड़े हुये हैं उनके लिये काम ढूंढ़ना पड़ेगा और यह काम कोआपरेटिव मूवमेंट द्वारा बड़े ही अच्छे सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप से आगे चलाया जा सकता है।

इस कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर वह ताकत है जो कि बड़े-बड़े रुपये और पैसे के अन्दर भी नहीं है, जो कि अमेरिका के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और मल्टी मिलियनायर्स हैं उनके अन्दर भी वह ताकत नहीं है। इस देश के अन्दर अगर हमें एटम बम बनाना है तो कोआपरटिव मूवमेंट को उसकी तह में बिठा दें, फिर एक एक इन्सान से हम एटम बम का काम ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि उस कोआपरेटिव मूवमेंट की कड़ी को जोड़ना, ४० करोड़ इन्सानों को एक में जोड़ना है और कोआपरेटिव मूवमेंट की उस कड़ी को तोड़ना, ४० करोड़ की लाइफ को बरबाद करना है। इसलिये ४० करोड़ की जिन्दगी को एक सूत्र में बांधकर हम हर व्यक्ति से एटम बम का काम ले सकते हैं। इस देश की सुरक्षा के प्वाइंट आफ व्यू से भी हमें केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह कोआपरेटिव मूवमेंट का है।

आपने देखा कि सोशलाइजेशन आफ प्रापर्टी, सोशलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज, सोशलाइजेशन आफ रिसोर्सेज देश ने कबूल किया है और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। समय के साथ चलने से ही काम हुआ करता है। मुझे खेद है कि आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ा होता अगर बहुत से लोगों ने एक छोटी बुद्धि से काम न लिया होता। जब पटेल साहब ने एक स्कीम रखी थी कि जो देश में इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, बड़े फार्म बनायेंगे, उनको २५ परसेंट प्राफिट हम देंगे, तब बहुत सी छोटी बुद्धि वालों ने यह कहा कि यह तो बिलकुल इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में देश को दे देना चाहते हैं। उनका मतलब था कि जो रुपया छिपा हुआ है, जो विदेशों में बंटा हुआ है वह इस तरह बाहर निकल आये और उससे देश का विकास हो। लेकिन जब उन्होंने अपनी यह स्कीम मुल्क के अन्दर पेश की तो लोगों ने उसका विरोध किया। हम चाहते तो उसका सोशलाइजेशन बाद को कर सकते थे। वह तो हमारी स्कीम का एक अंग है, जब चाहते सोशलाइजेशन कर लेते। मगर छिपे हुये धन को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है या जो धन विदेशों में चला गया उसको वापस लाना कितना मुश्किल होता है? अगर इन बुद्धिमानी की बातों को हमारे मुल्क वाले समझ गये होते और इस बात को मान गये होते और बड़े बड़े धनवान लोगों को बड़े-बड़े कारखाने लगाने की इजाजात दे दी गई होती, और छोटे भाई विरोध न करते तो

दस साल के बाद हम बड़ी आसानी से उनको सोशलाइज कर सकते थे। उन सारी इंडस्ट्रीज को और सारे फार्मों को हम कोआपरेटिव सोसाइटीज के हवाले बड़ी आसानी से कर सकते थे। लेकिन हमने छोटी बुद्धि से काम लिया। हमने दूरदर्शिता से अपने मुल्क के विकास के ऊपर विचार नहीं किया। छोटी सी बात पर नाराज होकर एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे। हमने बुद्धि से काम नहीं लेना सीखा। आज भी यह काम हो सकता है, उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सरकारी फार्म हैं जिनके ऊपर लाखों रुपया हमारी सरकार खर्च करती है और हर साल सरकार को घाटा होता है, मैं चाहता हूं कि इन फार्मों को आप कोआपरेटिव के हवाले कीजिये। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो हर साल गवर्नमेंट का डेफिसिट बजट होता है उससे पब्लिक एक्सचेकर की बचत होगी और दूसरी बात जो हम कोआपरेटिव मूवमेंट में लोगों का विश्वास पैदा करना चाहते हैं, लोगों के अन्दर एक ताकत पैदा करना चाहते हैं, वह ताकत उनमें पैदा होगी जिससे कि देश की हालत को हम सुधार सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

यही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ यह भी समझते हैं कि कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर फार्मिंग तो हो लेकिन उसी के साथ गांव में जितने रामैटीरियल हैं, जितने रिसोर्सेज आफ इन्कम हैं, हम उन सबको कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर लाकर उस कोआपरेटिव सोसाइटी के धन से कल कारखाने भी छोटे पैमाने पर चला सकते हैं जिससे हमारे गांव के निवासियों के लिये आमदनी पैदा हो सकती है। चूंकि गांव वालों के पास बहुत छोटी पूंजी होती है वह उनके लिये पूरी नहीं होती तो उसके लिये सरकार की तरफ से नई सहूलियतें पैदा की जा रही हैं इस कोआपरेटिव ढंग से। जिसके पास कम धनराशि है तो उसको सोसाइटी से लोन मिल सकता है। और गांव वाले उससे छोटी मोटी इंडस्ट्री गांव के अन्दर कोआपरेटिव बेसिस पर चलाकर गांव की इन्कम बढ़ाने में सफल हो सकते हैं।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि कोआपरेटिव मूवमेंट को एक मोमेन्टम देने के लिये, उसको मुल्क के अन्दर चालू करने के लिये अवश्य मसले को समझने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है। जो भाई यह समझते हैं कि मुल्क के अन्दर आज जो कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, वह चौपट हो गई, वह बात सही है परन्तु जब नया काम करने चलते हैं तो हमेशा उसमें असफलता होती है। लोगों को तजुर्बा नहीं होता है। उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। लोगों की ईमानदारी का जो स्टैंडर्ड है उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। सब लोग उस रुपये को खा पी गये और वह कोआपरेटिव सोसाइटी खत्म हो गई लेकिन असफलता ही सफलता को जन्म दिया करती है। आज हम एक बार गलती करते हैं तो उन गलतियों से हमारी सफलता का जन्म हुआ करता है और हम उन सफलताओं के द्वारा अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं बशर्ते कि वह सही दिशा में हुआ हो। अगर हम बराबर उन असफलताओं पर चलने की कोशिश करेंगे तो चन्द वर्षों के अन्दर ही हमारा प्रयास और हमारी सफलता नजर आयेंगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी उधर से माननीय विष्ट जी ने सहकारी खेती की बहुत अधिक मुखालफत की और उसको देश के लिये बड़ा ही अहितकर सिद्ध करने का प्रयत्न किया। मान्यवर, मैं विष्ट जी के सामने कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हमारा देश एक खेतिहर देश है और उसमें करीब करीब ७८ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास ११ एकड़ से कम जमीन है और ५ एकड़ से कम भूमि करीब ५९ फीसदी लोगों के पास है। ५ से ११ एकड़ तक जमीन १९ फीसदी किसानों के पास हैं। तीन चौथाई किसान ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे काश्तकार हैं। आधे करीब ऐसे काश्तकार हैं जो बहुत काफी छोटे हैं, जो खेती अलग-अलग करते हैं लेकिन उन किसानों की पैदावार बहुत कम होती है। इसलिये कृषि की तरफ हमारी कोशिश बराबर होने पर भी पैदावार लगातार कम होती जाती है।

[श्री माता प्रसाद]

हमारे देश के अर्थशास्त्रियों का एक मत निश्चित है और वह यह है कि हमारे देश में कृषि की पैदावार अगर बढ़ सकती है तो केवल सहकारी खेती द्वारा ही बढ़ सकती है। मान्यवर, सहकारी खेती के विषय में मैं महात्मा गांधी जी के विचार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। १५ फरवरी, १९४२ को हिन्दी के हरिजन सेवक में महात्मा जी ने एक लेख प्रकाशित किया था उसके कुछ अंश को मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं:—

"मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन भी सामुदायिक पद्धति से जोतेंगे तभी उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे बजाय इसके कि गांव की खेती अलग-अलग १०० टुकड़ों में बंट जाय। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि १०० कुटुम्ब सहयोग करके अपनी आमदनी आपस में बांट लिया करें? जो खेती के लिये ठीक है वही जोत के लिये भी समझा जाय।" यह दूसरी बात है कि आज हमें लोगों को सहयोगी खेती पर लाने में कठिनाई है। कठिनाई तो सभी के रास्ते और अच्छे कामों में हुआ करती है, परन्तु कठिनाइयां दूर करने से ही सेवा के कार्य सुगम बन सकते हैं। तो आज से बहुत काफी पहले महात्मा गांधी जी का भी यही विचार था कि हमारे देश में सहकारिता के आधार पर कृषि करने से देश को व छोटे किसानों की ज्यादा उन्नति हो सकती है।

मान्यवर, सहकारी खेती के विषय में कितनी ही आशंकायें उठायी जाती हैं कि इससे कई तरह के नुक्सान होंगे। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि जो लोग इसमें काम करेंगे उनमें कुछ ऐसे होंगे कि जो बिलकुल भी काम नहीं करेंगे। उसके लिये अलग-अलग कामों के अलग-अलग पैमाने नियत किये जायेंगे कि निराई वाला इतना काम करेगा, गुड़ाई वाला इतना काम करेगा। पैमाने बना दिये जायेंगे कि यह इस श्रेणी के काम में है और जो यह काम करेगा वह इतना पारिश्रमिक पाने का अधिकारी होगा। इसी तरह से पैदावार के बंटवारे में भी कई तरह की आशंकायें की जाती हैं। मैं समझता हूं कि सहकारी खेती में जमीन के साथ-साथ परिश्रम के आधार पर भी बंटवारा होना चाहिये। जो लोग खेती करें उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। जिन लोगों की जमीन है उस अनुपात से तो उन्हें पैदावार का हिस्सा दिया जाय लेकिन जो लोग रोजाना खेत में काम करते हैं उनको भी निर्धारित मजदूरी दी जाय और उसका कुछ अंश बचा कर रखा जाय जो अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार के रूप में दिया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि लोग मेहनत करेंगे अपने खेतों में ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पारिश्रमिक मिले।

आज मजदूर और काश्तकारों में एक प्रकार का संघर्ष चल रहा है। दोनों का हित एक दूसरे के विरुद्ध है। काश्तकार चाहता है कि कम से कम मजदूरी दी जाय और ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाय जबकि मजदूर चाहता है कि कम से कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी ले लें। भले ही खेत में कुछ पैदा हो या न हो, मजदूर को उससे मतलब नहीं। अगर पैदावार में उसकी दिलचस्पी होगी, उसमें से उसे हिस्सा मिलने की बात होगी और यह विश्वास होगा कि ज्यादा पैदावार होने से उसको भी ज्यादा हिस्सा मिलेगा तो वह प्रयत्न करेगा कि पैदावार बढ़े और उसके लिये वह ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा।

हमारे प्रदेश में सरकार ने भूमि सुधार के लिये सीमा निर्धारण किया है और उसके असर से बहुत से लोगों ने अपने परिवार में जमीन को बांट दिया है और वे प्रयत्न करते हैं कि जमीन फंसी रहे। वह न खेती करते हैं और न खेती करने वालों को जमीन देते हैं। उनका विश्वास है कि अगर वे दूसरों को खेती करने के लिये जमीन दे देंगे तो उनके पास से वह खेत निकल जायेंगे। इस कारण पैदावार कम हो रही है। दूसरी ओर खेतिहर मजदूर चाहते हैं कि उनको खेत मिलें। अगर सहकारिता के आधार पर खेती होती है तो उससे किसान को भी फायदा होता है, मजदूरों को भी फायदा होता है और उससे राष्ट्र को भी फायदा होता है। किसानों के अन्दर जो खेत निकल जाने का एक भय रहता है, इससे वह भय भी उनके अन्दर से निकल जायेगा और वे काफी मेहनत के साथ खेती करेंगे। आज हम देखते हैं कि कृषि की पैदावार हमारे यहां कम है और हमें विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ता है, इससे पैदावार में बढ़ोत्तरी होगी और फिर हमें विदेशों से गल्ला नहीं मंगाना होगा।

इससे मान्यवर, एक फायदा यह भी होगा कि जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं जैसे कोई १० बिस्वा के काश्तकार हैं और उसके पास कृषि के सभी आवश्यक साधन नहीं हैं, तो वे सहकारिता के आधार पर सभी साधनों को एकत्र करके उसका लाभ उठा सकते हैं। पूरे साधन न होने के कारण छोटे-छोटे काश्तकारों को जो दिक्कतें पड़ती है खेती करने में, वह नहीं पड़ेगी।

मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं और वह यह कि सहकारी कृषि के सम्बन्ध में जितने भी पदाधिकारी हों या जितने काम करने वाले हों उन सब के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वे सब लोग कुछ न कुछ काम खेती का जरूर करें, यह न हो, कि जो होशियार लोग हों वे दूसरे लोगों से ही काम लें और खुद कुछ न करें। इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं मान्यवर, एक पुस्तक है "चीन में कृषि–सहकारी संस्थाओं के अध्ययनार्थ गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट" उसके पृष्ठ १२४ के एक उद्धरण को पढ़कर सुनाना चाहता हूं––

"सहकारिता के प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू, काम का मूल्यांकन और पारिश्रमिक का देना है। भारत की वर्तमान सहकारिता संस्थाओं में से बहुत सी केवल इसी कारण भली प्रकार नहीं चल रहीं कि उनका श्रम–संगठन सन्तोषजनक नहीं है। प्रायः पारिश्रमिक, दैनिक मजदूरी के आधार पर,काम के प्रकार और परिणाम का कोई भी विचार किये बिना, दे देने की प्रथा है। पारिश्रमिक की राशि का, सहकारिता के खेत की उपज के साथ सम्बन्ध होने न होने का भी प्रायः कोई विचार नहीं किया जाता। प्रायः यह होता है कि सदस्यों की संस्था के दैनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं रहती और संस्था को हानि होने लगती है। पारिश्रमिक की दर निश्चित करते हुये दो सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिये। पहला तो यह कि सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में, संस्था का एक वर्ष या एक फसल का केवल कुछ लाभ (अर्थात् उत्पादन की समस्त राशि में से किरायों, टैक्सों और सदस्यों की मजदूरी के अतिरिक्त अन्य सब देय राशियां घटाने के बाद बची हुई रकम) बांटा जाय, और वह भी प्रत्येक सदस्य द्वारा किये हुये काम के हिसाब से।"

मान्यवर, आज कल तो सभी लोग अपने को काश्तकार कहते हैं, भले ही उन्होंने एक दिन भी खेती न की हो। इसलिये वास्तव में, मान्यवर, किसान तो उसी को कहा जाय कि जो खेतों में हल चलाता है, गोड़ता है, अन्य खेती के काम करता है। जब तक खेत ऐसे लोगों के पास रहेगा जो स्वयं काम न करके भी किसान बने रहते हैं तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। जो जोतते, बोते हैं वह ज्यादातर मजदूर हैं। अगर सहकारिता के आधार पर खेती होगी तो उसमें यह दिक्कत नहीं होगी, एक निश्चित आधार पर मजदूरी उनको मिलती रहेगी और पैदावार का कुछ अंश बच करके उनको अंश के रूप में दिया जायगा।

इस बिल के द्वारा भूमि बंधक बैंक की व्यवस्था भी सरकार ने की है जिससे उनको काफी सहायता मिलेगी। आज किसान को समय पर कृषि साधन जुटाने के लिये रुपया न मिलने से महाजनों के चुंगल में जाना पड़ता है। प्रतापसिंह जी ने बताया कि उनको महाजनों को २५ फीसदी सूद देना पड़ता है, मैं कहता हूं कि उनको ड्योढ़ा सूद, साढ़े सैंतीस फीसदी और ४० फीसदी तक पड़ जाता है। सौ के सवासौ तो उसी वक्त हो जाते हैं और हर किस्त के रूप में एक महीने के बाद ही वह वसूल करना शुरू कर देता है। यह किसान के लिये बहुत अच्छा होगा कि इस बैंक की व्यवस्था से उसका महाजन से पिंड छूट जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी––श्रीमन्, सहकारिता के बारे में पहले तो मुझे यही अचम्भा हुआ कि हमारे पहाड़ों के दो साथी सहकारिता में भी आये। वह क्या जानें सहकारिता को? वह तो पहाड़ के रहने वाले हैं। मेरा उनसे द्वेषभाव नहीं है, लेकिन पहाड़ पर सहकारिता कम होती है, उनके यहां चकबंदी भी नहीं होती है। मुझे खुशी है कि यह समय बोलने का मिला तो पहाड़ियों को। एक हमारे नौजवान कह रहे थे कि सोडावाटर

[श्री टीकाराम पुजारी]

बड़ी अच्छी चीज है परन्तु यह पहाड़ों पर कहां से आयी, उसकी बोतल को पीकर तो निमोनियां हो जायगा। अब मैं सहकारिता पर ही आ रहा हूं। सहकारिता बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन अभी तो वह बच्चा है, नाबालिग है और तब तक नाबालिग है जब तक सन् १९६२ का चुनाव नहीं हो जायगा। सरकार कह रही है कि छोटे-छोटे किसानों की मिलकर सहकारिता भी हो, यह सब बातें ६२ के चुनाव के कारण कही जा रही हैं। सन् ६२ के बाद छोटे किसानों का नाम नहीं होगा, वह तो उन्हीं की सहकारिता होगी जोकि सहकारिता के लायक हैं।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हमारे भाई इधर के भी कहते हैं कि सहकारिता होनी चाहिये लेकिन सरकार ठीक नहीं कर रही है। इन्हें क्या पता है कि ठीक करेगी या गैरठीक करेगी? एक झांझ बजा रहा है तो दूसरा मृदंग बजा रहा है। यह ठीक है कि काम कर लो, सन् ६२ का चुनाव हो जायगा तो हम सब एक हो जावेंगे। अगर जनता ने अकल मन्दी से काम नहीं लिया और सन् ६२ में कांग्रेस को सहकारी सिद्धान्त पर जिता दिया तो वह ऐसी नहीं रहेगी कि फिर वोट देने जायगी। आज स्त्री कहीं है, पुरुष कहीं है। स्त्री कलकत्ता की हवा खा रही है तो पुरुष बम्बई में है। तो सहकारिता कहां है? एक भाई जा रहा है सोशलिस्ट पार्टी में, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी में, तीसरा कहता है कि मैं रामराज्य परिषद् का हूं, चौथा कहता है कि मैं हिन्दू महासभा का हूं और ५ वां जाता है मुस्लिम लीग में। तो कहां है सहकारिता? सहकारिता एक भी घर में नहीं है और इस सदन में भी नहीं है। दिन प्रति दिन लोग प्रतिक्रियावादी और अवसरवादी होते जाते हैं। सहकारिता दूसरी चीज होती है। जब बुड्ढे का समय आया तो लाल बत्ती जल गई और पहले ३०, ३० मिनट लोग बोले हैं। अगर सहकारिता होती तो शेर के लिये भी २०, ३० मिनट मिलते और वह बताता कि सहकारिता में मध्यम वर्ग का किसान मर जायगा।

कांग्रेस सरकार की सहकारिता से हमें सावधान रहना है। यह समाजवाद नहीं है, यह हमको गुमराह करना है जो काम यह सरकार कर रही है। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता हूं और मैं इस सहकारी खेती के खिलाफ हूं। आप कहते हैं कि सहकारिता बहुत ऊंची चीज है। आपने अभी बांट चलाये जिनसे १ मन में १ सेर अधिक तुलेगा। कहां है इस सरकार का दिमाग? मैंने तो कहा था अगर किसी मंत्री का दिमाग सही नहीं है तो उन्हें बोलने का समय नहीं मिलना चाहिये। सहकारिता रूस में भी सफल नहीं हुई। अमरीका में जमीन ज्यादा है, जनसंख्या थोड़ी है। हमारे यहां उलटा हिसाब है। वहां मशीन से काम होता है। यहां मशीन से काम होने पर बेकारी फैलेगी। बेकारी फैल करके अराजकता बढ़ेगी। कम्युनिज्म रूस से नहीं आता है, चीन से नहीं आता है। कम्युनिज्म पैदा करने वाली सरकार होती है। जहां बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी फैलती है, वहां कम्युनिज्म को निमंत्रण दिया जाता है। इस तरह से ऐसी बातें करके यह सरकार कम्युनिज्म को निमंत्रण दे रही है। कभी सहकारिता करती है, कभी तृतीय चवर्षीय योजना लाती है। यह सरकार अपने दिमाग को ठीक करे और सहकारिता के प्रस्ताव को वापस ले और जो आबपाशी की तीन आने की छूट वापस ली गई है उसको किसानों को फिर से दे। इतना कह कर मैं कहूंगा कि सहकारिता को खत्म किया जाय क्योंकि इससे किसान जिन्दा नहीं रह सकते हैं।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बहुत से शब्द कानों को अच्छे लगते हैं और हृदय को भाते हैं लेकिन व्यवहार में वह नहीं आते हैं। आजकल हर अखबार और प्लेटफार्म से सहकारिता की चर्चा बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती है लेकिन कार्य रूप में नाममात्र को भी नहीं है। मेरा इस दिशा में एक बहुत लम्बा अनुभव खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। १९४४-४५ में जेल

से छूटने के बाद लगातार मैं इस काम को करता रहा हूं। मेरा तजुर्बा यह है कि पहले तो सहकारिता के कानून ही साफ नहीं हैं। वह ऐसे नहीं हैं जिनसे किसी वास्तविक जरूरतमंद को फायदा हो सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि सहकारिता के कानूनों में खेती की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को दृष्टि में रखकर परिवर्तन किया जाना चाहिये।

दूसरे सहकारिता के सब से बड़े दुश्मन सहकारी विभाग के ही बड़े-बड़े अफसर हैं। वह रजिस्ट्रेशन वगैरह में बड़ी दिक्कत डाल देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं और इसलिये इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि यदि हमारे देश में क्रान्ति से स्वराज्य होता तो आज कुछ और ही होता। लेकिन यहां शांति और सुलह से स्वराज्य प्राप्त हुआ है, इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी आजादी तभी पूरी होगी जब कि हम सहकारिता के जरिये इस मुल्क को आर्थिक आजादी दिला सकें। और आर्थिक आजादी हमारी राजनीतिक आजादी से अधिक महत्व की चीज है। इस आर्थिक आजादी को दिलाने के लिये इस बात की जरूरत है कि रिश्वतखोर हाकिमों और मुनाफाखोर बनियों से जनता को छुटकारा दिलाया जाय। जब तक सरकार इसके बारे में कठोर कानून नहीं बनायेगी तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। खेती के मामले में ही नहीं बल्कि आज करोड़ों और अरबों रुपया हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज में लग रहा है। सरदार पटेल साहब ने कहा था कि २०/२५ प्रतिशत मुनाफा देकर इन सबको नेशनलाइज कर लिया जाय। मैं पूछता हूं कि वह क्यों नहीं हुआ ?

हम समझते हैं कि सच्चाई और निर्भीकता साथ-साथ रहती है और सच्चे आदमी को कहने में कोई भय नहीं हो सकता है। हमारी हुकूमत में बड़ी भारी कमजोरी यह है कि वह सहकारिता, सहकारिता चिल्लाती तो है लेकिन उन बातों को दूर नहीं करती है जिससे सहकारिता पनपे, बल्कि उन कानूनों को जारी रखती हैं जिससे पूंजीपति और सरमायेदार नाराज न हो जायं और इसलिये ऐसे कानून नहीं बन पाते हैं, जिससे मुल्क तरक्की कर सके। समय का तकाजा है कि जल्दी से जल्दी सहकारिता का निर्माण हो, उसके लिये दृढ़ और मजबूत कानून बनें जिससे वह फले फूलें और लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक स्वराज्य का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है और आजाद मुल्क के लोग जिस तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, उस प्रकार की उमंग और खुशी तब तक हमें नहीं मिल सकती है। इसके न होने का खास कारण यह है कि आज जो अमीर लोग हैं उनकी अमीरी बढ़ रही है और जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी बढ़ रही है। वे अमीर लोग भला किस तरह से सहकारिता को फलने फूलने दे सकते हैं जब तक सरकार शक्ति को न बरते।

मान्यवर, इन कानूनों को बनाने वाले बड़े-बड़े वही अधिकारी हैं जो बड़े-बड़े फार्मों के मालिक हैं, कल कारखानों के मालिक हैं, जिनके हाथों में लाखों का धन है, जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं तो फिर वे किस तरह सहकारिता को फलने फूलने दे सकते हैं ? मुझे पिछले वक्त का एक अनुभव है जब कि साधन समितियां चालू हो गई थीं। एक सुपरवाइजर किसी गांव से आरहा था। उसने बताया कि वह साधन समितियां बना कर आ रहा है। मैंने पूछा कि साधन समितियां क्या होती हैं ? उसने कहा सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज। मैंने उससे पूछा कि वह होती क्या हैं और उनका क्या कर्त्तव्य और उद्देश्य होता है ? लेकिन उसका वह जबाब नहीं दे पाया क्योंकि उसको स्वयं भी मालूम नहीं था कि साधन समितियां क्या होती हैं ? यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है लेकिन फिर भी तमाम जिलों से रिपोर्ट आगई और जवाहरलाल जी के पास भी इस बात की रिपोर्ट पहुंच गई कि उत्तर प्रदेश में हजारों साधन समितियां स्थापित हो गईं और हमारे रजिस्ट्रार साहब का इसमें नाम हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में इस मुल्क की गरीबी को मिटाने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार का कागजी काम नहीं होना चाहिये। १९४६ में

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

जब हम जेल से निकले तो हमारे जिले में बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। उस समय गल्ले की प्राप्ति के संबंध में कई गल्ला सहकारी समितियां कायम हुई लेकिन सहकारी विभाग के द्वारा गरीब जनता का लाखों रुपया गायब हो गया। आज यदि हम उनसे पूछते कि वह रुपया वसूल क्यों नहीं होता है तो वे कहते हैं कि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं थी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहां के अधिकारी इस प्रकार का जवाब देते हैं। यह कौन नहीं जानता है कि इतना रुपया फलां-फलां व्यक्ति पर बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी वसूली के लिये सरकार ने या इस विभाग ने क्या प्रयत्न किया ? उस गरीब जनता की इतनी बड़ी रकम को चन्द बदमाश लोग खा गये। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने सरकार को इसके लिये क्या सुझाव दिया है ?

दूसरी बात यह है कि जब जिलों में सहकारी बैंक बने तो हमने देखा कि बड़े-बड़े लोगों को ही यहां कर्जा दिया जाता है और गरीबों को नाम मात्र को दिया जाता है जो वाकई में उसके पाने के हकदार हैं और जिनके लिये ही वह बैंक कायम किये गये हैं। कर्जा ज्यादातर वही लोग पा जाते हैं जो ४२० होते हैं और जरूरतमंद लोगों को कर्जा नहीं मिल पाता है। मान्यवर, हमने जन श्रम से एक मोटर रोड का निर्माण किया जो सड़क ३८ मील लम्बी है और हमारा यह नारा था कि "जनता की सड़क और जनता की मोटर"। उसके लिये हमने भगीरथ प्रयत्न किया और लोगों से लगभग एक लाख रुपया इकट्ठा किया। प्रत्येक शेयर की कीमत १०० रुपये रखी और एक परिवार जिसमें दस आदमी तक हों वह दस शेयर तक ले सकता है। उसकी नियमावली बनी। जब रजिस्ट्री का समय आया तो बड़ी दिक्कत हुई। हम से कहा गया कि ऐसे तो कोई बाईलाज ही नहीं हैं। ऐसी कोई सोसायटी कायम ही नहीं हुई। इस मामले में माननीय मोहन लाल जी गौतम ने मेरी बड़ी मदद की और किसी तरह से एक साल के बाद उसको रजिस्टर्ड करा सके। लेकिन फिर बाईलाज में ऐसी दिक्कत डाल दी गई कि फलां आदमी मेम्बर नहीं हो सकेगा। "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।"। मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़ी लड़ाई के बाद रजिस्ट्री की गई और बड़े हर्ष की बात है कि बड़ी लड़ाई और संघर्ष के बाद हमारी उस मोटर रोड पर मोटर चल रही है। कुमायूं में सहकारिता के ढंग का यह पहला उद्योग है। मैं बतलाऊंगा कि कुमायूं ऐसा प्रदेश है कि जहां पर कोई उद्योग धन्धे, कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है वहां पर अगर कोई इस गवर्नमेंट की देन है तो वह यह सड़क ही है जो सहकारिता के ही आधार पर बनी है। हमने निश्चय किया है कि मोटर उद्योग और कुछ दूसरे छोटे उद्योगों के द्वारा ही हम वहां के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। वहां के बड़े सरमायेदारों ने जो बाहर के मोटर मालिक हैं, ट्रान्सपोर्ट के अफसरों से मिलकर हमारे खिलाफ षड़यंत्र रचा है और हमारी जो सोसाइटी है उन को इस तरह से यह लोग घेरे हुये हैं कि जिस तरह से वीर अभिमन्यु को सप्तरथियों ने महाभारत में घेरा था। वह लोग नैनीताल, लखनऊ और इलाहाबाद जाकर सैकड़ों रुपया हमारे खिलाफ व्यय कर रहे हैं, जब हम इन पूंजीपतियों के विरुद्ध अफसरों से कहते हैं कि इस में हमारी मदद करो तो वह कुछ न कुछ कहकर टाल देते हैं।

इसी तरह की हम ने अपने यहां बहुत सी श्रमिक सोसाइटियां कायम की हैं। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की, जंगलात की और अनेक समितियां हम ने स्थापित की हैं लेकिन हमें इन विभागों की तरफ से कोई वास्तविक मदद नहीं मिलती। मेरा विचार है कि यह सहकारिता कानून अभी अधूरा है, उसे हमें पक्का और स्थायी बनाना चाहिये ताकि हर काम सहकारिता के आधार पर उन्नति कर सके। इस सहकारी कानून में आमूल परिवर्तन किया जाय तभी आजादी का जो सही है वह हमें मिलस सकता है। जो लोग आज भी हर हालत में शिक्षा में, सम्पत्ति में और रुपये पैसे में पिछड़े हुये लोग हैं उन की मदद हम सहकारिता के आधार पर ही कर सकते हैं। हमारे कुमायूं में तो अंग्रेजों के आने से पहले जितने काम थे वे सब सहकारिता

के आधार पर ही होते थे। हमारे यहां जो गांव संजायत की जमीन कही जाती थी उस में साझी खेती होती थी। यह थी उस समय की एकता कि गांव के सब काश्तकार मिल कर उस का प्रबन्ध करते थे। इसी तरह से सहकारी रूप में लोग पशुपालन आदि का काम करते थे और जो जातिपांति की व्यवस्था थी उस में भी मिलकर शादी विवाह भी एक दूसरे के सहयोग से होते थे।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सहकारी समिति विधेयक जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की सरकार ने सामजवाद की स्थापना का व्रत लिया है। पूंजीपतियों के चुंगल से देश को छुड़ाने का सहकारिता आन्दोलन के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। जिन लोगों को श्रमिक और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला है वह देश के पूंजीपतियों के बहुत बढ़े हुये अत्याचारों से भलीभांति परिचित हैं। देश की उन्नति के लिये, औद्योगीकरण के लिये यह परमावश्यक है कि हम सहकारिता की ओर बढ़ें। अगर हम इस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने ३ ही रास्ते हैं। एक तो यह है कि हम देश के पूंजीपतियों को देश के श्रमिकों का शोषण करने की खुली छूट दें और उन को प्रोत्साहन दें या भारत की यह राष्ट्रीय सरकार जिसके पास कि पूंजी की कमी है वह देश को गिरवीं रख कर विदेशों से ऋण लेकर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करे और तीसरा रास्ता यह है कि सहकारिता आन्दोलन के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। सदियों की गुलामी के बाद और एक बड़े भारी संघर्ष के बाद हम अपने देश को आजाद करा पाये हैं। हम उद्योगीकरण के लिये विदेशों से ऋण लेने के लिये तैयार नहीं हैं। साथ ही पूंजीपतियों के अत्याचारों से भी देश के श्रमिकों को पनाह देने के लिये आवश्यक है कि व्यक्तिगत पूंजी को भी बढ़ावा न दिया जाय। तब एक ही रास्ता रह जाता है और वह है सहकारी आन्दोलन के जरिये देश का उद्योगीकरण तथा अन्य कार्य, खेती तक, किये जायं।

अभी एक सदस्य ने कहा कि सबसे पहले जर्मनी में सहकारिता आन्दोलन चला था। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जिन व्यक्तियों को भारतीय संस्कृति का थोड़ा भी ज्ञान है वह रोजमर्रा की जीवन की कार्य प्रणाली को देखें तो मालूम होगा कि भारत में ही सर्वप्रथम सहकारिता ने जन्म लिया है। आज शादी विवाह के अवसर पर एक दूसरे व्यक्तियों को न्योता देना और कुछ रुपये की सहायता दे कर जो सहकारिता का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है क्या उसे भुलाया जा सकता है? राजा अग्रसेन की कहानी जगत् विख्यात है। वह अमरोहा के राजा थे। कहा जाता है वहां १ लाख घरों की आबादी थी और जब कोई भी बाहर का अग्रवाल व्यक्ति उसके राज्य में पहुंचता था तो नियम था कि प्रत्येक घर वाले को उस आगन्तुक व्यक्ति को १ रुपया और १० ईंटें भेंट स्वरूप देना पड़ेगा। इस प्रकार वह व्यक्ति जो निर्धन होता था अग्रसेन के राज्य में पहुंचने के बाद पहले ही दिन सहकारिता के कारण लखपती हो जाता था जिससे मकान बनाता था। लेकिन साथ ही यह नियम भी था जब किसी के यहां शादी होगी तो उस समय उस व्यक्ति को लड़के और लड़की की शादी में १ रुपया भेंट करनी पड़ेगी और बाहर से आने वाले दूसरे भाई को भी १ रुपया और १० ईंटें भेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से लड़के, लड़की की शादी में १ लाख रुपया भेंट ही में मिलता था। तो सहकारिता का इससे बड़ा और उदाहरण क्या बाहर मिल सकता है? इसी इतिहास के कारण आज भी अग्रवाल समाज में काफी सम्पत्ति पायी जाती है।

इसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश सर्वांगीण उन्नति करे, जैसा विधेयक के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है "कृषकों तथा शिल्पकारों और अन्य व्यक्तियों में मितव्ययिता तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने, मुनाफाखोरी तथा शोषण रोकने और राज्य के सामान्य आर्थिक विकास में सहायता देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

स्थापना में और सुविधाएं देना तथा उसे प्रोत्साहित करना और इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों से सम्बद्ध विधि को संहत और संशोधित करना इष्टकर है।" इससे स्पष्ट है कि देश के किसान, कलाकार और श्रमिकों को प्रोत्साहन देने, उन्हें ऋण से मुक्त करने, उनकी कला को उचित मूल्य पर बाजार में बिकवाना चाहते हैं। अभी तक जो बहस हो रही थी वह अधिकतर सहकारी खेती तक ही थी। पर इस विधेयक की मंशा चहुमुखी विकास करने और सहकारिता का प्रयोग करने का उद्देश्य है। इसलिये मैं इसका और भी स्वागत करने के लिये तैयार हूं क्योंकि मैं स्वयं सहकारी समिति से संबंधित हूं।

मैंने देखा कि सहकारी समिति पर सिर्फ आर्बिट्रेशन ऐक्ट लागू होता था। सहकारी समितियों के सदस्यों में अगर कोई झगड़ा होता था तो आर्बिट्रेशन के द्वारा ही तय होता था, उनका रिवीजन होता था लेकिन अपील का कोई अधिकार नहीं था। आज जो विधेयक है उसमें अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। तो यह अधिकार न्याय के नाते मिलना चाहिये। यह चीज स्वागत के योग्य है। इसलिये मैं इस बिल का विशेष स्वागत करता हूं।

साथ ही साथ जो इस विधेयक में एक नयी चीज लायी जा रही है वह यह कि अभी-तक अनेक समितियां ऐसी थीं जिनमें गुटबाज लोग अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिये दूसरे व्यक्तियों को उन सहकारी समितियों का सदस्य बनने से रोक देते थे। लेकिन अब अगर कोई सहकारी समिति किसी व्यक्ति को उसका सदस्य बनने से रोकेगी तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी इसमें व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि सहकारी समितियों के द्वार आज जनसाधारण के लिये खोल दिये गये हैं।

तीसरी प्रशंसा योग्य बात इस विधेयक में यह है कि अब सहकारी समिति का प्रधान सिर्फ उसके सदस्यों में से ही हो सकेगा। अधिकारियों के चंगुल से छुड़ाने के लिये सहकारिता आन्दोलन में यह एक नया और क्रान्तिकारी कदम उठाया जा रहा है। अभी तक छोटी-छोटी समितियों के ही अध्यक्ष सहकारी समिति के सदस्य होते थे और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन और बड़ी-बड़ी सहकारी समितियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उच्चाधिकारियों का ही अधिकार होता था। लेकिन इस विधेयक के द्वारा सहकारी समितियों का अध्यक्ष उसका सदस्य ही होगा तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा रहे हैं।

जहां इतने परिवर्तन किये जा रहे हैं वहां मैं एक मांग सहकारिता मंत्री से और भी करना चाहता हूं। सहकारिता का अन्दोलन एक सच्चा आन्दोलन है समावाजद की स्थापना के लिये। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद आये तो हमें इस बात को भी देखना है कि हम सच्चे माने में सहकारिता की स्थापना करें। लेकिन अभी विगत वर्ष में जो हमारे प्रदेश में साधन सहकारी समितियों की स्थापना की गयी और आगरा जिले के बिछपुरी ग्राम में राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो एक मानपत्र भेंट किया गया था उसमें यह कहा गया था कि हमारे यहां दस हजार साधन सहकारी समितियों की स्थापना हो गयी है। मेरी राय में वह एक धोखा था और जो दस हजार साधन सहकारी समितियों की संख्या बतायी गयी उनकी इस प्रदेश में स्थापना ही नहीं हुई बल्कि जो पुरानी समितियां थी उन्हीं का नाम बदल कर साधन सहकारी समिति रख दिया गया और राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह घोषणा कर दी गयी कि दस हजार साधन सहकारी समितियां स्थापित कर दी गयी हैं। लेकिन राष्ट्र नायक इस देश की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने जबकि यह समारोह हो रहा था उस समय एक जनसमूह के सामने इस बात की घोषणा की थी कि उन्हें संदेह है कि इस प्रदेश में वास्तविक तौर पर दस हजार साधन सहकारी समितियों की स्थापना हो गयी है। तो देश के राष्ट्र नायक के ये शब्द हमें अच्छी तरह से कंठ करने चाहिये। जब मैंने कोआपरेटिव के सुपरवाइजर्स और अन्य कर्मचारियों से पूछा कि आपके यहां साधन सहकारी

समितियों की स्थापना किस प्रकार हो गयी तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमें तो रजिस्ट्रार कोआपरटिव सोसाइटीज का यह आदेश था कि अपने यहां की सोसायटियों का नाम बदल कर साधन सहकारी समिति रख दो और फिर कागज की खाना पूरी करते रहना।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी बतलाया गया था कि जितने वहां पर मकान हों उसके कम से कम ५० प्रतिशत व्यक्ति उसके सदस्य होने चाहिये लेकिन वह नहीं हो पाया। आज भी साधन सहकारी समिति किसान के लिये बड़ी लाभकर चीज है लेकिन बेचारा किसान उन समितियों को कौन कहे उनके उद्देश्यों से भी पूरे तौर पर अनिभिज्ञ है। यदि हम वास्तविक तौर पर यह चाहते हैं कि इस देश में साधन सहकारी समितियों और सहकारिता को प्रोत्साहन मिले तो इस बात की आवश्कता है कि हम सहकारिता का सही-सही प्रचार करें। जब तक इस देश का हर नागरिक, देश का बच्चा-बच्चा और खास तौर पर जिन श्रमिकों और कृषकों के लिये हम इन साधन सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहते हैं और जिनको इससे लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन व्यक्तियों को जब तक इनके लाभ का विशेष रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा यह सहकारिता आन्दोलन विफल रहेगा और जब हमारा सहकारिता आन्दोलन विफल हो जायगा तो इसकी विफलता समाजवाद की विफलता होगी। समाजवाद की विफलता का मतलब है कि हमारा देश पुनः प्रतिक्रियावादियों के हाथों में पड़ जायगा। तो अभी तक हम लोग इस देश के प्रगतिशील व्यक्ति जो राजनीतिक क्रान्ति के बाद एक आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं उस सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति में एक बहुत बड़ा गत्या विरोध पैदा हो जायगा। उसके लिये आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि हमारे देश का आर्थिक ढांचा चन्द पूंजीपतियों के हाथ ही न रखा जाय। उनके हाथ से अपने देश के आर्थिक ढांचे को बचाने का एकमात्र मार्ग अगर कोई है तो वह सहकारिता का ही मार्ग है। इसलिये मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ कागजी कार्यवाही और कागजी आंकड़ों पर ही विश्वास मत कीजिये। यदि आप सचमुच समाजवाद को लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह सहकरिता का आन्दोलन सफल हो तो ठोस उदाहरणों को समाज के अन्दर रखकर के सहकारिता का व्यापक प्रचार कीजिये। जब लोगों को सहकारिता के लाभों का पता लगेगा तो देश के श्रमिकों और पूंजी की कमाई इन सहकारी समितियों के शेयरों के रूप में आयेगी और जैसा मैंने अग्रसेन के बारे में कहा था कि उसके राज्य में एक लाख लोगों द्वारा एक-एक रुपया और दस, दस ईंटें देने से एक व्यक्ति के पास आसानी से एक लाख रुपये और दस लाख ईंट इकठ्ठी हो जाती थीं। उसी तरह से करोड़ों किसानों के पास से एक-एक रुपया या दस-दस रुपया सहकारी समितियों के शेयरों के रूप में लगेगा तो अरबों रुपये की सम्पत्ति हमारे देश में होगी जिससे कि हम अपना उद्योगीकरण अच्छी तरह से कर सकेंगे। सहकारी खेती के बारे में भी विचार प्रकट किये जा रहे हैं। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। उसके लिये यह आवश्यक है कि हम लोगों को समझाने के लिये आदर्श सहकारी कृषि फार्मों की स्थापना करें और इसको जबरन लादने के पूर्व लोगों को इसमें उन्नति करके दिखलायें। तब लोगों को अपने आप इस पर विश्वास हो जायगा और ग्रामीण जनता फिर इसका स्वागत करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत मुद्दत से इन्तजार था कि यह पुराने जमाने का कोआपरेटिव, अंग्रेजों की डाली हुई बुनियाद, किस दिन हमारी सरकार उखाड़ने में समर्थ होगी और किस दिन एक नयी सहकारिता की बुनियाद डालेगी, लेकिन इस बिल को देख कर बड़ी निराशा हुई और निराशा इसलिए हुई कि जिस प्रकार पुराना बिल था उस बिल से कुछ इसमें और अधिक ही बातें आ गई हैं जो कि अप्रजातांत्रिक हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि सारे अधिकार इस कोआपरेटिव बिल में कोआपरेटिव रजिस्ट्रार को दे दिये गए हैं। कोई भी अधिकार न तो उन डाइरेक्टरों को है न किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को है बल्कि यहां तक मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव रजिस्ट्रार को पूर्ण रूप से इस सहकारिता का डिक्टेटर बना दिया गया

[श्री शिवप्रसाद नागर]

है। अनेक जगह इस कोप्रापरेटिव बिल में यह दिया गया है कि निकाल सकता है रजिस्ट्रार किसी भी डाइरेक्टर को। किसी भी डाइरेक्टर के खिलाफ रजिस्ट्रार साहब यह कार्यवाही कर सकते हैं और वह कार्यवाही कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी को भी इस बात की गुंजायश नहीं दी गई है कि १३२ में अपील कर सके। यह एक इतनी बड़ी बात इस विधेयक में है कि जो शायद यदि प्रजातान्त्रिक ढंग से सोचा जाय तो किसी प्रकार प्रजातान्त्रिक ढांचे में फिट नहीं होती है बल्कि इसमें डिक्टेटरशिप का एक नक्शा दिखाई पड़ता है। किसी भी मामले में कोई आर्बिट्रेशन और १३२ की अपील इस विधेयक में कहीं नहीं दी गई है।

एक बात और कहूं कि सहकारिता के संबंध में जो सहयोग होना चाहिये था, जितने प्रकार की कोआपरेटिव सोसाइटियां होनी चाहिये थीं वह सब एक ही रास्ते से चलनी चाहिये थीं। सब का कोआपरेटिव रजिस्ट्रार एक न करके, यहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज का पृथक्करण कर दिया गया है। पृथककरण भी इस प्रकार कर दिया गया कि एक तो केन कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार अलग है। एक औद्योगिक कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार अलग है, और एक क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार अलग है। इसी तरह से इसका परिणाम भी दूसरा हो रहा है कि केन कोआपरेटिव सोसाइटी का जितना भी मुनाफा, जितनी भी पूंजी का रुपया है वह किसी दूसरे बैंक में जमा होता है। कोआपरेटिव के बैंक में जमा नहीं होता। औद्योगिक कोआपरेटिव सोसाइटी जितनी हैं उनका भी रुपया पंजाब नेशनल बैंक या सेन्ट्रल बैंक में जमा होता है। चाहिये यह था कि जितने प्रकार की कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं हर कोआपरेटिव सोसाइटी के जितने फंड हैं वह सहकारी बैंक में जमा होने चाहिये थे। इसलिये जमा होने चाहिये कि वह रकम जो लाखों की तादाद में सेन्ट्रल बैंक में जमा होती है या पंजाब नेशनल बैंक में जमा होती है, उसका फायदा कौन उठाता है? वह बड़े बड़े पूंजीपति, वह बड़े बड़े मिल ओनर्स उसका फायदा उठाते हैं। जिस किसान के द्वारा यह पैसा जमा किया जाता है या औद्योगिक या सोसाइटी का हो, या केन डेवलपमेंट सोसाइटी का हो या क्रेडिट सोसाइटी का हो वह सब रुपया अगर जिले के कोआपरेटिव बैंक में जमा हो तो उससे किसान मुस्तफीद हो सकता है। जिले के काश्तकार उस बैंक के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वह रुपया सहकारी बैंक में न जाकर बड़े बैंकों में चला जाता है। इस विधेयक में उसके लिये प्रतिबन्ध कोई नहीं रखा गया है। मुझे यह बात कहीं नजर नहीं आई कि कोई ऐसा प्रतिबन्ध रखा गया हो कि जितनी भी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं वह अपना सारा धन जिले के कोआपरेटिव बैंक में जमा करें ताकि सहकारी बैंक बढ़े और जो काश्तकार हैं या जो छोटी-छोटी सोसाइटीज हैं वह उससे मुस्तफीद हो सकें। वे उससे फायदा नहीं उठा पातीं इसी वजह से सहकारिता से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। यह ऊपर के अधिकारी सहकारी अधिकारी होते हुये भी जिले के किसानों से सहयोग नहीं करते और न करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि किसान भी उनको जान गया है।

सहकारिता के बारे में एक खास तस्वीर देहात का किसान देख चुका है। इधर उधर उलट पलट कर सब प्रकार से सहकारिता को किसान ने देख लिया है। किसान ने सहकारिता को कोआपरेटिव भट्टे के रूप में देखा, मार्केटिंग सोसाइटी के रूप में देखा, केन सप्लाई सोसाइटी के रूप में देखा, औद्योगिक कोआपरेटिव सोसाइटी के रूप में देखा, इसको क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी के रूप में देखा, कोआपरेटिव सीड स्टोर के रूप में देखा, लोन सोसाइटी के रूप में देखा, साधन सहकारी सोसाइटी के रूप में देखा, मतलब यह कि अनेक रूप से देहात का किसान इस सहकारिता को देख चुका है। अब वह भयभीत हो गया है और इसको इतने चित्रों में देख कर उसका साहस नहीं रह गया है कि सहकारिता में अब अपना कोई सहयोग दे दे। आज जब हम कहीं पर बैठते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी खेती सहकारी रूप में होगी तो वे हमसे कहते हैं कि लौटकर गांव में आना चाहते हो या नहीं। वे कहते हैं कि जिस दिन सहकारी खेती की बात आ जायगी उस दिन खेत की मेड़ पर भी नहीं आने पाओगे वहीं लखीमपुर में रहना। इस तरह की बात वह कहते हैं।

एक बात और कहूं कि जितनी नई सोसाइटीज बनने जा रही हैं, जिला स्तर पर उनको मैं देखता हूं और इस सदन में भी देखता हूं कि जब माननीय मंत्री जी खड़े होते हैं तो बड़े गर्व के साथ गरदन उठाकर कहते हैं कि इतनी हजार सोसाइटियां हमने नयी बना डालीं। एक मसल कही जाती है देहात में कि जितना 'अहरिऊ आगे बटत जात हैं उतना पड़ऊ पीछे चबात जात' हैं। एक अहीर अपनी रस्सी बांट रहा था और पीछे पड़वा उसे खाता जा रहा था। पच्चीस हाथ बंट कर जब उसने पीछे घूम कर देखा तो पाया कि रस्सी एक हाथ की एक हाथ ही है। तो पुरानी सोसाइटियां मृतप्रायः होती जा रही हैं और हम नयी बनाते जा रहे हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—यही तो संसार का क्रम है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं तो समझता था कि यह नयी सरकार इस क्रम को बदल देगी और सरकारें संसार के क्रम को बदला करती हैं, लेकिन यह सरकार उसी क्रम में बह गयी। धारा ३१ में आपने बतलाया है कि सहकारी समिति का जो सचिव होगा वह नियत रीति से नियुक्त किया जायगा। ठीक है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। वह वैधानिक हो अथवा अवैधानिक, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, जिसे चाहें आप रखें, किन्तु उसे समिति के सदस्यों में से ही होना चाहिये। पता नहीं आप अपने किसी पार्टी के आदमी को नामजद कर दें उसके लिये। इस बार भी जो लोग नामिनेट किये गये हैं वह ऐसे लोग हैं कि जिन पर कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड ने लांछन लगाये हैं और जिनको बिना पर उनको कांग्रेस टिकट तक नहीं मिला, ऐसे घृणित अपराध जिन्होंने किये हैं उनको आपने नामिनेट कर दिया है। अगर इस प्रकार को नामिनेशन की रीति आप बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह कोआपरेटिव बिल जो आज पैदा हुआ है, कल मर जायगा और इसे कोई जिन्दा नहीं रख सकता। दूसरे, अगर आप किसी को नियुक्त करना चाहते हैं तो भले ही आप उसे अपनी अर्जी से नियुक्त कर दें लेकिन अगर कोई सहकारिता में प्रमाणित योग्यता प्राप्त व्यक्ति है, उसे अगर आप नियुक्त करते हैं तो भी हम समझ लेंगे कि कम से कम यह कोआपरेटिव का एक्सपर्ट तो है और उसके लिये हमें एतराज न होगा, लेकिन इसके नाम पर जिनके घर में रोज झगड़े होते हैं, मां-बेटे में, भाई भाई में रोज जहां लड़ाई होती है और बरतन बजते हैं, पड़ोसी जान जाते हैं कि लड़ाई हो रही है ऐसे लोगों को अगर आप वहां भेजेंगे तो सहकारिता में क्या होगा ? यह बिल आप क्यों लाये हैं ? पहले आप अपने बिल में अपने को देखिये। आपके यहां कोआपरेशन के नाम पर कितना कोआपरेशन है ? अगर कोआपरेशन में स्वयं फेल हैं तो यह कोआपरेटिव का बिल क्यों लाये हैं ? पहले आप अपने बिल में घुस कर देखिये कि क्या हालत है ? उसमें सभी बिलबिला रहे हैं और दोनों तरफ से इतनी बिलबिलाहट हुई कि यह बिल आ गया। मैं नहीं समझ पाता कि यह कैसे सफल होगा। भगवान ही इसका रक्षक है।

एक सदस्य—होली नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—होली सो हो ली। अब तो जो होली होने वाली है वह सन् ६२ में होगी। यह बिल ही कहीं ६२ में आपके खिलाफ एक अस्त्र न हो जाय।

मैं आप की सेवा में दो चार बातों का जिक्र और करना चाहता हूं। एक जगह उन्होंने इस बिल में कहा है कि यदि निबन्धक किसी सहकारी समिति को निबंधित करने से इन्कार करे, तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा। और इसके आगे कुछ नहीं। धारा १३२ में इसकी अपील का कोई प्राविजन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम माननीय मंत्री जी इस पर विचार फिर से करें, इसे फिर से देखें और अपील की गुन्जायइश दफा १३२ में होना चाहिये। इस बिल में एक जगह कहा है—"यदि निबन्धक किसी समिति को निबन्धित करने से इन्कार करे, तो वह इन्कार करने के आदेश को उसके कारणों सहित उस प्रार्थी को संसूचित करेगा जो प्रार्थना-पत्र में इस प्रयोजनार्थ नामांकित हो, तथा ऐसे नामांकन के अभाव में प्रार्थियों में से किसी एक को संसूचित करेगा।"

[श्री शिवप्रसाद नागर]

तो सूचना तो श्रीमन्, हमको हर बात की दे देंगे लेकिन आगे कोई उसकी रेमिडी नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार लोअर कोर्ट के बाद हम सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में और अगर सुप्रीम कोर्ट के भी न्याय से हम सहमत न हों तो राष्ट्रपति तक जा सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई रेमिडी नहीं है, डिक्टेटर बना दिया गया है, वह चाहे न्याय करे, चाहे अन्याय करे।

एक दूसरी जगह इसी बिल में लिखा है--"सहकारी समिति किसी सामान्य बैठक में, जो तदार्थ बुलाई गई हो, तीन चौथाई के बहुमत से पारित किसी संकल्प द्वारा किसी सदस्य को ऐसी रीति से कार्य करने के कारण निकाल सकती है जो समिति के हितों के प्रतिकूल हो या जिस के परिणाम स्वरूप समिति को वित्तीय हानि हो या होने की संभावना हो।" तो वह निकाल तो देगी, लेकिन उसकी अपील का कोई आपने प्राविजन नहीं रखा है। एक जगह और मान्यवर, कहा है--"जिसके परिणाम स्वरूप समिति को वित्तीय हानि हुई हो या होने की संभावना हो यानी इस पर भी उसको निकाल दिया जायेगा और रजिस्ट्रार महोदय उसको निकाल सकते हैं।" वह निकाल तो देंगे लेकिन उसको अपनी सफाई देने का मौका कहीं इस बिल में नहीं दिया गया है। इस सारे बिल में पचासों जगह इतने अधिकार रजिस्ट्रार को दे दिये गये हैं कि उसी को सभी कुछ बना दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि".....यदि कोई सदस्य अधिनियम के अधीन सदस्यता के लिये अर्ह न रह गया हो तो निबंधक उसे सहकारी समिति की सदस्यता से निकाल सकता है।" यानी सारे विधेयक में यह लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार अमुक डायरेक्टर को निकाल सकता है, जो चाहे वह कर सकता है, और उसको कहीं कोई अपील का प्राविजन नहीं है। मैं चाहता हूं कि दफा १३२ में उसके लिये कोई प्राविजन अवश्य होना चाहिये। कोई उसकी रेमिडी जरूर होनी चाहिये।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज इस बिल की अत्यन्त आवश्यकता थी और आज हमारे देश में इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि सारा काम सहकारिता के आधार पर हो। सर्वप्रथम इसमें खेती पर ही बल दिया गया है। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि खेती पर ही आज इतना जोर दिया जाता है। आज हमारे प्रदेश के ७५ प्रतिशत लोग कृषक हैं और उत्तर प्रदेश की जन संख्या भी बढ़ रही है। तो इन बातों के कारण जो आपके बड़े उद्योग धंधे हैं, जो बराबर खुलते जा रहे हैं, जिनको बराबर सरकार लोन देती है, उस ओर भी सरकार को उचित ध्यान देने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने जितना कृषि पर बल दिया, उतना सहकारिता के द्वारा उद्योगों को दिया? अगर दिया होता तो उससे मिल खुलते, उद्योग-धंधे बढ़ते और किसान, मजदूरों और पैसे वालों, सबका भला होता। यदि सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगा दे कि जितना रुपया पूंजीपति के पास है वह सहकारी समितियों के द्वारा उद्योग धंधे खोले और रुपया सूद पर उनमें लगाये तो सूद के प्रलोभन के वशीभूत हो कर लोग काफी रुपया लगा देंगे। और उसमें मजदूर लोग भी सब काम करेंगे और जनता का और देश का कल्याण होगा। पहले भी तो डंगवारे चलते थे और आपस में मिलकर खेती होती थी, आज भी है, लेकिन जब से यह आन्दोलन चला तब से मजदूरों को हिस्से पर जो कृषि के लिए भूमि दे दी जाती थी वह भी लोगों ने बन्द कर दी और उससे बेकारी भी बढ़ी, साथ ही उत्पादन भी नहीं हो पाया। अगर मिलों पर इस तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो सब का फायदा होगा। किसान जिसके माल से मिलें चलेंगी उसको फायदा होगा, मजदूर उसमें काम करेगा और पैसे वाले को सूद मिलेगा, तो ऐसी सहकारिता अवश्य सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नीचे के अधिकारियों द्वारा चलायी गयी सहकारिता कभी सफल नहीं होगी। जितने रजिस्ट्रार और सुपरवाइजर हैं सब फेल्योर हैं, वहां मुकदमेबाजी और गबन हो रहे हैं या फिर सरमायेदारों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फायदा हो रहा है। किसान तो जानता भी नहीं कि यह क्या बला है और जो जानते हैं उनको उसमें नहीं लिया जाता। जहां तक किसान मजदूरों का संबंध है उनमें कोई सोसाइटी नहीं है। जहां आप समानता लाने की बात करते हैं वहां हैसियत की भी बात करते हैं। आप जिनके लिए सहकारिता लाना चाहते हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, तो फिर सहकारिता कहां है? अगर कल-कारखाने में सहकारिता कर दें तो खेती में स्वयं आ जायगी और किसान-मजदूर सबको लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
११ मई, १९६१ ई०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

जिला गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ओलापीड़ित क्षेत्रों के किसानों की ओर से प्रदर्शनकारियों ने १८-२-६१ को जो मांगे उक्त तहसील के नायब-तहसीलदार के समक्ष रखीं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है --

(१) तहसील के ओला पीड़ित क्षेत्रों के गन्ने को शीघ्र बिकवाने के लिये उचित व्यवस्था की गई और उन क्षेत्रों का सभी गन्ना अब तक मिल में गिर चुका है ।

(२) असहाय तथा गरीबों को मकानों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिये आठ हजार नौ सौ उन्नीस रुपया तेइस नये पैसे की धनराशि सहायता के रूप में बांटी गई है, और खपड़ैल तैयार करने के लिये जंगल से लकड़ी लाने की इजाजत दी गई है ।

(३) क्षति की मात्रा को ध्यान में रखते हुये नियमानुकूल जिन क्षतिग्रस्त ग्रामों में मालगुजारी में सहायता दी जा सकती है, रबी १३६८ फसली के सहायता के अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनमें आवश्यक छूट दी जायेगी ।

(४) जहां सम्भव था वहां सरकारी मतालबों व बकायों की वसूली रोक दी गई है ।

(५) तहसील के ओलापीड़ित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानें पहिले ही से पर्याप्त संख्या में हैं । अतः उनमें कोई वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

(६) जरूरतमन्दों को २२,८२० रु० की डिस्ट्रेस तकावी बांटी गई है ?

(७) निःशुल्क चराई के लिये जंगल खोल दिये गये ।

(८) अपाहिजों तथा असहायों को २,६१० रु० की धनराशि अनुदान स्वरूप बांटी गई है ।

(९) ओला पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफ करने से संबंधित मांग को स्वीकृत करना सम्भव नहीं पाया गया । इस सम्बन्ध में ९१० रु० ७७ नये पैसे की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में बांटी गई है ।

(१०) मिठौरा-नन्दाभार सड़क पर जो ओला पीड़ित ग्रामों से होकर जाती है, टेस्ट वर्क खोलने के लिये आदेश दे दिया गया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९५ पर)

	रु०
१--असहायों को अनुदान	११,५२९.२३
२--तकावी	२२,८२०.००
३--मालगुजारी की प्रस्तावित छूट	३१,६७२.००

४--चराई के लिये जंगल में निःशुल्क चराई की व्यवस्था की गई ।

५--लकड़ी की व्यवस्था निःशुल्क ओला पीड़ितों के लिये वनविभाग से की गई ।

६--३१,६७२ रु० मालगुजारी की वसूली स्थगित की गई ।

७--इसके अतिरिक्त ओला पीड़ित क्षेत्र के किसानों के गन्ना को मिल में लेने के लिये प्राथमिकता दी गई जिसके फलस्वरूप काश्तकारों का गन्ना मिल में पहुंच गया ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

मांगों का विवरण

१—चीनी मिल अमरोहा के सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना निर्धारित सीजन के अन्दर ले लिया जाय ।

२—बाहर जिले के सेंटरों से गन्ना लेना बिल्कुल रोक दिया जाय ।

३—किसानों को यह गारंटी दी जाय कि उनका गन्ना ३० अप्रैल, १९६१ तक ले लिया जायगा ।

४—किसानों को यह गारंटी दी जाय कि अगले सीजन में बाहर जिलों के सेंटर या तो कम कर दिये जावेंगे या मिल की क्षमता का प्रसार किया जावेगा ।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

जुलाई, १९६० से मार्च, १९६१ तक जिला फैजाबाद में जिन प्राइवेट ईंट भट्ठों को जिले के साधारण तथा विशेष कोटे से कोयला प्राप्त हुआ है उसका विवरण

क्रम संख्या	नाम ईंट भट्ठा (अप्रूव्ड)	श्रेणी	कोयला जो साधारण कोटे से प्राप्त हुआ	कोयला जो विशेष कोटे से प्राप्त हुआ
१	२	३	४	५
१	श्री अनवारुल हक, अकबरपुर . .	. . . .	४	. .
२	बाला प्रसाद, फैजाबाद . .	. . . .	२	५
३	बकस उल्लाह, टांडा . .	. . . .	. .	१
४	गंगाराम सच्चानन्द, फैजाबाद	. . . .	२	४
५	गुलाम नबी श्याम दास, हंसवर	. . . .	. .	२
६	गोविन्दप्रसाद सक्सेना, चौरा बाजार	. . . .	. .	२
७	हीरासिंह, गोसाईंगंज . .	. . . .	२	३
८	इफतिखार अहमद, बटेहरी . .	. . . .	. .	२
९	जैसामल, फैजाबाद . .	. . . .	५	२
१०	लालताप्रसाद, दर्शन नगर . .	. . . .	. .	१
११	मुहीउद्दीन, अरिया बाजार . .	. . . .	१	२
१२	मुनीर अहमद, टांडा . .	. . . .	. .	२
१३	मुस्तफा हुसैन, टांडा . .	. . . .	१	२
१४	सदारंगमल, फैजाबाद . .	. . . .	३	५
१५	सालिकराम गुप्त, अकबरपुर . .	. . . .	. .	. .
१६	सतरामदास एन्ड ब्रादर्स . .	. . . .	१	२
१७	शंभूनारायण सिंह, पूरा बाजार	. . . .	. .	. .
१८	शमसुद्दीन, टांडा . .	. . . .	१	३
१९	शंकरलाल एन्ड सन्स . .	. . . .	७	७
२०	सूरजनारायण पांडे . .	. . . .	१	. .
२१	तुलसीराम वर्मा . .	. . . .	१	६
२२	बासदेवनारायणसिंह, दर्शन नगर	. . . .	. .	. .
२३	अब्दुल हक, कुन्थर . .	. . श्रेणी (ख)	. .	२
२४	अब्दुल सलाम, बसरवारी . .	. .	१	. .
२५	आदितसिंह, चौरमारा . .	. .	२	. .
२६	बच्चूलाल, पूरा बाजार . .	. .	. .	१
२७	बलदेवप्रसाद क्षत्र बलीसिंह, गोसाईंगंज	. .	४	१
२८	श्री भगेलूराम वैश्य, बांस गांव	. . ,,	४	४
२९	देवशरण मिश्र, जलालपुर	. . ,,	४	२
३०	दुखीराम हरिजन, भरतकुंड . .	. . ,,	५	४

क्रम-संख्या	नाम ईंट भट्ठा (अप्रूव्ड)	श्रेणी	कोयला जो साधारण कोटे में प्राप्त हुआ	कोयला जो विशेष कोटे में प्राप्त हुआ
१	२	३	४	५
३१	फजल खां, राम नगर	श्रेणी (ख)	..	२
३२	गनेशप्रसाद, पूरा बाजार	,,	..	१
३३	गंगाशरण मिश्र, जलालपुर	,,	..	२
३४	हनुमानदत्तसिंह, कुचेराबाजार ..	,,	५	३
३५	हरगोविन्द प्रसाद, दर्शन नगर	,,	३	..
३६	जगदम्बिका सिंह, मिल्लीपुर	,,	५	३
३७	जानकीप्रसाद हरिजन, भरतकुंड ..	,,	१	३
३८	कैलाशबिहारी, अकबरपुर	,,	२	२
३९	मुहम्मद खलील, गोसाईगंज	,,	..	..
४०	मुहम्मद शगीर अशरफ, टांडा	,,	..	१
४१	न्यू इन्डिया बिक किल्न	,,	२	१
४२	रामेश्वरप्रसाद, रौनाही	,,	..	२
४३	सुगनामल एन्ड संस	,,	२	४
	योग		७१	८९

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

पिछले वर्ष की बरसात में ग्राम हथौरा, परचल, पसनामऊ, बिरौरी और हैवतपुर, परगना बिलग्राम, जिला हरदोई में पानी भर जाने से जो नुकसान हुआ है उसके कारण दी गई सहायता का ब्योरा—

नाम ग्राम	हाऊस बिल्डिंग सब्सीडी	तकावी	खरीफ १३६८ फसली मालगुजारी में दी जाने वाली सहायता की अनुमानित धन-राशि
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१—हथौरा	४,५००	..	३,२१७·९९
२—परचल	३३०	..	२,४४८·७८
३—बसनामऊ	..	..	३२७·१३
४—बिरौरी	..	..	७४४·९१
५—हैवतपुर	८२०	१,४४०	२४९·७९
योग ..	५,६५०	१,४४०	६,९८८·६०

जिला हरदोई के खरीफ १३६८ फसली के सहायता के अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर मालगुजारी में नियमानुकूल छूट दी जायगी। फिलहाल उक्त तालिका के कालम ४ में दी गई धनराशि की वसूली स्थगित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

एक अक्तूबर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक व्यय का व्योरा

विभाग	पिथौरागढ़	उत्तरकाशी	चमोली
	रु०	रु०	रु०
शिक्षा ..	२,५०,२१४.६३	१,९३,६७९.००	१,७५,७४३.००
सूचना ..	२८,६८०.००	१८,९०२.००	१०,१४८.००
पशुपालन ..	२,३९,२९५.००	८९,७७७.००	१,६८,०९९.००
उद्योग ..	६,३०,१०१.००	२,९६,७८१.००	८,७६,३२०.००
फल उत्पादन ..	३,७५,२९२.००	३,३६,२७९.००	१,३६,८७५.००
चिकित्सा ..	२,८१,९७३.४५	१,०१,६८५.००	२,६५,३८१.००
स्वास्थ्य ..	१,६१,१४७.६३	२,७१,२६४.००	१,५४,५३४.००
प्रान्तीय रक्षक दल ..	..	१५,०७५.००	८,४२८.००
सार्वजनिक निर्माण विभाग	२२,२४,०७२.००	२२,७५,४६०.००	८,८५,८२७.००
वन विकास ..	५,५३७.०७	..	१,९०,७००.००
विविध विकास योजनायें जो विकास क्षेत्रों तथा जिलाधीशों द्वारा सम्पन्न हुईं ..	५,४३,८९४.६९	५,७८,९३९.००	३,४६,३२८.००
योग ..	४७,५०,२०७.४७	४१,७७,८४१.००	३२,१८,३८३.००

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८–९९ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३०३ पर)

तालिका 'क'

तालिका 'क' जिसमें इस वर्ष गोरखपुर तथा देवरिया जिले की जिन चीनी मिलों का सुरक्षित क्षेत्र बढ़ाया व जिनका क्षेत्र घटाया गया उन मिलों के नाम अलग अलग दिये हुये हैं

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम जिनका सुरक्षित क्षेत्र बढ़ाया गया	अभियुक्तियां
१	देवरिया	गौरीबाजार	
२	,,	परताबपुर	इस मिल को सीजन के प्रारम्भ में भातपर क्षेत्र का गन्ना सुरक्षित किया गया था किन्तु इस क्षेत्र का कुछ गन्ना बाद में भटनी मिल को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	चीनी मिल का नाम जिनका सुरक्षित क्षेत्र घटाया गया	अभियुक्तियां
१	देवरिया	पडरौना	
२	,,	कठकुइयां	
३	,,	खड्डा	
४	,,	सिवरही	
५	,,	कप्तानगंज	
६	गोरखपुर	सिसवा	
७	,,	घुघली	
८	देवरिया	देवरिया	
९	,,	परताबपुर	इस मिल को सीजन के प्रारम्भ में भातपर क्षेत्र का गन्ना सुरक्षित किया गया था किन्तु इस क्षेत्र का कुछ गन्ना बाद में भटनी मिल को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

विधान सभा प्रदेश

तालिका 'ख'

तालिका जिसमें इस वर्ष देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में से केवल देवरिया जिले की जिन मिलों के सुरक्षित क्षेत्र के साथ जो नये गांव लगाये गये हैं उसका विवरण दिया हुआ है।

नाम चीनी मिल	नये गांव जो सुरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं
१—प्रतापपुर (देवरिया) ..	भातपर क्षेत्र, जिला देवरिया।
	१—अन्जन, २—अन्जनया, ३—बकला सम्भू, ४—बलही, ५—बनसी, ६—बहियारी बघौल, ७—बेलपार, ८—बेलपार पंडित, ९—बहेरा पटार, १०—भातपर, ११—भारा कलबत, १२—भिन्डा मिश्र, १३—भरवली, १४—भटवा पाण्डे, १५—भेरिया, १६—बिसुनपुरा, १७—बड़का गांव, १८—बहल लवा, १९—बेलथरा, २०—बभनऊली, २१—बनकटा पट्टी, २२—बनकटा मिश्र, २३—बरई पार, २४—बिन्दबलिया, २५—भटवा तिवारी, २६—बन्धीबाबू, २७—छटका गांव, २८—चकिया, २९—चन्दिकी, ३०—छतरपुरा, ३१—दिसलबली, ३२—द्वारकन, ३३—धर्मखेर, ३४—तलहोना, ३५—दुबवली, ३६—घवनली, ३७—दमोदरा, ३८—हतईपुर, ३९—हबीबक, ४०—तलहरसरा, ४१—जिरासो, ४२—जोगउर, ४३—जोगहटा, ४४—जुसुई, ४५—जवाडीह, ४६—खेउनिया, ४७—खरेसर, ४८—दोवा, ४९—खजूरी डीह, ५०—खोरीहवा ठाकुर, ५१—खोरीहवा दूबे, ५२—खरहरी, ५३—खरीडीह, ५४—कोडिवला, ५५—कुबरेवा, ५६—कैच वार, ५७—कोरारा, ५८—बोटइला, ५९—कल्यानी, ६०—करही भुनवा, ६१—करउनी, ६२—करमुअवा, ६३—करही पांडे, ६४—कटइली वार, ६५—कठउरी, ६६—खामपुर, ६७—लाखौपुर, ६८—लक्ष्मनचक, ६९—लखना, ७०—मलिच्छया, ७१—मदनचक, ७२—मधौर, ७३—मझउली, ७४—मकईछपरा, ७५—महूजार, ७६—मेहरावन, ७७—मवझरिया, ७८—नारायनपुर, ७९—मलहना, ८०—मलहनी, ८१—मल्हचक, ८२—माथ दमोदरा, ८३—मठियाचक, ८४—मिलकार चक, ८५—नारायनपुर, ८६—नरायनपुर तिवारी, ८७—उसका, ८८—परेदा चक, ८९—पिपरहिया ९०—फुलबरिया, ९१—पचोरबर, ९२—पदरीउमऊ, ९३—पनुवा, ९४—पकरी बाबू ९५—रामपुर लिठिया, ९६—रउनी गंगा चक, ९७—दूछापार, ९८—दुस्तानबहियारी, ९९—सिरसिया मिश्र, १००—सोहनपुर, १०१—सुर्गीपुर, १०२—सुकवा, १०३—सन्या चक, १०४—टीकमपुर, १०५—शंकरपुर, १०६—तेनगरी, १०७—तातार बुजुर्ग, १०८—तातार खुर्द, १०९—अमोदोरिया, ११०—अमरी चक, १११—अन्थी, ११२—धरहवईया,

नाम चीनी मिल	नये गांव जो सुरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं
	११३—हलपोखर, ११४—कठगरा, ११५—होमर पांडे, ११६—रघुनाथपुर, ११७—बन्धीभीसा, ११८—बनकटा दीक्षित, ११९—कुकुरघन्टी, १२०—माभोछपेर, १२१—शिसईना पकउली, १२२—सरईयां, १२३—माथ दनौर, १२४—बहरावा १२५—पुरैना, व १२६—दनौर।
२—गौरीबाजार (देवरिया)	रुद्रपुर कछार क्षेत्र के निम्नलिखित गांव :—
	१—भगवानपुर, २—पिपरा, ३—रानीपुर, ४—करनपुर, ५—करौता, ६—बाबू मझवा, ७—पांडे मझवा, ८—शीतल मझवा, ९—नरायनपुर, १०—नगवा, ११—दरहिया, १२—भकाली १३—मल्लाह पुरवा, १४—समेनबरसा, १५—किधवइया, १६—जुगिया, १७—घरवली खुर्द, १८—घरवली बुजुर्ग, १९—छपरा, २०—पटवनिया, २१—गाजरधरवली, २२—पिउरही, २३—बिरामपुर, २४—सरमोहना, २५—बेलवा, २६—मलपता, २७—चकवा, २८—दीनापुर, २९—पठखोली, ३०—महदा, ३१—शिवदहा, ३२—किरतपुरा, ३३—करौदी, ३४—बरारपुर, ३५—सियरवना, ३६—माधोपुर, ३७—देला, ३८—गोबिन्दुर, ३९—मतहियाझाकी, ४०—हरवहिया, ४१—माधोपुर शिवरचक, ४२—लक्ष्मीपुर, कोलिया, ४३—अवस्थी ४४—महियारपुर, ४५—देवराली जेरम, ४६—अमावा, ४७—अकुरिहा, ४८—कोरवा, ४९—तरवा, ५०—जमीरा, ५१—केयतलिया, ५२—गलियारी, ५३—देवकलिया हमराज, ५४—देवकलिया धनीराम, ५५—तेतरिया, ५६—बेलवार घाट, ५७—मोहरिया, ५८—रमईपुर, ५९—कबीरपुर, ६०—बिसुनपुर कछार, ६१—श्री रामघाट, ६२—मदनपुर, ६३—मतहिया तिवारी, ६४—मोनावती, ६५—बरघवना, ६६—समोहरा, ६७—पटवरिया, ६८—मोहवरा, ६९—रवोया, ७०—बिसनूपुरा, ७१—लालपुर परसिया, ७२—भगवन्तसिंह, ७३—लालपुरा भटसाही, ७४—अनवासा, ७५—रतनपुर, ७६—बलियापुर, ७७—हवली बेलिया, ७८—तिमरा, ७९—करकोला, ८०—केदा, ८१—पचलार, ८२—पलिया, ८३—सुल्तान, ८४—ईसारपुर, ८५—भदौरा, ८६—बासकेट, ८७—कोदरा, ८८—कोदरी, ८९—बिनबा, ९०—कतहिया पांडेय, ९१—नरायन पांडे, ९२—जगन्नापुर, ९३—पचार खास, ९४—सरवा, ९५—भटवली, ९६—धरमपुर, ९७—किथवलिया, ९८—बिलियार घाट, ९९—मलपुरवा, १००—बहोरी, १०१—अकबवरा, १०२—लिउल ताल, १०३—भरवलिया, १०४—लखनघाट, १०५—कलहिया चक, १०६—सचवली घाट, १०७—पिपरहेन, १०८—गयाघाट, १०९—जगन्नाथपुर, ११०—बहरादलपतपुर, १११—छपरा खुर्द, ११२—रामकुटी।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१–१०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०४ पर)

जिला खीरी की तहसील निघासन के उन ग्रामों की सूची जिनमें १९६१ ई० में ओलाबारी से फसलों को हानि हुई है।

ग्रामों के नाम

१—अमेयपुर
२—चांदपुरा
३—सैमड़ी
४—कफरा
५—चमेठी
६—मरतापुर
७—टेको कुंडा
८—बकची
९—नैनापुर
१०—दरौरी
११—देवोमनिया
१२—गुलेरिया तालुक चमेठी।
१३—रामनगर नया
१४—मतेहरा
१५—रतनगर लहबेरा
१६—जंगल मतेहरा
१७—भूतपुरवा
१८—बचेपारा
१९—बंदाहा
२०—परसा
२१—सुजई कुंडा
२२—धौसा कलां
२३—धौंसा खुर्द
२४—चक ललीपुर
२५—अलीखाना ढकिया
२६—नूरुपुर
२७—कौनिया
२८—बबरी
२९—धौराहरा
३०—कसवापुर कलां
३१—महराजनगर
३२—राजापुर भज्या
३३—गुलेरिया तालुकादारी
३४—सरगारा
३५—रैनी
३६—समुदाहा
३७—गुरगुट्टा खुर्द
३८—बमभौरी
३९—मतेनी
४०—सरस्वा
४१—रसूलपुर
४२—बेलवामोती
४३—रेहुवा
४४—जेतपुरवा
४५—सोहारिया
४६—रंगीतनगर
४७—तहारा
४८—मुण्डो
४९—गंगोलिया
५०—मूरा
५१—नौबस्ता
५२—मंवापुर
५३—संकल्प
५४—गुरगुट्टा बुजुर्ग
५५—देहुवा कलां
५६—चकनाथपुर
५७—बाली
५८—राइपुर
५९—शाहपुर
६०—करौहा
६१—बसंतपुर
६२—गुदेरिया
६३—हार्डी
६४—कसवापुर खुर्द
६५—लगियापुर
६६—चिकनाजीत
६७—राजापुर पेमन
६८—भौंदापुर खुर्द
६९—भौंबापुर कलां
७०—खेरबहिया
७१—दुलामऊ
७२—जंगल नम्बर २
७३—कबीरपुर
७४—चमहलपुर
७५—समेदी बदल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामों के नाम

७६—जंगल वली
७७—बसिया
७८—मेतपुरवा खुर्द
७९—सरैया
८०—सेरपुर
८१—बसेरिया
८२—पैकापुर
८३—ऊंचागांव
८४—परैवा
८५—ऐरा
८६—मंडवा
८७—लोधौंनी
८८—महेवा
८९—जसवन्तनगर
९०—महेरिया
९१—हरदासपुर
९२—ईश्वरबारा
९३—मतेरिया
९४—बेहटा
९५—समेदीहरी
९६—महेरिया
९७—अल्लीपुर
९८—समेरिया पंडित
९९—दिलवलपुर
१००—पकेरिया
१०१—दुर्गापुर
१०२—सिरसी
१०३—अदलिसपुर
१०४—मिर्जापुर
१०५—हरसिंगपुर
१०६—देवीपुरवा
१०७—ओझापुरवा
१०८—कैराती पुरवा
१०९—बिलौली
११०—ईसानगर
१११—गनेशपुर
११२—समेरिया कलां
११३—फुलवापुर
११४—मूसेपुर
११५—सिसैया कलां
११६—नौंवा गांव
११७—कमेहना
११८—चन्द्रासा खुर्द
११९—चहलर
१२०—वारसिंगपुर
१२१—पितौला
१२२—हुसैनपुर
१२३—सरैया कलां
१२४—बेलतुआ
१२५—बेलागढ़ा
१२६—मुखलिसपुर
१२७—रुद्रपुर
१२८—मिर्जापुर मल्लापुर
१२९—खलमित मऊ
१३०—लाखुन
१३१—परसिया
१३२—पातेपुर
१३३—खंवापुर
१३४—रोहित्य
१३५—लखपेहड़ा
१३६—सुजवलपुर
१३७—दुर्गापुर
१३८—ढुंढा कलां
१३९—कोंडरारूप
१४०—करीमापुर
१४१—रामनगर
१४२—जगदीशपुर
१४३—जचरा
१४४—समैसा
१४५—खेमरिया
१४६—गौढ़ा
१४७—मंझा सुमाली
१४८—बुलाकी पुरवा
१४९—सिंगवार
१५०—शंकरपुर
१५१—नकहिया
१५२—सललाहा
१५३—मलिक
१५४—सुमेरपुर सौंथियाना
१५५—बिशुनपुरी सौंथियाना

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

जिला आगरा में जिन अस्थाई ईंट भट्ठों को उनकी स्वीकृति की तिथि से अब तक जो कोयला दिया गया है उसका विवरण

क्रम-सं०	नाम अस्थायी ईंट भट्ठा	तहसील	स्वीकृति की तिथि	कोयला जो दिया गया	विवरण
				वैगन	
१	सर्वश्री उत्तम चन्द्र राज बहादुर बरारा।	आगरा	६-५-५९	२५	
२	,, देवी दास, मिधाकुर।	,,	,,	१४	
३	,, जी० एस० पालीवाल एंड कम्पनी, नगला बीच।	एतमादपुर	१२-५-५८	२५	
४	,, अयोध्या प्रसाद, नगला सिंधी।	,,	,,	२५	
५	,, हजारी लाल जगदीश प्रसाद, अनवलखेड़ा।	,,	,,	३२	
६	,, राजाराम, बंसल, अकघेत।	,,	६-५-५९	१४	
७	,, राजाराम, पेमपुर।	फीरोजाबाद ..	,,	१५	
८	श्रीमती प्रेमवती मिश्रा, रखी।	,,	,,	८	
९	सर्वश्री सूरजभान बंसल, किरावली।	किरावली ..	,,	१९	
१०	,, रामप्रकाश गुप्ता, पिनहाट।	बाह ..	,,	१६	
११	,, श्याम लाल, फतेहाबाद।	फतेहाबाद ..	,,	३३	
१२	,, कामता प्रसाद, रामपुर।	,,	,,	१०	
१३	,, हाकिमसिंह, मिलावाली।	खैरागढ़ ..	,,	२३	

क्रम संख्या	नाम अस्थाई ईंट भट्ठा	तहसील	स्वीकृति की तिथि	कोयला जो दिया गया	विवरण
				वैगन	
१४	सर्वश्री उदय भानु, लादुखेड़ा।	खैरागढ़	६-५-५९	१५	
१५	,, प्रताप सिंह, घुसियानी।	,,	,,	१४	
१६	,, तारा सिंह, तेहरा।	,,	,,	६	
१७	,, बी० एम० रावत, कगारोल।	,,	,,	१६	
			योग ..	३००	
				टन	
१८	सर्वश्री लखी राम अग्रवाल, बाडोला।	आगरा ..	१९-१२-५९	३४४	
१९	,, ओम प्रकाश बंसल, सिकन्दरा।	,,	,,	३४०	
२०	,, बिन्दाबन बिहारी सरन, सिकन्दरा	,,	,,	३००	
२१	,, दाऊदयाल बंसल, सिकन्दरा,		,,	४६०	
२२	,, कृष्ण कुमार अग्रवाल, मथुरा रोड।	,,	,,	३६६	
२३	,, बृज भूषण राम सेवक राम, शमशाबाद।	फतेहाबाद	,,	३००	
२४	,, उत्तम चन्द्र मुन्नी लाल, मुजफ्फर।	,,	,,	३५०	
२५	,, राम स्वरूप डाल चन्द्र, ठेराई।	,,	,,	३४०	
२६	,, शंकर लाल, मदारोली।	फतेहाबाद	,,	३००	
२७	,, राम नाथ हर नारायण, ढेवाई।	,,	,,	३००	

सत्यमेव जयते विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम अस्थायी ईंट भट्ठा	तहसील	स्वीकृति की तिथि	कोयला जो दिया गया	विवरण
				टन	
२८	सर्वश्री प्रानवीर सिंह, जरार।	फतेहाबाद	१९-१२-५९	४२०	
२९	,, स्वस्तिक ब्रिक क्लिन, तापा कलां।	फीरोजाबाद	,,	३००	
३०	,, राम नारायण कीरत राम, सेगाई	,,	,,	३४४	
३१	,, सुरेश चन्द्र बंसल, गाड़ीदरकपुर।	,,	,,	३००	
३२	,, ऐ० एल०ब्रिक वर्क्स, दादामई।	,,	,,	३००	
३३	चन्द्र भान, खेरागढ़।	खेरागढ़	,,	३००	
३४	,, बेनी राम झम्मन लाल, खेरागढ़।	,,	,,	४२०	
३५	,, मडंलेश्वर सिंह, सैयां।	,,	,,	३००	
३६	,, तारा चन्द्र अग्रवाल, सैयां।	,,	,,	३००	
			योग ..	६,३८४	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९–११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६–३०७ पर)

नाम तहसील	नाम टेस्ट वर्क	वर्ष जिसमें काम हुआ	व्यय की धनराशि
सदर ..	१—छितहरी थूनी बांध	१९५९–६० व १९६०–६१	१,५७,१८५.५१
	२—राजधानी बांध ..	,, ,,	१,००,८५३.०४
	३—भगने कटसिकरा बांध	,, ,,	५७,६४५.४४
	४—पिपरौली, जैतपुर रोड	,, ,,	४,८०४.९०
	५—भौवांपार बांध ..	,, ,,	१९,८६५.९६
	६—बरही पाथ ..	,, ,,	७४,६२५.६५
	७—नौवा डुमरी बांध	१९६०–६१	१०,५५३.५६
	८—नकवारडीह बौहा-वार बांध ।	,, ,,	२६१.६०
बांसगांव ..	१—सहुवा नाला (ददरी बैरिया बांध) ।	१९५९–६० व १९६०–६१	५,२१३.०३
	२—सहरिया गजपुर बांध–सड़क ।	,, ,,	३२,९३३.७६
	३—सेमरा भैंसहट बांध	,, ,,	१२,८९८.४४
	४—सोहगौरा-कौड़ीराम सड़क ।	,, ,,	७७१.४८
	५—बिलकुर बांध ..	१९५९–६०	२५,५९५.६६
	६—कोठा रकहत बांध	१९६०–६१	३,९७४.९३
	७—अशवनपारपुर ..	,,	२८,३०९.०८
	८—नवलपुर ..	,,	१,३३५.६८
	९—बैरिया खूटभार बांध	,,	६,७८३.७५
	१०—गगहा रकहत बांध	,,	६६४.९९
	११—बेला अमां बांध ..	,,	२,९४८.६४
	१२—कुसमौल बांध ..	,,	३,३४८.३९
फरेंदा ..	१—मखनहां बांध ..	१९५९–६० व १९६०–६१	५६,८७४.११
	२—नगवां बांध ..	,, ,,	३६,४५६.१०
	३—वेलसर रिगौली बांध सड़क ।	,, ,,	२५,६२५.२६
	४—पनघटिया करमैनी बांध	,, ,,	३०,१२०.४६
	५—टेढ़ीघाट बांध ..	१९६०–६१	८३.३४
	६—चकदा बांध ..	,,	१५०.९२
	७—धानी बांध रोड ..	,,	३,९४९.०६
	८—लेहड़ा इस्टेट बांध	,,	३२,६४१.८८

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०९ पर)

उत्तर प्रदेश वन विभाग से स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर को पेंचदार चीड़ की लकड़ी (twisted wood) की सप्लाई के सम्बन्ध में, विधान सभा में २७ फरवरी, १९६१ को दिया गया, वन मंत्री का वक्तव्य

विधान सभा में पूछे गये कुछ प्रश्नों और प्रकट किये गये सन्देहों को ध्यान में रखते हुये तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेश के कारण यह वांछनीय समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर को पेंचदार चीड़ की लकड़ी की सप्लाई की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया जाय।

कुमायूं वन सर्किल में पेंचदार चीड़ के बहुत से पेड़ पाये जाते हैं। यद्यपि थोड़े से पेंच (twist) के कारण इमारती लकड़ी बेकार नहीं हो जाती किन्तु अधिक पेंचों के कारण जैसा कि प्रायः हुआ करता है, इस तरह के पेड़ों की लकड़ी इमारती लकड़ी के लिये बेकार हो जाती है। परन्तु इस प्रकार की पेंचदार लकड़ी जलाने के काम में लाई जा सकती है, जिसका इस प्रकार उपयोग नाग वाटर वर्क्स, रानीखेत तथा अल्मोड़ा नगर के लोग और ऐसे बनों के पास रहने वाले गांव के लोग किया करते हैं। किन्तु इस प्रकार की लकड़ी की उपलब्ध सप्लाई इस थोड़ी-सी जरूरत से कहीं ज्यादा है। इस किस्म की पेंचदार चीड़ की लकड़ी जो स्थानीय लोगों की जरूरतों से ज्यादा थी, इंडियन फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून को १९५४–५५ में कागज बनाने के लिये कच्ची सामग्री के रूप में उपयोगी प्रतीत हुई।

लगभग उसी समय मेसर्स स्टार पेपर मिल्स ने उत्तर प्रदेश सरकार से कागज बनाने के लिये पेंचदार चीड़ की लकड़ी को पट्टे पर लेने और साथ ही भारत सरकार से अपनी वर्तमान कागज मिलों का प्रसार करने की अनुमति प्राप्त करने के निमित्त उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दिया। इस विषय पर कुमायूं सर्किल के एक भूतपूर्व अरण्यपाल की राय इस प्रकार है :—

"कुमायूं में बन, भूमि तथा जल संरक्षण और लीसा उद्योग को बनाये रखने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सुव्यवस्थित बन-वर्धन द्वारा पेंचदार चीड़ के क्षेत्रों में फिर से वृक्ष लगाये जायें और यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम इस पेंचदार चीड़ को, जो कि इमारती लकड़ी के लिये बेकार होती है और जिसकी ईंधन के रूप में भी कोई मांग नहीं है, किसी और काम के लिये उपयोग में नहीं ला सकते। अतएव पेंचदार चीड़ का उपयोग लीसा उद्योग के हित में है। यदि इन क्षेत्रों में फिर से वृक्ष न लगाये जायं तो एक समय ऐसा आयेगा जब कि लीसे का काम बिल्कुल ठप हो जायगा।"

यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि चीड़ के वनों के, चाहे उनमें सीधे रेशे वाले पेड़ हों या पेंचदार, परिपक्व हो जाने पर उनमें फिर पेड़ लगाना आवश्यक होता है और दोनों दशाओं में फिर से पेड़ लगाने की परिपाटी एक समान होती है। वन-वर्धन (Silvicultural fellings) करने के उद्देश्य से जब पेड़ काटे जाते हैं तो कुछ थोड़े से पेड़ों को छोड़कर जो बीज के लिये आवश्यक होते हैं, बाकी सभी पेड़ काट दिये जाते हैं। सीधे रेशे वाले पेड़ों के बनों में गिराये जाने वाले पेड़ों को बेंच दिया जाता है और उनकी इमारती लकड़ी बनाई जाती है, किन्तु पेंचदार चीड़ के वनों में वहां के पेड़ों को काट कर जला देना पड़ता है जब तक कि इस लकड़ी में कम पेंच होने के कारण उसकी घटिया किस्म की इमारती लकड़ी न बनाई जा सकती हो अथवा उसका उपयोग शहरों के नजदीक जलाने की लकड़ी के रूप में न किया जा सकता हो। सुगम क्षेत्रों में चीड़ के सभी वनों में पेड़ों से लीसा निकाला जाता है चाहे सीधे रेशे वाले हों या पेंचदार। वन काटने का समय वन-व्यवस्था के निहित सिद्धान्तों के अनुसार केवल वनों के परिपक्व (mature) हो जाने के आधार पर ही निश्चित किया जाता है।

इस प्रकार सरकार के लिये उपर्युक्त मत पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं था। सरकार ने इस विषय पर वन, उद्योग और वित्त विभागों में बड़ी सावधानी से विचार किया और काफी समय तक विचार करने के बाद उसने सितम्बर, १९५६ में निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वीकृति दी :—

(१) बड़े परिमाण में कागज की लुगदी बनाने से पूर्व, प्राविधिक विशिष्ट विवरण (technical specifications) आदि तैयार करने के उद्देश्य से, स्टार पेपर मिल्स को अपेक्षित प्रयोग करने में समर्थ बनाने के हेतु १ आना प्रति घनफुट (सुगमांक) की रायल्टी का भुगतान करने पर २ लाख घनफुट पेंचदार चीड़ का दिया जाना।

(२) निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन पहले-पहल १० वर्ष तक, प्रति वर्ष ३२,००० टन तक पेंचदार चीड़ के पट्टे का दिया जाना।

(क) पहले पांच वर्षों में मिल्स १ आना प्रति घनफुट रायल्टी तथा १ आना प्रति घनफुट फिर से पेड़ लगाने के व्यय (regeneration cost) का भुगतान करेंगे।

(ख) बाद के पांच वर्षों में वे २ आना प्रति घन फुट रायल्टी और १ आना प्रति घनफुट फिर से पेड़ लगाने के व्यय (regeneration cost) का भुगतान करेंगे।

इस सम्बन्ध में यह फिर उल्लेख किया जा सकता है कि यह सब एक ऐसी उपज के विषय में किया गया है जिसके लिये बाजार में बिल्कुल भी मांग नहीं थी और इसलिये उसका कोई मूल्य नहीं था। मई, १९५८ में यह भी निश्चित किया गया कि—

"पूर्वोक्त १० वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अगले २० वर्षों की दरें प्रत्येक पांच वर्षों के लिये फैक्ट्री तथा सरकार के पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित की जायेंगी।"

ऐसा करने का अभिप्राय यह था कि इस सार्वजनिक सम्पत्ति के लिये बचाव की पूरी व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह इस तरह मूल्य नियत करें जो कि समय-समय पर उपज के बदलते रहने वाले मूल्य (changing value) तथा बाजार मूल्य के समान रूप हो।

उपर्युक्त निश्चयों के अनुसार उक्त फैक्टरी को, अब तक कुल ६,३२,३२८ घन फुट लकड़ी दी गई है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त पक्ष को पेंचदार चीड़ के क्षेत्रों से उपर्युक्त लकड़ी पेड़ों के रूप में नहीं किन्तु पहले नीलाम कर दिये गये इन क्षेत्रों से वाणिज्य सम्बन्धी लकड़ी आदि यदि कोई हो, निकाल दिये जाने के बाद बची खुची लकड़ी में से दी गई उक्त फैक्ट्री के लकड़ी प्राप्त करने के पूर्व स्थानीय लोगों की आवश्यकतायें भी पूर्णतया पूरी कर दी गईं। जैसा कि पहले बताया गया है, इस फैक्ट्री को २०,००,००० घनफुट से अधिक इस कच्ची सामग्री की वार्षिक आवश्यकता होती है। इसे देखते हुये माननीय सदस्यों को यह विदित होगा कि इस फैक्ट्री को ६,३२,३२८ घनफुट लकड़ी प्राप्त हुई जिसमें फैक्ट्री द्वारा विभिन्न प्राविधिक प्रयोगों (technical experiments) के लिये अपेक्षित लकड़ी भी शामिल है। यह बात माननी पड़ेगी कि बनों से लकड़ी काटने और उसे फैक्ट्री स्थल तक पहुंचाने में काफी समय लग जाता है। अतएव निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये फैक्ट्री के पास कच्ची सामग्री का पर्याप्त स्टाक होना आवश्यक है। इसके बाद मिल चालू रखने के लिये सप्लाई बराबर बनाये रखना आवश्यक होगा।

स्टार पेपर मिल्स ने उठाई गई एक लाख घनफुट चीड़ की लकड़ी के लिये १ आना प्रति घनफुट की दर से और शेष के लिये २ आना प्रति घन फुट की दर से पहले ही भुगतान कर दिया है। किन्तु दीर्घकालिक व्यवस्था के लिये विभिन्न कारणों से करार के प्रालेख को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस मिल द्वारा लकड़ी उठाने की प्रणाली यह है कि लकड़ी के कुन्दे (billets) मजदूरों या खच्चरों द्वारा मोटर सड़क के किनारे ले जाये जाते हैं। वहां से ट्रकों द्वारा रामनगर को और तब रेल से सहारनपुर को ले जाये जाते हैं। वनों से रामनगर को लकड़ी के निर्यात करने तथा लकड़ी के रामनगर पहुंचने पर वन विभाग द्वारा उन पर समुचित नियंत्रण रखा गया है और रखा जायगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सदन के सदस्यों को कुछ आशंका तथा गलतफहमी है :—

(क) उक्त मिल को पेंचदार चीड़ की लकड़ी सप्लाई करने से निकटवर्ती गांवों में जलाने की लकड़ी की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) मिल उक्त उपज को इमारती लकड़ी के रूप में बेच रही है।

(ग) लकड़ी बहुत सस्ती दरों पर सप्लाई की गई है।

(घ) पेंचदार चीड़ की लकड़ी के उपयोग के लिये अभी कोई मशीनरी स्थापित नहीं की गई है और कागज नहीं बनाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :—

(क) उक्त मिल को पेंचदार चीड़ की लकड़ी की सप्लाई करने से स्थानीय लोगों की जलाने की लकड़ी की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

यह आरोप कि मिल्स को पेंचदार चीड़ की लकड़ी की सप्लाई करने से स्थानीय लोगों को जलाने की लकड़ी की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल गलत है। मिल को केवल वही लकड़ी दी गई है जो गांव वालों की जलाने की लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है और जो सामान्यतया विभाग द्वारा जला दी जाती है और जिससे सरकार को कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती बल्कि इस लकड़ी को जलाने में सरकार का काफी व्यय भी हो जाता है। अब तक जलाने की लकड़ी को जो सप्लाई नाग वाटर वर्क्स, रानीखेत और अल्मोड़ा नगरों को की जा रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि काटी गई लकड़ी के ढेरों में से स्टार पेपर मिल द्वारा पेंचदार चीड़ की लकड़ी को हटाने से भविष्य में भी किसी प्रकार से उन विशेषाधिकारों तथा रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका लाभ कुमायूं के लोगों ने अब तक उठाया है और फैक्ट्री के साथ किये जाने वाले प्रस्तावित इकरारनामे में इस आशय का एक विशेष खंड मौजूद है। जहां तक फैक्टरी का सम्बन्ध है वह जनता के विशेषाधिकारों तथा रियायतों को सुनिश्चित करने के लिये अनिश्चित रूप से सहमत हो गई है।

इस प्रकार मिल को की जाने वाली सप्लाई से स्थानीय सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और साथ ही लगातार आमदनी होने के अलावा इस प्रकार की सामग्री के निस्तारण (disposal) पर होने वाले कुछ व्यय की भी बचत हुई है। यदि इस अधिक उपज का औद्योगिक उपयोग न किया जाय जो कि विज्ञान तथा शोध से सम्भव हो गया है तो अधिक आवश्यक कच्चे माल की बरबादी होगी।

(ख) मिल उक्त उपज को इमारती लकड़ी के रूप में बेच रही है।

इस आरोप की कई अवसरों पर बड़ी सावधानी से जांच की गई और यह मालूम हुआ है कि इस आरोप का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है। जो शिकायतें प्राप्त हुईं उनकी जांच विभाग द्वारा तथा जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर के जरिये भी यथोचित रूप से कराई गई और वन उपज के दुरुपयोग का कथित आरोप निराधार पाया गया। इसकी बहुत कम सम्भावना है कि मिल बहुत कम परिमाण में उपलब्ध इमारती लकड़ी का, यदि ऐसी कोई लकड़ी हो, दुरुपयोग करेगी और उसे बेचेगी और इस प्रकार फैक्ट्री के संयम पर ३ करोड़ से अधिक रुपये लगाने के पश्चात् सरकार की नजरों में गिर जाने का जोखिम उठायेगी। प्रस्तावित इकरारनामे में उपर्युक्त खंडों की व्यवस्था करके लकड़ी के दुरुपयोग की सम्भावना का और निराकरण हो गया है

(ग) लकड़ी बहुत सस्ती दरों पर सप्लाई की गई है :—

जैसा कि पहले बताया जा चुका है वनों के परिपक्व (mature) हो जाने पर पेड़ों को काट कर उनकी जगह नये पेड़ लगाने के फलस्वरूप पेंचदार चीड़ की लकड़ी को स्टार पेपर मिल्स के हाथ बेंचने से पूर्व उससे सामान्यतया कोई लाभ नहीं था। इस प्रकार की लकड़ी का अब तक एक मात्र उपयोग अल्मोड़ा नगर तथा नाग वाटर वर्क्स, रानीखेत को ईंधन सप्लाई के रूप में किया गया है। किन्तु इससे तो जो रायल्टी मिलती है वह स्टार पेपर मिल्स से ली गई रायल्टी की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणार्थ अल्मोड़ा में ईंधन की बिक्री से प्रति मन लगभग ३ नया पैसा रायल्टी प्राप्त होती है और नैनीताल में यह रायल्टी प्रतिमन ६ नया पैसा है, जब कि स्टार पेपर मिल्स से १ लाख घनफुट के लिये ली गई रायल्टी प्रति मन १२ नये पैसे होती है। और बाद में हटाई गई लकड़ी के लिये यह रायल्टी प्रति मन २५ नया पैसे होती है। यह उल्लेखनीय होगा कि इस कच्चे माल का उपयोग करना केवल उसी पक्ष द्वारा सम्भव है जो कि इतनी बड़ी धनराशि अर्थात् ३ करोड़ रुपये लगाने के लिये तैयार हों। ऐसे पक्ष (Party) बहुत ही कम हैं और हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक पक्ष मिल गया।

(घ) पेंचदार चीड़ की लकड़ी के उपयोग के लिये भी अभी कोई मशीनरी स्थापित नहीं की गई है और कागज नहीं बनाया जा रहा है।

वस्तुस्थिति यह है कि फैक्ट्री में अब कागज बनाने के लिये पूर्णतया मशीनें लग गई हैं और इसलिये उसे यथासम्भव शीघ्र आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। फैक्ट्री में पूर्णरूप से उत्पादन कार्य आरम्भ न होने का एकमात्र कारण यह है कि दीर्घकालीन इकरारनामे को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में समझौता वार्ता चल रही है जिसके कारण अभी तक फैक्टरी को अपेक्षित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों से सिद्ध होगा कि स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के साथ पेंचदार चीड़ की लकड़ी के सौदे के सम्बन्ध में कोई अनुचित या अविवेकपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। वस्तुतः इस सौदे से हम ऐसे कच्चे माल का उपयोग कर सकेंगे जिसे अब तक जला देना पड़ता था। इस सामग्री का इस ढंग से उपयोग करने से ईंधन आदि की स्थानीय आवश्यकताओं पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ा है। इसके विपरीत इस सौदे के फलस्वरूप स्थानीय जनता को और अधिक रोजगार मिलेगा। पेंचदार चीड़ की लकड़ी को काटने तथा नये पेड़ लगाने से अन्ततः लीसा सम्बन्धी क्रियाओं में भी सहायता मिलेगी, जो कि उक्त क्षेत्र की जनता के लिये नितान्त आवश्यक है। संक्षेप में उक्त सौदा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये हर प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगा और उससे राज्य के एक महत्वपूर्ण उद्योग का प्रसार होगा और इस देश में कागज की कमी दूर हो जायगी और इसके फलस्वरूप बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मशीनरी के आयात करने में जो विदेशी मुद्रा तथा आयात सम्बन्धी कठिनाइयां सामने आईं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जो कि देश के लिये इस उद्योग के मूल्य से पूर्णतया परिचित है, दी गई सहायता से पहले ही दूर किया जा चुका है। मेरे मन में अब कोई सन्देह नहीं है कि इस वक्तव्य के पश्चात् सदन का प्रत्येक वर्ग राज्य सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण उद्योग के प्रसार के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों का एक मत से स्वागत नहीं करेगा जो स्थानीय जनता की आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव डाले बिना किया गया है और जिससे उस बेकार लकड़ी का उपयोग किया गया है जो वनों में नष्ट हो जाती थी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा विशिष्ट विषयों पर पूछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर

प्रश्न	उत्तर
१—क्या सरकार को शिकायत मिली थी कि उक्त कम्पनी इस चीड़ की लकड़ी को चीर कर ऊंचे दामों पर अन्यत्र बेचती है। अगर हां, तो इस पर सरकार को क्या पता लगा ?	१—मैं इसके बारे में पहले ही अपने वक्तव्य में कह चुका हूं। यह शिकायत प्राप्त हुई थी। उसकी जांच की गई और वह निराधार पाई गई।
२—क्या कुमायूं के जंगलों की गिरी लकड़ी को लेने का हक वहां के निवासियों को है ? अगर हां, तो बिना लोगों की राय लिये या कानून बनाये जंगलों की ऐसी लकड़ी को क्यों इस मिल या अन्य लोगों को दे दिया ?	२—पिछले बन्दोबस्त में, कुछ गांवों को गिरी हुई जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के हक तथा कुछ को इसे इकट्ठा करने की रियायतें दी गई हैं। इन हकों तथा रियायतों का प्रयोग करने में कोई रुकावटें नहीं डाली गई हैं। इसलिये जनमत प्राप्त करने या कोई नियम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।
३—क्या यह सही है कि अल्मोड़ा जिले के कत्यूर, दानपुर, कमस्यार, वारा मण्डल, (पौलछीना) वाड़े छीना, स्पूनरा तिखून, इलाकों में ईंधन की कमी हो गई है और चिरान के बाद शेष लकड़ी वह ले जाते थे उसे अब मिल ले जा रही है ? क्या ईंधन की कमी के बाबत शिकायती-पत्र सरकार व वन विभाग के अधिकारियों को मिले हैं ?	३—यह कहना गलत है कि ठेकेदारों द्वारा छोड़ी गई अवशिष्ट लकड़ी मिल द्वारा हटाये जाने के कारण कहीं भी और विशेषतया उल्लिखित क्षेत्रों में ईंधन की कमी हो गई है। स्थिति यह है कि वन क्षेत्र का वाणिज्य उपयोग समाप्त हो जाने के बाद तुरन्त ही गांव वालों का नम्बर आता है। जब गांव वालों की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं तब स्टार पेपर मिल का नम्बर आता है। जलाने की लकड़ी की कमी की बाबत पहले कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनकी तुरन्त जांच की गई और यह मालूम हुआ कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसी शिकायतें अधिकतर स्वार्थी लोगों द्वारा कराई गई थीं और उन गांव के रहने वालों में से किसी ने नहीं भेजी थीं।
४—जब मिल को प्रयोग के लिये दो लाख घनफुट लकड़ी एक आने की दर पर दी जाती थी तो उसे अधिक कितनी लकड़ी तथा क्यों दी गई है ?	४—मैं अपने वक्तव्य में इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। उत्पादन के लिए तैयार हो जाने से पहले मिल के पास कच्चे सामान का कुछ स्टाक रहना आवश्यक है। वन क्षेत्र में कटान का कार्य प्रारम्भ होने तथा मिल के स्थल पर सामान के पहुंचने के बीच में काफी समय लगता है यदि उस समय मिल के पास कुछ सामान न हो तो उसे लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्य में उद्योगों पर ऐसी स्थिति न आने दे।

प्रश्न	उत्तर
	यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त फैक्टरी को सालाना २० लाख घनफुट लकड़ी की जरूरत होती है और जो कुछ उसे मिला है वह उसका केवल एक छोटा सा भाग है। यह सप्लाई उस माल से की जा रही है जो गांव वालों की आवश्यकताओं से अधिक है और जो यदि बनों से न हटाया जाता तो विभाग को उसे जला देना पड़ता।
५—क्या मिल के करीब एक दर्जन ठेले आज भी लकड़ी ले जा रहे हैं ?	५—यह ठीक है कि मिल के कुछ ठेले चीड़ की ऐसी अवशिष्ट (Slash) लकड़ी ले जा रहे हैं परन्तु यह ऐसी लकड़ी है जो ठेकेदारों द्वारा छोड़ दी गई है तथा गांव वालों की आवश्यकतायें पूरी हो जाने के बाद बची है।
६—क्या चीड़ के पेड़ पी० डी० (पेटी डिमान्डस) पर आधे मूल्य पर दिये जाते थे और अब यह दरें बढ़ा दी गई हैं ?	६—यह प्रश्न स्टार पेपर मिल को लकड़ी की सप्लाई करने से सम्बन्ध नहीं रखता है।
७—क्या बेनाप के सिविल फारेस्ट, सुरक्षित वनों से आज तक बतौर हक बिना मुजाहमतगैर के, गांव के लोग अपनी ईंधन और इमारती लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिये पेड़ काटते रहे हैं जिन पर अब पाबन्दी लगाई गई है ?	७—यद्यपि इस प्रश्न का स्टार पेपर मिल को लकड़ी सप्लाई करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि सिविल वनों पर वन विभाग का नियंत्रण नहीं है। जहां तक कि सुरक्षित (Reserve) वनों का सम्बन्ध है, गांव के लोगों को वही अधिकार और रियायतें प्राप्त हैं जो उन्हें पहले प्राप्त थीं।
८—क्या यह सही है कि स्टार पेपर मिल को लकड़ी एक आना मन फी घनफुट की दर से यानी करीब ७ पैसे मन पर दी जा रही है, जब कि कुमायूं के रहने वालों के लिये एक रुपया या एक रुपया चार आना मन ईंधन का रेट है ?	८—स्टार पेपर मिल को दो आना प्रति घनफुट अर्थात् लगभग २५ नये पैसे प्रतिमन देना पड़ता है। बिना मूल्य के ईंधन गांव के लोग बटोर ले जाते हैं और कोई भी रायल्टी नहीं देते ह। यह सही है कि अल्मोड़ा और नैनीताल के नगरों में ईंधन का मूल्य क्रमशः १ रुपया और एक रुपया चार आना प्रति मन है। यह वन विभाग द्वारा लगाई गई किसी रायल्टी के कारण नहीं है किन्तु पूर्णतया लकड़ी की कटान (Conversion), ढुलाई (Carriage) तथा तत्सम्बन्धी प्रासंगिक (Incidental) व्यय के कारण है। वास्तव में अल्मोड़ा में बिक्री के लिये दिये गये ईंधन के सम्बन्ध में भी सरकार को केवल तीन नये पैसे की और नैनीताल में छः नये पैसे से भी कम रायल्टी मिलती है

प्रश्न

उत्तर

जब कि उसकी तुलना में स्टार पेपर मिल २५ नये पैसे दे रहा है और आगामी वर्षों में उसे इससे भी अधिक रायल्टी देनी पड़ सकती है।

९—क्या पेंचदार लकड़ी जलाने के काम आती है ?

९—पेंचदार चीड़ की लकड़ी किसी दूसरी लकड़ी की ही तरह जलाने के काम में लाई जा सकती है। परन्तु यदि लकड़ी बहुत ज्यादा पेंचदार हो तो उसे कुल्हाड़ी से काटना सम्भव नहीं होता। इस दशा में उसे जलाने के काम में नहीं लाया जा सकता।

१०—क्या यह सही है कि पेंचदार चीड़ के पेड़ से भी लीसा निकलता है ?

१०—लीसा चीड़ के सीधे पेड़ों से तथा पेंचदार चीड़ के पेड़ों से भी निकाला जाता है। दोनों ही दशाओं में पेड़ को उस समय तक नहीं काटा जाता है जब तक वह काटने के लिये परिपक्व न हो जाय। जब वह काटने के लिये परिपक्व हो जाता है तो उसे "वर्किंग प्लान" के नियमों के अनुसार काटना पड़ता है।

११—क्या पिछले पांच वर्षों के भीतर ऐसा हुआ है कि दक्षिणी अल्मोड़ा वन खंड में—

(क) दक्षिणी बिनसर कम्पार्टमेंट नं० ३८ रेंज अल्मोड़ा के अवशेष (Slash) रहे चीड़ की कीमत आठ आना फी घनफुट मिली ?

(ख) दक्षिणी गणनाथ कम्पार्टमेंट १, २ और ३ में बेकार करार दिये गये पेड़ों को जिनमें २० हजार घनफुट लकड़ी थी उनकी कीमत १५,००० रु० मिली इसी प्रकार स्यूनी (रानीखेत) कम्पार्टमेंट नं० २४ की लकड़ी बहुत महंगी बिकी ?

(ग) क्या यह सही है कि गणनाथ व बिनसर ऐसी जगह हैं जो मोटर रोड से ज्यादा दूर हैं जबकि मिल मोटर सड़क के किनारे के जंगलों से लकड़ी लाती रही है ?

११—(क) दक्षिणी बिनसर कम्पार्टमेंट ३८, अल्मोड़ा रेन्ज में १९५७-५८ में १९७ पेड़ ५,०२५ रु० में बेंचे गये, जिसका अर्थ यह हुआ कि इमारती लकड़ी पर न कि चीड़ के अवशेष पर ६८ नये पैसे प्रति घनफुट का रायल्टी मिली। यहां पर चीड़ के अवशेष (Slash) का कोई मूल्य नहीं था।

(ख) दक्षिणी गणनाथ कम्पार्टमेंट १, २ और ३ में ४५६ पेड़ बेकार थे और उनकी इमारती लकड़ी पर न कि उनके अवशेष पर ७२ नये पैसे प्रति घन फुट की दर से रायल्टी मिली। स्यूनी कम्पार्टमेंट २४ में १९५८-५९ में इमारती लकड़ी का एक लाट १,२९,१०० रु० में बेंचा गया। यहां भी यह कीमत इमारती लकड़ी की थी न कि अवशेष (Slash) की।

(ग) गणनाथ और बिनसर के कम्पार्टमेंट मोटर की सड़क से बहुत दूर नहीं हैं। स्टार पेपर मिल न सिर्फ सड़क के पास के क्षेत्रों से ही बल्कि बहुत दूर के क्षेत्रों से भी जहां भी लकड़ी के लाट मिलते हैं लकड़ी लाती है। इस समय स्थिति यह है कि

प्रश्न

(घ) क्या यह सही है कि अल्मोड़ा, रानीखेत और नैनीताल के टालों में कई लाख मन चीड़ का ईंधन हर साल बिकता है? अगर हां, तो सालाना औसत खपत कितनी है? क्या पहले करीब ८० हजार घनफुट चीड़ की लकड़ी सुनारों को करीब तीन हजार मन कोयला बनाने के लिये दी जाती रही, जो बन्द कर दी गई है?

१२—क्या नाग वाटर-वर्क्स, रानीखेत को डेढ़ लाख मन लकड़ी पानी चलाने के लिये दी जाती रही है? क्या जी० ओ० नं० ६९० के अनुसार गांव वालों को ईंधन तथा खम्भों के लिये लकड़ी दी जाती थी? अगर हां, तो इसका सालाना औसत कितना था?

उत्तर

स्टार पेपर मिल को केवल उन क्षेत्रों से चीड़ की लकड़ी ले जाने की अनुमति है जहां पर ठेकेदारों का काम खत्म हो गया है और उन्होंने अपनी इमारती लकड़ी उठा ली है और जहां से गांव के लोगों ने अपनी वास्तविक आवश्यकतायें पूरी कर ली हैं।

(घ) केवल अल्मोड़ा नगर में लगभग ६०,००० मन चीड़ की लकड़ी प्रति वर्ष बेंची जाती है। नैनीताल में चीड़ का ईंधन नहीं बेंचा जाता है। रानीखेत में जलाने की लकड़ी की सप्लाई की व्यवस्था कैन्टूनमेंट बोर्ड द्वारा स्वयं अपने वनों से की जाती है। यह कहना गलत है कि वन विभाग केवल सुनारों को देने के प्रयोजन से ही ३,००० मन कोयला बनाने के लिये ८०,००० घनफुट चीड़ की लकड़ी की व्यवस्था करता था। अतएव ऐसी सप्लाई के रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि चीड़ की जलाने वाली कुछ लकड़ी जिसका कोयला बन चुका था, अल्मोड़ा शहर में बेंचे जाने पर जनता ने नहीं लिया और इसलिये इसे सुनारों को दे दिया गया। यह कोयला बहुत थोड़ी मात्रा में था और सुनारों द्वारा केवल एक या दो बार लिया गया।

१२—यह कहना गलत है कि रानीखेत के नाग वाटरवर्क्स की मांग डेढ़ लाख मन ईंधन की है। उसकी औसत खपत प्रतिवर्ष केवल ३०—४० हजार मन की है और इसे पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। ऐसा पता चला है कि सैनिक अधिकारी अब नये पम्प लगा रहे हैं जिनके लिये ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक सरकारी आदेश (सं० ६९०—१४—३१२ (५) दिनांक १ नवम्बर, १९३२) का सम्बन्ध है स्टार पेपर मिल के सौदे से उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उसमें कुमायूं के वास्तविक निवासियों को वन की ऐसी उपज देने की व्यवस्था की गई है जो बेंची न जा सकती हो और वनपालन की दृष्टि से जिसका हटाया जाना वांछनीय हो और उसकी अनुमति दी जा सकती हो। इससे यह पता चलेगा कि इसका सम्बन्ध केवल ऐसे वनकी उपज से है जो बेंची न जा सकती

प्रश्न

उत्तर

हो किन्तु जलाने की लकड़ी या ईंधन दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आता है और उसे ले जाने की अनुमति वास्तविक निवासियों को है चाहे वह ईंधन लकड़ी के योग्य हो या न हो।

१३—क्या यह सही है कि चीड़ की लकड़ी जो खुले में रहती है दो, तीन साल बाद एकदम खराब हो जाती है ?

१३—खुले में रखे जाने पर चीड़ की इमारती लकड़ी का खराब होना बहुधा जलवायु पर निर्भर रहता है। यदि चीड़ की इमारती लकड़ी बिल्कुल खुले में रखी जाती है तो २–३ वर्षों में उसकी इमारती कीमत (structural value) में काफी कमी हो जायगी।

१४—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कुमायूं डिवीजन से उन्हें शिकायती-पत्र मिले हैं कि वहां के जंगलों की गिरी-पड़ी लकड़ी जिसे लेने का अधिकार कुमांयूनियों को प्राप्त है को स्टार पेपर मिल व अन्य लोगों को सरकार द्वारा दिये जाने के कारण कुमायूं में ईंधन का भारी अभाव हो गया है ?

१४—जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कहना गलत है कि मिल द्वारा अवशिष्ट लकड़ी हटाने के कारण जलाने की लकड़ी की कमी हो गई है। इस सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनकी जांच की गई और वे निराधार पाई गईं।

१५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के साथ लकड़ी दिये जाने की बाबत कोई इकरारनामा हुआ है ? यदि हुआ है, तो क्या सरकार उसकी शर्तें बताने की कृपा करेगी ? अब तक इस कम्पनी को कितनी लकड़ी दी जा चुकी है ?

१५—जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मिल को अवशिष्ट लकड़ी की सप्लाई के लिये दीर्घकालिक करार के प्रालेख को विभिन्न कारणों से अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं इस मिल को अब तक कुल ६,३२,३२८ घनफुट लकड़ी दी गई है।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०—९५ एल० पी०—१९६१—८४५।